महानगर नई दिल्ली शनिवार 14 दिसंबर, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दस्तक

जनसत्ता ब्यूरो/एजंसी
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, छात्र संगठन आल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) सहित कई याचियों ने नागरिकता संशोधन कानून (कैब) की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को याचिकाएं दायर कीं। इन अर्जियों में कहा गया है कि नागरिकता कानून में संशोधन संविधान के बुनियादी ढांचे और समता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का हनन करता है।

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर करने वालों में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश और तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा शामिल

संशोधित नागरिकता कानून के अनुसार 31 दिसंबर, 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के सदस्यों को अवैध शरणार्थी नहीं माना जाएगा और उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी।

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने गुरुवार की रात नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को अपनी मंजूरी दे दी और इसके साथ ही यह विधेयक कानून बन बाकी पेज 8 पर

गुवाहाटी में शुक्रवार को पेट्रोल पंप पर उमड़ी भीड़।

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार निकाय ने भारत के नए नागरिकता कानून को लेकर चिंता जताई।

अमेरिका ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का अनुरोध किया

खबरें पेज 13 पर

जापानी प्रधानमंत्री का भारत दौरा रद्द

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का भारत दौरा रद्द कर दिया गया है। नागरिकता कानून को लेकर असम में भारी विरोध प्रदर्शन के कारण 15–17 दिसंबर को बाकी पेज 8 पर

असम व पूर्वोत्तर की आग पहुंची बंगाल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

नागरिकता कानून के विरोध में असम समेत पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में कर्फ्यू एवं निषेधाज्ञा के बावजूद विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। विरोध प्रदर्शनों में तीन लोग मारे जा चुके हैं। असम की राजधानी गुवाहाटी समेत बाकी पेज 8 पर

विशेष पन्ना राजकाज पेज 7 पर

छह राज्यों ने किया कानून लागू करने से इनकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

नागरिकता कानून को लेकर पूर्वोत्तर में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच विभिन्न राज्यों ने इसे लागू करने से मना करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ने इस कानून को लागू करने से मना कर दिया। पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब ने पहले ही मना कर दिया था। महाराष्ट्र में कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और वहां की उद्धव सरकार में मंत्री बाला साहेब थोराट ने इस बाबत एलान किया। दूसरी ओर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस आशय की बातें बाकी पेज 8 पर

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ने भी पकड़ी बंगाल, पंजाब और केरल की राह

राज्यों को इनकार का हक नहीं : केंद्र
–खबर पेज 8 पर

संयुक्त राष्ट्र में भारत का पाकिस्तान पर हमला

हर बड़े आतंकी हमले के तार पाक से जुड़ते हैं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए भारत ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के हर बड़े कुकृत्य के तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। निर्दोष लोगों की जान लेने के लिए आतंकवाद के इस पनाहगाह में प्रशिक्षण दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर का मसला उठाए जाने और नागरिकता कानून का हवाला दिए जाने के बाद भारत ने पलटवार किया है।

> "जब लोमड़ी, मुर्गी की रखवाली कर रही होती है तो हमें विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत होती है।
> –पालोमी त्रिपाठी, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव पालोमी त्रिपाठी ने महासभा में 'शांति की संस्कृति' बाकी पेज 8 पर

राहुल के बयान पर लोकसभा में हंगामा, माफी मांगने की मांग

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बलात्कार मामलों को लेकर कथित टिप्पणी पर शुक्रवार को लोकसभा में भाजपा सदस्यों ने भारी हंगामा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के बयान से पूरा देश आहत हुआ है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए और ऐसे बयान देने वाले सदस्य को सदन में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है।

कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग पहुंचीं भाजपा की महिला सांसद
–खबर पेज 8 पर

सदन में भाजपा सदस्यों के भारी हंगामे के बीच इस मुद्दे पर सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही पुनः आरंभ होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए और ऐसे बयान देने वाले को इस सदन का सदस्य रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि गांधी के बयान से यह सदन और पूरा देश आहत हुआ है। 15 मिनट बाद सदन शुरू होने बाकी पेज 8 पर

> "राहुल गांधी के बयान से पूरा देश आहत हुआ है।
> – राजनाथ सिंह

> "यह बयान भारत की महिलाओं और देश का अपमान है।
> –स्मृति ईरानी

राहुल का माफी मांगने से इनकार

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (जनसत्ता ब्यूरो/ भाषा)।

बलात्कार पर कथित टिप्पणी को लेकर भाजपा के हमलों से घिरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि वे इस मुद्दे पर कभी माफी नहीं मांगने वाले।

राहुल गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, 'जहां तक माफी की बात है तो मैं कभी इनसे माफी मांगने वाला नहीं हूं।' कांग्रेस नेता ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा– मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने क्या बोला। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 'मेक इन इंडिया' होगा। हमने सोचा कि अखबारों में 'मेक बाकी पेज 8 पर

'मजबूत मालदीव के लिए भारत प्रतिबद्ध'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और मालदीव के बीच बेहतर संपर्क एवं द्विपक्षीय संबंधों के सकारात्मक नतीजों पर संतोष जताया है और कहा कि भारत शांतिपूर्ण, समृद्ध, लोकतांत्रिक एवं मजबूत मालदीव के निर्माण के लिए वहां की सरकार के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से मुलाकात के दौरान ये बातें कहीं। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को मालदीव के अपने समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को गति देने के लिए व्यापक चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने बिना किसी सहयोगी के वार्ता की। प्रधानमंत्री कार्यालय बाकी पेज 8 पर

विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी बैठक

> "भारत शांतिपूर्ण, समृद्ध, लोकतांत्रिक, मजबूत मालदीव के निर्माण के लिए वहां की सरकार के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है। – नरेंद्र मोदी

मालदीव के विदेश मंत्री शाहिद ने भारत- मालदीव संबंधों को आगे बढ़ाने में उनकी दृष्टि और मजबूत नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया।

प्रधानमंत्री ने मालदीव के विदेश मंत्री से मुलाकात की।

मतों की संख्या में विसंगतियों पर चुनाव आयोग को नोटिस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनावों में 347 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान और गणना में

मतों की संख्या में कथित विसंगतियों की जांच के लिए दो गैर सरकारी संगठनों की जनहित याचिका पर शुकवार को निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाले पीठ ने इसके साथ ही इन याचिकाओं को पहले बाकी पेज 8 पर

दोषी की याचिका के खिलाफ अदालत पहुंचीं निर्भया की मां

जनसत्ता ब्यूरो/संवाददाता
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या के दोषियों में से एक अक्षय की पुनर्विचार याचिका का विरोध करते हुए पीड़िता की मां ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दिया। दिसंबर, 2012 के इस सनसनीखेज अपराध के चार दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई है। इनमें से तीन मुजरिमों की पुनर्विचार याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। अक्षय के अलावा तीन अन्य दोषियों के पास अभी भी शीर्ष अदालत में अपनी दोषसिद्धि और मृत्युदंड के फैसले में सुधारात्मक याचिका दायर करने का विकल्प है।

सुप्रीम कोर्ट में 17 दिसंबर को सुनवाई

शीर्ष अदालत के 2017 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए चौथे मुजरिम अक्षय कुमार की याचिका पर 17 दिसंबर को तीन न्यायाधीशों का पीठ सुनवाई करेगा। पीड़िता की मां के वकील ने प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाले पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और कहा कि वे दोषी की पुनर्विचार याचिका का विरोध कर रहे हैं। पीठ ने कहा कि पीड़िता की मां के वकील की बात भी 17 दिसंबर बाकी पेज 8 पर

सबरीमला पर किसी नए आदेश से इनकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सबरीमला मंदिर में पुलिस की सुरक्षा में महिलाओं का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए केरल सरकार को कोई आदेश देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह बहुत ही भावनात्मक विषय है और वह नहीं चाहता कि स्थिति विस्फोटक हो। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत के पीठ ने कहा कि इस मामले में संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आज कोई आदेश नहीं दिया जाए क्योंकि यह मुद्दा पहले ही सात सदस्यीय पीठ को सौंपा जा चुका है।

> "इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस मामले में एक फैसला है। मामले को वृहद पीठ को सौंप दिया गया है। मैंने अभी तक वृहद पीठ गठित नहीं की है। सहूलियत के संतुलन के लिए जरूरत है कि हम आज कोई आदेश नहीं दें।
> – प्रधान न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले पर विचार के लिए यथाशीघ्र सात सदस्यीय पीठ गठित करने का प्रयास किया जाएगा। पीठ ने कहा कि हालांकि सबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने वाले 28 सितंबर, 2018 के फैसले पर किसी प्रकार बाकी पेज 8 पर

दरअसल

दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में कड़ाके की ठंड | मौसम की करवट | जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में पहले से ही बर्फबारी

पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में ठिठुरन

जनसत्ता टीम
नई दिल्ली/देहरादून 13 दिसंबर।

पहाड़ों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में ओले के साथ तेज बारिश होने से मौसम ने एकदम से करवट बदला है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब सहित तमाम इलाकों में इसके साथ ही ठिठुरन बढ़ गई है। बारिश से प्रदूषण में भी कमी दर्ज हुई। उत्तराखंड, नैनीताल, मसूरी और उसके आसपास उंचाई वाले स्थानों पर शुक्रवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई। जबकि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में पहले से चल रही बर्फबारी शुक्रवार को भी जारी रही। कुछ दिनों में घना कोहरा छाने के भी आसार हैं।

मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली-एनसीआर में बारिश हुई और ओले पड़े। तमाम पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी भी पश्चिमी विक्षोभ का ही नतीजा रही। इसके आगे भी जारी रहने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों से आ रही हवाओं के कारण मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली का अधिकतम तापमान औसत से दो डिग्री कमी के साथ 21.8 दर्ज किया गया। पालम में 40.2 मिलीमीटर बारिश के साथ तापमान 21 डिग्री दर्ज किया गया। इसके साथ न्यूनतम तापमान करीब 12 डिग्री दर्ज किया गया।

लगातार बारिश के कारण उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के कारण पर्वत बर्फ से लकदक हो गए हैं। नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा बागेश्वर, टिहरी चंपावत रुद्रप्रयाग समेत राज्य बाकी पेज 8 पर

पश्चिमी विक्षोभ का असर

दिल्ली-एनसीआर में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश हुई और ओले पड़े। तमाम पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी भी पश्चिमी विक्षोभ का ही नतीजा रही। इसके आगे भी जारी रहने की संभावना है।

रविवारी
15 दिसंबर, 2019

मानसिकता में खोट

बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों को रोकने की मंशा से कई कड़े प्रावधान किए गए, पर उनमें निरंतर बढ़ोतरी ही दर्ज हो रही है। इसके पीछे बड़ी वजह दूषित मानसिकता है। बता रही हैं नाज खान।

- कविता/ शंकरानंद • कहानी/ विनम्र सेन सिंह • ललित प्रसंग/ सुरेश सेठ • योग दर्शन/ डॉ. वरुण वीर • शख्सियत/ श्रीनिवास रामानुजन • दाना-पानी/ मानस मनोहर • सेहत/ रविवारी डेस्क

सर्दी और बेशुमार स्टाइल • दीप्ति अंगरिश
• कविता/ शिव मोहन यादव
• कहानी/ सुधा गुप्ता 'अमृता'

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

AWe, Ritu D/O Late.Jaibir W/O Shri Suprit R/O-138/A, Shahpur-Jat, New Delhi-110049 And Sachin Dagar S/O Late.Jaibir R/O Ujwa, South/West Delhi, Delhi-110073.Do Hereby inform That Our Father Known As Jaibir Singh, Jaibir Dagar And Jaibir. Jaibir Singh, Jaibir Dagar And Jaibir Names Are One And Same Person I.E. Our Father. 0040524138-2

I,Rahul S/o-Rakesh Verma R/o-House.No.444,Street Number-7,Moonga Nagar,Dayalpur, North East Delhi-110094,have changed my name from Rahul to Rahul Verma for all purpose. 0040524125-1

I,CHRISTOPHER ANTHONY, S/o-LT Sh.Anthony Arokya, R/o-257,Dreamland Apartment,Sector-1A,DDA Flats,Dwarka,New Delhi-110045,affirm that my name has been changed from CHRISTOPHER to CHRISTOPHER ANTHONY vide affidavit dated-22nd Nov 2019,sworn before notary Kanta Rana Delhi. 0040524130-1

I, Tayyab Chaudhary S/o Mohammad Ilyas R/o-H-49/14, Galib-Apartment, 3rd-Floor, Batla-House, Jamianagar, Okhla, N.Delhi-110025.changed the name of my minor son from Mohammad Talha Choudhary to Mohammad Talha. 0040524117-8

I, Tayyab Chaudhary S/o Mohammad Ilyas R/o-H-49/14, Galib Apartment, 3rd-Floor, Batla-House, Jamianagar, Okhla, N.Delhi-110025. changed the name of my minor son from Mohammad Arhan Chaudhary to Mohammad Arhaan. 0040524138-3

I, Surinder Pal Singh Ghai S/o Awtar Singh Ghai R/o House No.A-342, Sector-46, Noida (U.P.) have changed my name to Surinder Pal Singh S/o Awtar Singh for all future purposes. 0040524118-3

I, Sumare Singh S/o Tekram R/o-97, S.F. PKT-21, Sector-24, Rohini, Delhi-110085 have changed my name to Sahil Ohlyan. 0040524117-2

I, Srinivasan Gayathri W/o Murali Sundararajan R/o H2-101, 10th Floor Assotech Springfields, Sector Zeta-1, Greater Noida(U.P.) have changed my name Srinivasan Gayathri to Gayatri Murali permanently. 0040524110-1

I, Son Pal Singh S/o Ramkumar Singh R/o-H.No.15, Barahi-Mela Wali Gali, Surajpur, Greater-Noida, UP.have changed my name to Sonpal Singh Raghav. 0040524116-1

I, Shelaja Saxena W/o Vishal Bhatnagar R/o H.No.1242, Adarsh-Apartment, Sector-4C, Vasundhara, Ghaziabad(U.P) after-marriage have changed my name to Shailja Bhatnagar, for all purposes. 0040524112-8

I, Shakti Taneja D/o Mr. Ashok Taneja R/o H-2/137, Bengali Colony, Mahavir Enclave, Part-1, Palam, New Delhi-45, have changed my name to Shakti Sharma for all purposes. 0040524129-1

I, Shafi Ahmed R/o House No-C-1, Ekta Vihar, Apartment, Basai, Sector-70, Noida (U.P.) have changed my Son's name from Mohd Owais to Mohammad Owais for all future purposes. 0040524118-6

I, Sanjeev S/o Jeet Singh, H.No-33/184, TrilokPuri, Delhi-110091 Have Changed My Name To Sanjeev Kumar. 0040524112-4

I, Sanjay Kumar H.No-533/19 Sakti-Nagar Green Road Rohtak Haryana-124001. Changed my minor child's name Adhitya To Aditya Khurana. 0040524116-2

I, S. Murali (Sundararajan Murali) S/o Rajagopolan Sundararajan R/o H2-101, 10th Floor Assotech Springfields, Sector Zeta-1, Greater Noida(U.P.) changed my name S. Murali(Sundararajan Murali) to Murali Sundararajan permanently. 0040524110-2

I, Rukhsar Bano D/o Mohd.Hasan W/o Afsar Ali, R/o-1653/A, Gali No-15, Govind-Puri, Kalkaji New Delhi-110019,have Changed my name to Aysha Bano 0040524071-1

I, Renu W/O-Pankaj Saini address-274/11 Haryana-124001, Changed My Name To Renu Saini. 0040524116-4

I, Rati Ram Awana S/o Bhaktawar Singh R/o House No.618, Village-Atta, Sector-27, Noida(U.P.) have changed my name to Rati Ram. 0040524118-5

I, Pankaj S/O Ramesh Kumar Add-274/11 Shri-Nagar Colony Rohtak Haryana-124001,Changed My Name To Pankaj Saini. 0040524116-3

I, Ram Singh Sehgal S/o Pratap Singh Sehgal, DOB 19/09/1958 R/o A-2/74, A-Block A2 Keshav Puram Delhi-110035 have changed my name to Ram Singh. 0040523614-2

I, Rajiv Kumar S/O-Nand Lal R/0-6/172 2nd-Floor D.D.A-Flats East-Of-Kailash New Delhi-110065. Changed My Name To Rajeev Kumar Pawani. 0040524116-5

I, R. Sundharesan S/o K.S Ramanathan, resident of H.No.C-1, Block-19, Railway Colony, PunjabiBagh, West Delhi-110026, have changed my name from R. Sundharesan to ADIL NIZAMI SABRI for all purposes. 0040524117-9

I, Priyanka Awana W/o Manoj Chaudhary R/o House No.618, Village-Atta, Sector-27, Noida (U.P.) have changed my name to Priyanka Chaudhary. 0040524118-1

I, Paras S/o Sushil Kumar Setia R/o Third floor, 16/52, Subhash Nagar, Delhi-110027, have changed my name to PARAS SETIA. 0040524080-1

I, Manoj Awana S/o Rati Ram R/o House No.618, Village-Atta, Sector-27, Noida (U.P.) have changed my name to Manoj Chaudhary. 0040524118-2

I, Km. Garima D/o Mukesh Kumar R/o 16/24/1 MBR-Enclave Pochanpur, Dwarka Sector-23 New Delhi-110077, have changed my name to Garima. 0040524112-6

I, Jasvinder Singh S/o late Kashmir Singh R/o A-3/27, Bhajanpura, Delhi-110053, have changed my name to JASVINDER SINGH SIDHU. 0040524081-1

I, Ishwar Lal Nagar S/o Late.Leela Ram Naagar R/o-16/162, Amrit-Kaurpuri, Tank-Road, Galino.1, Hanuman Mandir, Karolbagh, N.Delhi-110005 have changed my name to Ishwar Lal Naagar. 0040524112-7

I, Diksha Sandeepkumar D/o Kalra Sandeepkumar Gurdarshanlal now W/o Ankit Dhall R/o RZ-B1/42,B Block, Raghu Nagar, Palam, South West Delhi, Delhi-110045 have changed my name after marriage as Diksha Dhall for all records and future purposes. Diksha Sandeepkumar and Diksha Dhall is one and same person. 0040524077-1

I, Mohammad Ahamd S/o Mohammad Usman Rain, Resident Of-2344, Second-Floor, Gali Mir Madari Road-Garden, Chandni-Chowk, Delhi-110006,have Changed My Name From Mohammad Ahmad And Ahmad Reza To Ahmad Raza For All Purposes. 0040524117-4

I, Dhaneshwari Awana W/o Rati Ram R/o House No.618, Village-Atta, Sector-27, Noida (U.P.) have changed my name to Dhaneshwari. 0040524118-4

I, Devender Banthia S/O, Puneet Banthia R/o C-75 Second Floor, lane 4, mahendru Enclave Delhi-110033 have changed my name to Dev Banthia for all purposes. 0040524112-9

I, Damini Vishwakrma D/o Uma Shankar Vishwakarma R/o Katangi Rod, Gram Jhagra Belkhadu, Jabalpur Madhya Pradesh-482002 have changed my name to Damini Vishwakarma. 0070688095-1

I, Chhenu Bala W/O Ashwani Goel R/O B-2/20-21, Sector-6, Rohini, Delhi-110085. Have Changed My Name To Cheenu Goel. 0040524112-1

I, Anju Digra W/o Pawan Gulati R/o-B-847, Avantika, Sector-1, Rohini, Delhi-110085 have changed my name to Anju Bala. 0040524117-1

I, Abhishek Prakash Rao@ Abhishek Rao@ Rao Abhishek Prakash, S/o Sh.Prakash Koteshwar Rao, R/o-C-2, Flat No.102, Uniworld-City West, Sec-30, Gurgaon-122001, Haryana have changed my name to Abhishek Prakash Rao.for all purposes. 0040524117-3

I, Sunil S/O Roshan Lal R/o 20/187 DakhshinPuri Extn New Delhi-110062 have changed my name to Sunil Kumar permanently. 0040524112-2

I, Shyam Bilas S/o Khazan Singh R/o-B-512 Gali No-4 Majlis Park Adarsh Nagar Delhi-110033,Changed My Name To Shyam Bilas Gupta. 0040524117-7

I, Sarabjeet Kaur Chandhiok D/O-Gurbachan Singh R/O-C-134, Sector-50, Noida, U.P. Have Changed My Name From Sarabjeet Kaur Chandhiok To Sarabjeet Kaur For All Future Purposes. 0040524116-7

I, Richa Sharma W/O Nishank Dua R/O-Z-6, Hans Apt.East ArjunNagar Cbd Shahdara Delhi-110032 Have Changed My Name To Richa Dua. 0040524112-5

I, Ramesh Chitkara S/o Ram Lubhaya chitkara R/o-M-87 Saket N.D-110017, have Changed my Name to Ramesh Kumar for all purposes 0040524078-1

I, Prabveen Kahtoon W/o Mohammad Imtiyaz R/o H.No. 106, Second Floor, Near Amina Masjid, Wazirabad Village, Delhi-110084 have changed my name to Roohi Parveen for all purposes. 0040524073-1

I, Monu S/o Naresh Singh R/o V.P.O.Kelanga, Pana Raju, Distt.Bhiwani, Haryana-127114 inform that my Minor Daughter's name wrongly written in my Service Record & Public Part-2 as Alyia instead of Aliya. 0040524138-7

I, Monu S/o Naresh Singh R/o V.P.O. Kelanga, Pana Raju, Distt. Bhiwani, Haryana-127114 inform that my wife name wrongly written in my Service Record & Public Part-2 as Sonia Khan instead of Soniya Khan. 0040524138-6

I, Mohammad Imteyaz S/o Mohamad Shahid R/o H.No.106, Second Floor, Near Amina Masjid, Wazirabad Village, Delhi-110084 have changed my name to Mohammad Imtiyaz for all purposes. 0040524073-2

I, Meva Ram S/o Chhote Lal Sharma R/0- E-3/264 Sultanpuri-Nithari Delhi-110086, Changed My Name To Meva Ram Sharma. 0040524117-6

I, Inderjit Singh S/o Charanjeet Singh R/o F-11 Sham Nagar Vishnu Garden Delhi have changed my name to Inderjeet Singh. 0040524112-3

I, Iffat Zamir W/o Mehfooz Khan R/o C-591, GF, New Friends Colony Delhi-25, have changed my name to Iffat Khan. 0040524138-1

I, Gurbachan Singh Chandiok Alias Gurbachan Singh S/O-Sujan Singh R/O-C-134, Sector-50, Noida, U.P. Have Changed My Name From Gurbachan Singh Chandiok Alias Gurbachan Singh To Gurbachan Singh For All Future Purposes. 0040524116-6

I, Anil Singh S/o Mukund Singh R/o-C-2/6A, Shyam-Vihar, Ph-11 Najafgarh N.D-110043,have Changed my Name to Anil Singh Rawat for all purposes 0040524078-2

I, Kapil Soni S/O Govind Parsad Soni R/O-B-975, Shastri-Nagar Delhi-110052, Have Changed My Name From Kapil To Kapil Soni For All Purpose. 0040524117-5

I, Sunil Kumar singhal S/o Munna lal singhal R/o WA-109, Flat.No.A-1, Upper Ground Floor, Gali No.16, shakarpur, Delhi-110092 have changed my name to Sunil singhal. 0040523615-1

खोया+पाया

Lost my original Certificate of Main Secondary Exam Year-2015, Roll No.86748880 passout from CBSE. Finder May Contact-Manshi. H.No.275, Vill. Sanoth, Narela, Delhi-40. 0040524138-8

Lost R.Deed No.3536,Volume No.768 Page No.45to49 Dated-23/05/2016 Sub Registrar-IV B, Vivek Vihar, Delhi (Property Papers) of H.No.30/51 Gali No. 8, Vishwas Nagar, Shahdara Delhi-110032 Rajeev Kumar S/o Late Balbir Singh #9013321719. 0040524116-9

I, Shikha Nautiyal Dimri D/o Anil Prasad Nautiyal, have lost Original MOU and Payment Receipt of Habitech Crystal Mall Office No.523, Plot No.9, Knowledge Park-3, Greater Noida, West U.P.-201306. Finder Contact-8373909876. 0040524138-9

व्यक्तिगत

मैं पंकज कुमार पुत्र श्री प्रेम चंद बंसल पता- A-708, यूनेस्को अपार्टमेंटस प्लॉट नं.- 55 आई.पी. एक्सटेंशन दिल्ली-110092 ने अपना नाम पंकज कुमार बंसल और पंकज बंसल से बदल कर पंकज कुमार रख लिया है।

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल जोगराज पुत्र स्वर्गीय होरी लाल पता जे-2बी 68/2, गली नं. 2, संगम विहार, दिल्ली ने अपने पुत्र रंजीत व उसकी पत्नी सरिता गौतम को अपनी चल व अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है, क्योकि वे मेरे मुवक्किल के आज्ञाकारी नहीं रहे हैं, मेरे मुवक्किल के साथ मार-पीट और गाली गलौच करते हैं। अतः भविष्य में वे अपने हर बुरे-भले कृत्यों एवं लेन देन के लिए खुद जिम्मेवार होंगे।

Sd/-
B K Yadav
Advocate
Ch. No. 576

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को विदित हो कि मेरे मुव्वकिलों मंगल सिंह पुत्र श्री थान सिंह, एवं श्रीमती बीरो देवी पत्नी श्री मंगल सिंह, निवासीगण 178/10, गली नं. 2, पदम नगर, किशन गंज, दिल्ली-110007 ने अपने पुत्र श्याम सुन्दर एवं इसकी पत्नी श्रीमती मीनाक्षी एवं इनके होने वाले बच्चों को अपनी हर चल व अचल सम्पत्तियों से बेदखल कर दिया है और अपने समस्त रिश्ते नाते समाप्त कर लिये हैं क्योंकि वह मेरे मुव्वकिलों का आज्ञाकारी नहीं रहे है और उनका व्यवहार मेरे मुव्वकिलों एवं अन्य परिवार के प्रति ठीक नहीं है। मेरे मुव्वकिलों को उनसे खतरा है। अतः भविष्य में वह अपने समस्त कार्यों व लेन-देन के लिए स्वयं जिम्मेवार होगा, मेरे मुव्वकिलों व उसके अन्य परिवारजनों का कोई लेना-देना नहीं होगा।

जी.एल. गोस्वामी
(अधिवक्ता)
3530, कुतुब रोड,
दिल्ली-06

PUBLIC NOTICE

To Be know to all that I Smt. Lata Devi Chaurasia W/O Late Shri Lalta Prasad R/O BH Block, H. NO. 709-B, Shalimar Bagh, Delhi-110088, has applied for conversion of the aforesaid House from lease hold to free hold vide application in DDA. All Original documents issued by DDA ,of the above House (Lease Deed ,allotment letter,possession letter,site possession letter NOC of electricity and water connection etc.) has been lost. File no. F. 12(1038)80/Gen./SB/ DDA An F.I.R–to this effect has been lodged in the Police station on Dated 11/12/2019, Any Person(s) claiming my rights, interest, having any objection or found in possession of original documents, may write/contact with above name person at above address with in 15 days from the date of publication of this notice. The person claiming any right interest, objection with respect to this property can personally inform or write to Deputy Director (LAB) Housing or Director (Housing) I, D Block 3rd floor, INA, New Delhi.

PUBLIC NOTICE

It is to inform to the public at large that Mrs. Poonam Sabharwal, Mrs. Neelam Verma & Mrs. Rekha Gupta acquired the property i.e. UGF without roof rights on Municipal No. WZ-248, on Eastern Portion of plot no. B-152, Khasra No. 2011, B- Block, Hari Nagar, New Delhi, vide 3 Sale Deeds 1/3 share each all dated 21.09.2017 executed by Kumari Ram Kaur and Mrs. Poonam Sabharwal, Mrs. Neelam Verma & Mrs. Rekha Gupta are the undisputed owners of said property till date. OR Any person / firm / institution / company having any claim or right in respect of the said Property by way of inheritance, share, sale, agreement, lease, license, gift, possession, legal heirs, partners or encumbrance howsoever or otherwise is hereby required to intimate in writing to the undersigned within 07 days from the date of publication of this notice of his/her/their share or claim, if any, with all supporting documents at below mentioned address. After expiration of notice period, the claims, if any, of such person shall be treated null and void and also treated as waived and not binding on our client.

Ajay Kumar Gill - Advocate
H.No. 28/361, Basement, Vikram Vihar, Lajpat Nagar-4, New Delhi 110024

PUBLIC NOTICE

I, FOR and on behalf of my client Samta, by this Public Notice proclaim and declare that my client is the sole and absolute owner of the property bearing no. S-17, Third Floor, Greater Kailash-I, New Delhi 110048 and the said property was leased to Mr. Surbhit Kumar Jain and Mr. Ankit Jain S/o Sh. Padam Chand Jain R/o Mahavir Impex, 1052, Ist floor, Chandni Chowk, Maliwara Delhi-110006 for a limited period, however, it has been brought to the information of my client that the said persons against whom eviction proceedings are ongoing are making misrepresentations and falsities in respect of the property. My client so far has not bequeathed the same in their name nor had sold it to them nor intends to do so. I through this Public Notice warn the general public to beware of any such or other rumours with respect to the above property from any corner to the effect of selling or bequeathing or transferring the above property to the said unscrupulous persons or any other persons.

Sd/-
Sarthak Maggon Law Offices
Advocates, Solicitors & Legal Consultants
complianceofficer@smlawoffices.in
7/34-B, L.G.F, Jungpura B, New Delhi-14

PUBLIC NOTICE

"THE PUBLIC AT LARGE IS INFORMED THAT MY CLIENT SHRI SULAKHAN SINGH S/O SHRI MOTA SINGH R/O 1818/9, FIRST FLOOR, GOVIND PURI EXTN., NEW DELHI, HAS DISOWNED AND SEVERED ALL HIS RELATIONS WITH HIS SON AMARDEEP SINGH AND DAUGHTER IN LAW AMANDEEP KAUR BOTH R/O B-178, SECTOR -50, NOIDA, DISTRICT GAUTAM BUDH NAGAR, U.P. AND DEBARRED THEM FROM ALL HIS MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTIES FOR EVER, AS THEY ARE DISREGARDING, MISBEHAVING AND CREATING NUISANCE FOR MY CLIENT, IF ANY PERSON DEALS WITH THEM, MY CLIENT WOULD HAVE NO CONCERN WITH THE SAME."

Sd/-
[SHANKAR DATT GAHTORI]
ADVOCATE
CH. N-4, LOCKUP LANE,
TIS HAZARI COURTS, DELHI

PUBLIC NOTICE

My Client Jitender Singh S/o Sh. Harmeet Singh R/o H.No. 89 KH. No. 40/13, Abchal Nagar Chander Vihar Nilothi Extn. Nangloi Delhi-110041 sought Divorce from his wife Rajneet Kaur D/o Balvinder Singh R/o WZ-3, Gali No.1, Krishna Nagar Sahib Pura Tilak Nagar New Delhi-110018, with mutual consent through Gurudwara Shri Guru Singh Sabha Regd. Sector No. 2 Major Bhupinder Singh Nagar Prithvi Park Tilak Nagar New Delhi-110018 on 4.12.2019, now he has no concerned with his wife Smt. Rajneet Kaur and her daughter's Asis Kaur and Sukhmani Kaur from her former husband. Any person dealing with Rajneet Kaur & her daughter's Asis Kaur & Sukhmani Kaur shall deal at his/her own risk and cost.
Advocate-Rajender Prasad(BCD281/14)

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Smt. Saroj Chaudhary w/o Late Sh. Shubh Ram R/o E-176, First Floor, West Patel Nagar, New Delhi-110008, have disowned/debarred her son Pankaj Chaudhary R/o 14/10, East Patel Nagar, New Delhi-110008, from her all moveable & immovable assets/properties located at anywhere as he has become dishonest, unfaithfull, disobedient towards my client. She has also severed all relations with him. Any person/s dealing with him shall be at his/her/their own risk. Parvesh Kr. Tyagi (Advocate) WZ-87A, Village Budhela Vikaspuri, New Delhi-110018.

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Kalu Ram s/o Khuma Ram R/o B-63,Pandav Nagar, Near Patel Nagar, New Delhi-110008, have disowned/debarred his children (1) Raj Kumar R/o Sursagar, Rajbagh,Jodhpur, Rajasthan (2)Veena w/o Jagdish R/o Meera Colony, Jodhpur,Rajasthan (3)Rekha w/o Daulat Ram R/o Sursagar, Jodhpur, Rajasthan (4) Harish R/o B-63, Pandav Nagar,New Delhi-08 from his all assets, moveable & immovable properties located at anywhere & also severed all relations with them. Any person/s dealing with them, shall be at his/her own risk. **Jagdish Chandra Trikha Advocate, M-4, Civil Side, Tis Hazari Courts, Delhi-110054.**

PUBLIC NOTICE

Be it Known to all my Client Surinder Singh S/o Late Gurdyal Singh & Sharanjit Kaur W/o Surinder Singh R/o B-1063/1, Shastri Nagar, Delhi-, has disowned his son namely "Labh Singh' S/o Surinder Singh & daughter-in-law Manprit Kaur W/o Labh Singh and Severed all his relations Social and Financial with them due to their disobedience. He has debarred them from intheriting his properties deeds and things. Anybody dealing with them shall be doing so at his/her own risk.

RITU VERMA
M.A.L.L.B, ADVOCATE
Enrl No:-D/1126/92

PUBLIC NOTICE

It is publicly informed that my client K. RAMA SWAMY S/O KANDA SWAMY R/O E-673, SHAKURPUR, J.J. COLONY, DELHI-110034, had broken all his relations from his son R. MOHAN debarred them from his movable and immovable assests before 10 years and published a PUBLIC NOTICE in National News Paper. Now my client due to his natural Love and affection towards his son R. MOHAN continue his relations like before and R. MOHAN has right in the movable and immovable assets of my clients as his natural legal heirs, the above/provious public Notice shall stand cancelled, withdraw by my clients and no more valid.

Sd/-
DINESH KUMAR (Advocate)
Office No.5 GF. DDA Market
RU Block, Pitampura, Delhi-34

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल ओम प्रकाश एवं इनकी पत्नी कांता निवासी मकान नं.-76, नांगलोई एक्सटेंशन-3, नांगलोई दिल्ली-41 ने अपने पुत्र अमित कुमार एवं पुत्र वधु-सुमन को अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है। उसके कृत्यों के लिए मेरे मुवक्किल जिम्मेदार नहीं होंगे।

Sd/-
GN SHARMA
M.B.A. LL.B (DELHI)
ADVOCATE

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुव्वकिलगण रमेश चन्द उम्र करीब 61 वर्ष एवं उनकी पत्नी लता देवी उम्र करीब 55 वर्ष निवासीगण एफ-144, गली नं.4, महावीर एन्क्लेव दिल्ली ने अपनी मर्जी से व सोच विचार करके अपने पुत्र नवीन चन्द उम्र करीब 37 वर्ष व उसकी पत्नी सुमन चौहान उम्र करीब 30 वर्ष से सदैव के लिए सम्बन्ध विच्छेद कर लिये हैं। मेरे मुव्वकिलगणों ने सम्बन्ध विच्छेद के साथ साथ उपरोक्त पुत्र नवीन चन्द व उसकी पत्नी सुमन चौहान को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से सदैव के लिए बेदखल कर दिया है और अब मेरे मुव्वकिलगण उपरोक्त पुत्र व पुत्रवधू के किसी भी अच्छे बुरे कार्य के लिये भविष्य में जिम्मेदार नहीं होंगे।

हस्ता./-
(तरुण लाल)
एडवोकेट
चेम्बर नं. 314,
पटियाला हाउस कोर्ट्स
नई दिल्ली

दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं में निर्मला सीतारमण

सीतारमण फोर्ब्स की सूची में पहली बार शामिल हुई हैं और वो 34वें स्थान पर हैं। सूची में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल पहले स्थान पर हैं।

न्यूयॉर्क, 13 दिसंबर (भाषा)।

फोर्ब्स ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एचसीएल कॉरपोरेशन की सीईओ और कार्यकारी निदेशक रोशनी नादर मल्होत्रा और बायोकॉन की संस्थापक किरन मजूमदार शॉ को दुनिया की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं में रखा है। सीतारमण फोर्ब्स की सूची में पहली बार शामिल हुई हैं और वो 34वें स्थान पर हैं।

दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की 2019 की फोर्ब्स सूची में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल पहले स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर हैं यूरोपीय सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लेगार्ड और तीसरे स्थान पर अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी। इस सूची में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 29वें स्थान पर हैं। फोर्ब्स का कहना है कि 2019 में दुनिया भर में महिलाओं से सक्रियता से आगे बढ़कर सरकार, उद्योगों, मीडिया और परमार्थ कार्यों में नेतृत्वकारी भूमिका संभाली।

भारत की वित्त मंत्री सीतारमण पहले रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। सीतारमण पहली महिला मंत्री हैं जो स्वतंत्र रूप से वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रही हैं। इससे पहले वित्त मंत्रालय का प्रभार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास रह चुका है। मल्होत्रा सूची में 54वें स्थान पर हैं। एचसीएल कॉरपोरेशन की सीईओ होने के नाते वह 8.9 अरब डॉलर की कंपनी में सभी रणनीतिक फैसले लेने के लिए जिम्मेदार हैं। मल्होत्रा कंपनी की सीएसआर समिति की अध्यक्ष और शिव नादर फाउंडेशन की ट्रस्टी भी हैं। वहीं, सूची में 65वें स्थान पर शामिल शॉ भारत की ऐसी सबसे अमीर महिला हैं जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति स्वयं कमाई है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे जहां वे 'नमामि गंगे' परियोजना के विविध आयामों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्वीट के अनुसार, 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय गंगा नदी पुनर्जीवन, सुरक्षा और प्रबंधन परिषद (राष्ट्रीय गंगा परिषद) की पहली बैठक की कानपुर में अध्यक्षता करेंगे। यह इस संबंध में हुए कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और गंगा नदी की सफाई पर चर्चा करेंगे।' सूत्रों ने बताया कि यह बैठक 11 बजे शुरू होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री गंगा नदी की साफ सफाई से जुड़े आयामों की समीक्षा करेंगे। उनके नौका भ्रमण करने की भी संभावना है।

यह बैठक शनिवार को चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में होने वाली है। गंगा नदी से जुड़ी परियोजनाएं मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तराखंड से संबंधित हैं। इसमें गंगा किनारे बसे पांच राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व प. बंगाल के मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। हालांकि अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के इसमें शामिल होने की पुष्टि नहीं हुई है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार, बैठक में बिहार से उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भाग लेंगे। इस बैठक में नमामि गंगे की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा के साथ इस कार्यक्रम की समाप्त हो रही अवधि को विस्तारित करने पर विचार होगा। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बताया कि पूरे देश में इस कार्यक्रम के तहत 28,628 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है जिसमें से बिहार में 4,653.81 करोड़ रुपए मुख्य रूप से एसटीपी और उसके नेटवर्क के निर्माण,पर खर्च किया जा रहा है।

एआईएमके को मिला राजनीतिक दल का दर्जा

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (भाषा)।

निर्वाचन आयोग ने अन्नाद्रमुक से अलग हुई टीटीवी दिनाकरण की अगुवाई वाली अम्मा मक्कल मुनेत्र कषगम (एएमएमके) को राजनीतिक दल का दर्जा देते हुए एएमएमके का नाम ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) से मिलता जुलता होने की दलील को खारिज कर दिया। आयोग ने एएमएमके के पंजीकरण को इस सप्ताह स्वीकार करते हुए शुक्रवार को स्पष्ट किया कि एएमएमके का नाम एआइएडीएमके से मिलता जुलता नहीं है।

इसने साथ ही एएमएमके के नाम में 'अम्मा' शब्द के इस्तेमाल पर अन्नाद्रमुक की आपत्ति को भी खारिज कर दिया। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी की दिवंगत नेता जे जयललिता अन्नाद्रमुक समर्थकों में 'अम्मा' के नाम से जानी जाती हैं। आयोग ने कहा कि 'अम्मा' शब्द प्रायः 'मां' के रूप में प्रयुक्त होता है, इसलिए एएमएमके के नाम में अम्मा शब्द का इस्तेमाल नहीं करने देने की अन्नाद्रमुक की मांग स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। आयोग ने एएमएमके को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देने का आदेश पार्टी के महासचिव दिनाकरण को भेज दिया है।

PUBLIC NOTICE

Be it known to the general public at large on behalf of my clients Shri Jaswant Ram Madan son of late Shri G.D. Madan and Smt. Asha Madan wife of Shri Jaswant Ram Madan, both resident of DP-109, Pitam Pura, Saraswati Vihar, North West, Delhi- 110034 that my aforesaid clients have disowned and disinherited their son namely Sumit Madan, his wife Smt. Monika Kalra and their granddaughter namely Garima, daughter of Shri Sumit Madan and Smt. Monika Kalra, from their all moveable and immoveable properties because all of them are out of control of my clients.

Sd/-
BHUPINDER MEHTANI(ADVOCATE)
Ch. No. 245, Western Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

BE IT KNOWN TO ALL CONCERNED that my clients Sh. Amarjit Singh Kohli S/o Late Sh. Bhagwant Singh and Smt. Varinder Kaur W/o Amarjit Singh Kohliresident of 4/160, Ground Floor, Subhash Nagar, New Delhi-110027, both have severed and disconnected all realations with their son Jaspreet Singh Kohli and his wife Harpreet Kaur and his daughter Gurmehar Kaur, and have disowned and disinherited their son and his legal heirs from all their movable and immovable properties. My clients shall not be responsible for any act of him whotsoever as they have no relation with them anymore. My cleints does not have any control over him and he is totally disobedient and hostile towards my client. Therefore, any person dealing with him shall be doing so at their own risk and responsibility.

Sd/-
AMIT SATIJA (Advocate)
Ch. No. 3, Civil Supply Building,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

To be Known to all that my client **PREM @ PREM DEVI** W/o Late Sh. Ram Das R/o Flat No. 156-C Blk & Pkt.-BS, Second Floor, Shalimar Bagh, Delhi-88 has misplaced/lost the Original DDA Possession Letter of JANTA FLAT No.-156-C, BLK & PKT-BS, Second Floor Shalimar bagh Delhi-88 has been lost. An NCR on this effect has been logged vide LR No. 1986384/2019 Dated 11.12.2019. Any person(s) claiming any right, interest having any objection or found in possession of original documents may write/contact the above named person at above address phone no. 9313909899 within 15 days of publication of this notice.
The person claiming any right, interest objection with respect to this property can personally inform or write to **Dy. Director (LAB)H or Director (H)-1,** D-Block, 3rd Floor, Vikas Sadan, INA, New Delhi.

Sd/-
Dev Raj Sukhija (Advocate)
Enrl. No. D64/1995.

पीएनबी धोखाधड़ी मामले में चोकसी के खिलाफ वारंट रद्द करने से इनकार

मुंबई, 13 दिसंबर (भाषा)।

एक विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से जुड़े धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट रद्द करने से इनकार कर दिया। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश वी सी बर्डे ने चोकसी के वकीलों और सीबीआइ के वकील ए लिमोसे की दलीलें सुनने के बाद चोकसी को राहत देने से मना कर दिया।

समन पर जवाब नहीं देने और जांच में शामिल नहीं होने पर अदालत द्वारा जारी वारंट को रद्द करने की मांग करते हुए चोकसी ने जून 2018 में अदालत का रूख किया था। पिछले सप्ताह भी अदालत ने इसी तरह की उसकी याचिका ठुकरा दी थी। उसने पीएनबी मामले में धन शोधन रोकथाम कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले में जारी वारंट को रद्द करने का अनुरोध किया था।

सीबीआइ की अदालत के समक्ष अपनी याचिका में चोकसी ने दावा किया कि अपने स्वास्थ्य की स्थिति के कारण वह भारत नहीं आ सकता और यहां पर उसकी जान को खतरा है। चोकसी के वकीलों ने दलील दी कि उसने जांच एजंसियों से कभी भागने की कोशिश नहीं की और जो भी पत्र उसे मिले उसका उसने जवाब दिया।

शिरडी में मानव तस्करी की संभावना, जांच करें : अदालत

मुंबई, 13 दिसंबर (भाषा)।

बंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के शिरडी शहर से पिछले एक साल में 88 से अधिक व्यक्तियों के कथित रूप से लापता होने के तथ्य का संज्ञान लिया है। अदालत ने पुलिस को उनकी गुमशुदगी के पीछे (मानव) तस्करी या अंग रैकेट की संभावना की जांच करने का आदेश दिया है।

बंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ के न्यायमूर्ति टी वी नलवाडे और न्यायमूर्ति एस एम गवान्हे की पीठ ने मनोज कुमार नामक एक व्यक्ति की 2018 की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले महीने यह टिप्पणी की। मनोज की पत्नी 2017 में शिरडी से लापता हो गई थी।

अदालत ने कहा, 'पिछले एक साल में शिरडी से 88 से अधिक लोग कथित रूप से लापता हो गए। ज्यादातर मामलों में, लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए शिरडी आए थे।' पीठ ने कहा कि गायब लोगों में कुछ का पता चला लेकिन कुछ का कोई पता नहीं चला। उनमें ज्यादातर महिलाएं थीं।

न्यायाधीशों ने कहा, 'जब कोई गरीब व्यक्ति गायब होता है तो रिश्तेदार असहाय होते हैं। ज्यादातर लोग पुलिस के पास पहुंचते ही नहीं और बमुश्किल ही ऐसे मामले इस अदालत में आ पाते हैं।'

पीठ ने कहा, 'इस प्रकार, ऐसी संभावना है कि रेकार्ड के अनुसार 88 से अधिक लोग गायब हो गए।' अदालत ने कहा कि ऐसी घटनाओं के पीछे वजह मानव तस्करी या अंगों का रैकेट हो सकती है।

अदालत ने कहा, 'ऐसी संभावना के कारण, यह अदालत अहमदनगर के पुलिस अधीक्षक को इस पर जांच के लिए विशेष इकाई गठित करने की उम्मीद करती है और तस्करी या अंगों के खरीद-फरोख्त में लगे लोगों का पता लगाने और कार्रवाई करने की उम्मीद है।'

भारतीय स्टेट बैंक
एसएमई सेंटर, 65 नीलम बाटा रोड, फरीदाबाद

कब्जा सूचना [नियम 8(1) के तहत अचल सम्पत्ति हेतु]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में भारतीय स्टेट बैंक, एसएमई सेंटर, फरीदाबाद का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते **कर्जदार श्री धर्मेन्द्र सिंह (प्रो. मैसर्स सागर बैंगल स्टोर) दुकान नं. 1एफ-42, एनआईटी फरीदाबाद**-121001 से सूचना में लिखित राशि **रु. 8,88,513.00 (रुपये आठ लाख अट्ठासी हजार पाँच सौ तेरह मात्र) तथा** 01.09.2019 **से ब्याज** का कथित सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए 31.08.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

कर्जदार द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण ऋणकर्ता(ओं)/जमानती(यों) तथा जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 9 दिसम्बर, 2019 को कब्जा कर लिया है।

व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता(ओं)/जमानती(यों) और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन **रु. 9,32,472.00 (रुपये नौ लाख बत्तीस हजार चार सौ बहत्तर मात्र)** तथा 06.12.2019 से उस पर भावी ब्याज, लागतों आदि के लिए **भारतीय स्टेट बैंक** के अभियोग का विषय होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति के स्वामी : श्री गुरुदेव सिंह एवं श्री धर्मेन्द्र सिंह, मकान सं. 5-सी/84 का सामने का भाग, क्षेत्रफल 92 वर्ग गज, एनआईटी फरीदाबाद में स्थित। **सम्पत्ति की सीमा इस प्रकार है** : उत्तर : 40 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण : सम्पत्ति का भाग, पूर्व : सम्पत्ति का भाग तथा सम्पत्ति सं. 83, पश्चिम : सम्पत्ति सं. 85.

तिथि : 13.12.2019
स्थान : फरीदाबाद

अधिकृत प्राधिकारी
भारतीय स्टेट बैंक, एसएमई सेंटर, फरीदाबाद

मौसम

तापमान	नई दिल्ली	
अधिकतम– 18.2 डि.से.		सूर्योदय– 7:05
न्यूनतम– 12.8 डि.से.		सूर्यास्त– 17:26

‘विद्यार्थियों को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाएगी सरकार’

महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए दिल्ली सरकार की कोशिश

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार विद्यार्थियों को शिष्ट आचरण का पाठ पढ़ाएगी। इसकी मदद से बच्चों को समाज में हो रहे महिला अपराधों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके लिए स्कूलों व कॉलेजों में बच्चों को शपथ दिलाई जाएगी कि वे महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं करेंगे।

केजरीवाल ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरा देश चिंतित है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार घटनाएं बढ़ रही है इस क्षेत्र में सरकार अपने काम करेगी लेकिन हम एक विशेष अभियान शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल व कॉलेजों में लड़कों को शपथ दिलवाएंगे कि कभी भी किसी महिला के साथ कोई दुराचार या व्यवहार नहीं करेंगे। बहन भी अपने भाई को यह शपथ दिलाएंगी।

उन्होंने कहा कि केवल शपथ दिलाने से काम नहीं होगा। अगर ऐसी घटना कहीं पर होती है तो ऐसे व्यक्ति का परिवार को बहिष्कार करने की जरूरत है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि समाज में इन घटनाओं पर चर्चा करने की जरूरत है, इससे इसका रास्ता निकल सकेगा। यह शपथ कक्षा 6 से कॉलेज स्तर तक के बच्चों के लिए होगी।

केजरीवाल की मालीवाल से अनशन तोड़ने की अपील

महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। अनशन की वजह से स्वाति मालीवाल की बिगड़ रही स्वास्थ्य स्थिति पर मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने मालीवाल से अपील की कि अब उन्हें अनशन छोड़ देना चाहिए। उनकी सेहत व जिंदगी बेशकीमती है। उन्होंने कहा उनके अनशन का असर है कि उनकी काफी मांगों पर काम किया जा रहा है।

दक्षिणी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र
(संस्कृति मन्त्रालय, भारत सरकार)
दक्षिणी, मेडिकल कॉलेज रोड, थंजावुर-613 004, तमिलनाडु
सीधी भर्ती द्वारा निम्नलिखित पदों हेतु आवेदन आमन्त्रित करता है

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	श्रेणी	वेतनमान	15.12.2019 को आयु सीमा
01.	प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव	3	अना.	रु. 35400(पीएल-6)	न्यूनतम 18 वर्ष-अधिकतम 30 वर्ष
02.	असिस्टेंट प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव	2	अना.	रु. 25500(पीएल-4)	न्यूनतम 18 वर्ष-अधिकतम 25 वर्ष
03.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	1	अना.	रु. 35400(पीएल-6)	न्यूनतम 18 वर्ष-अधिकतम 30 वर्ष
04.	कनिष्ठ सहायक	2	अना.	रु. 25500(पीएल-4)	न्यूनतम 18 वर्ष-अधिकतम 25 वर्ष

विवरण तथा आवेदन प्रपत्र वेबसाइट **szccindia.org** से प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में निदेशक, दक्षिणी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, थंजावुर के पक्ष में थंजावुर में देय रु. 100/- के पोस्टल ऑर्डर/डिमाण्ड ड्राफ्ट (अ.जा./अ.ज.जा. तथा महिला अभ्यर्थियों हेतु उपर्युक्त शुल्क से छूट है) सहित आवेदन निदेशक के पास उपर्युक्त पते पर भेजने है। आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 17 जनवरी, 2020 है।

ह./- निदेशक
दक्षिणी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र,
थंजावुर

davp 09132/11/0006/1920

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

शुद्धिपत्र-1

दिनांक 15.11.2019 को प्रकाशित "एनएससीबीआई एयरपोर्ट, कोलकाता में एप्रन एवं टैक्सी लिंक (नारायणपुर साइड) को जोड़ने के लिए सी श्रेणी एयरक्राफ्ट के लिए 3 हैंगर्स का निर्माण। उपशीर्ष: मोटोराइज्ड स्लाइडिंग गेट का डीएसआईटीसी" कार्य के लिए निविदा आईडी नं 2019_AAI_28217_1 का संदर्भ लें। ई-निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 18.12.2019 को 1800 बजे तक बढ़ा दी गई है। विस्तृत जानकारी के लिए सीपीपी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल वेबसाइट https://etenders.gov.in/eprocure/app या www.aai.aero पर लॉग ऑन करें।

स्वर्णगंगा कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
U45400DL2011PTC216126
फार्म नं. आइएनसी-26
[कंपनीज़ (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30 के अनुवर्ती]
एक राज्य से अन्य राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केंद्र सरकार के समक्ष
क्षेत्रीय निदेशक-उत्तरी क्षेत्र के माध्यम से
कंपनीज़ (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30 के उप नियम (5) के खंड (ए) तथा कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप धारा (4) के विषय में।
तथा
स्वर्णगंगा कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-141 डीडीए शेड ओखला फेज़-I, नई दिल्ली 110020
.........आवेदक कंपनी

सूचना

सामान्य जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अपना पंजीकृत कार्यालय **"केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली"** से **"राजस्थान राज्य"** में बदलने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए दिनांक 19 **नवंबर**, 2019 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार मेमोरंडम ऑफ असोसीएशन के परिवर्तन की पुष्टि मांगने के लिए कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अंतर्गत केंद्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के माध्यम से) को आवेदन करना प्रस्तावित है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन द्वारा प्रभावित होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कम्प्लैक्स, नई दिल्ली**-110003 को विरोध के कारण तथा हित की प्रकृति वर्णित करने वाले शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आपत्तियों को पंजीकृत डाक द्वारा या कारणों को भेजें या **निवेशक शिकायत प्रपत्र भरने द्वारा एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर डिलीवर करने के साथ उसकी प्रति आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय बी-141 डीडीए शेड ओखला फेज़-I, नई दिल्ली 110020 पर भेजनी है।

हिते एवं कृते आवेदक
कृते स्वर्णगंगा कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
मनीष कुमार गिरधारीलाल लठ
दिनांक: 14.12.2019 निदेशक
स्थान: नई दिल्ली (DIN 00102935)

शुद्धिपत्र

कृपया 13.12.2019 को इस समाचार पत्र में प्रकाशित "प्रपत्र सं. आईएनसी-26" (मै.स्नो लेओपार्ड एडवेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड) का हमारा पहले का विज्ञापन देखें। कृपया ध्यान रहे कि असाधारण वार्षिक आम सभा 20 दिसम्बर, 2019 की जगह 20 नवम्बर, 2019 को आयोजित की गई थी।
सूचना के शेष विषय पूर्ववत रहेंगे।
स्नो लेओपार्ड एडवेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड के लिये
हस्ता/-
अजीत बजाज
(प्रबंध निदेशक)
DIN :00570056

CSL Finance Limited

Regd. Office: 410-412,18/12, 4th Floor, W.E.A. Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110005
(CIN: L74899DL1992PLC051462; Tel.: 0120-4290650; Email: info@cslfinance.in; Web: www.cslfinance.in)
Extract of Un-audited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30th September, 2019
Amount (Rs. in lacs)

	Particulars	QUARTER ENDED 30.09.2019 (UN-AUDITED)	HALF YEAR ENDED 30.09.2019 (UN-AUDITED)	QUARTER ENDED 30.09.2018 (UN-AUDITED)
1	Total income from operations	1512.52	3251.54	1596
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	923.29	1844.82	801.55
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	923.29	1844.82	801.55
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	724.69	1379.15	587.33
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	724.69	1379.15	587.33
6	Equity Share Capital	606.63	639.53	696.66
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	20474.49	20474.49	17748.64
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)			
	1. Basic:	11.75	22.34	8.19
	2. Diluted:	11.66	22.17	8.74

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-audited Quarterly Financial Results of the quarter and half year ended 30.09.2019 are available on the Stock Exchange website - www.bseindia.com and on the company's website at www.cslfinance.in.
2. The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 13.12.2019.
3. The above financial results have been prepared in accordance with principles laid down in Indian Accounting Standards.

By order of the Board
Sd/-
Rohit Gupta
Managing Director
DIN: [illegible]

Place : New Delhi
Date : 13.12.2019

भारतीय नौसेना

अवसरों का महासागर

10+2 (बी.टेक) कैडेट एन्ट्री स्कीम (स्थायी कमीशन)
कोर्स प्रारम्भ-जुलाई 2020

भारतीय नौसेना उन अविवाहित पात्र पुरुष अभ्यर्थियों से जिन्होंने सीनियर सेकेण्ड्री परीक्षा (10+2 पैटर्न) पर या किसी बोर्ड से इसके समकक्ष परीक्षा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित (पीसीएम) में न्यूनतम 70% तथा अंग्रेजी में न्यूनतम 50% (या तो कक्षा X में या कक्षा II में) सहित उत्तीर्ण की, 10+2 (बी.टेक) के तहत चार वर्षीय डिग्री कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन आमन्त्रित करती है।

आयु सीमा

02 जनवरी, 2001 तथा 01 जुलाई, 2003 (दोनों तिथियाँ शामिल) के बीच जन्म हुआ हो।

नोट :

(अ) अभ्यर्थियों को अपना पंजीकरण तथा अपने आवेदन 29 नवम्बर से 19 दिसम्बर, 2019 के बीच भर्ती की वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जमा करने होंगे। आवेदन जमा करने की खिड़की पर समय बचाने के लिए अभ्यर्थी अपने विवरण अग्रिम रूप से भरकर दस्तावेजों को अपलोड कर सकते हैं।
(ब) ऑनलाइन (ई-आवेदन) : ई-आवेदन भरते समय व्यक्तिगत विवरण उचित रूप से भरने में सक्षम होने के लिए प्रासंगिक दस्तावेज पहले से तैयार रखने का परामर्श दिया जाता है।
(स) विवरण मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट/12वीं के सर्टिफिकेट में दिये गये के अनुसार भरे जाने हैं।
(द) ई-मेल पते, मोबाइल नम्बर जैसे स्थान अनिवार्य रूप से भरे जाने हैं।
(य) आवेदन भरते समय अटैच करने के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेज (विशेष रूप से मूल रूप में), जन्म प्रमाण पत्र (10वीं/12वीं के प्रमाणपत्रों के अनुसार), 10वीं की अंकतालिका, 12वीं की अंकतालिका, जेईई (मेन)-2019 का स्कोर कार्ड (अखिल भारतीय रैंक प्रदर्शित करते हुए तथा हाल ही का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ मूल रूप में स्कैन करके जेपीजी/टिफ प्रारूप में।
(र) यदि किसी कारण से स्कैन किया गया दस्तावेज अस्पष्ट/अपठनीय है तो आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
(ल) ऑनलाइन आवेदन की एक प्रति का प्रिंट लेकर एसएसबी साक्षात्कार के समय मूल प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों के साथ लाएँ।

महत्त्वपूर्ण :

(अ) विस्तृत सूचना तथा चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित पूर्ण विज्ञापन 23 नवम्बर, 2019 के रोजगार समाचार में प्रकाशित किया जायेगा और साथ ही यह www.joinindiannavy.gov.in पर भी उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी 29 नवम्बर से 19 दिसम्बर, 2019 तक आवेदन कर सकते हैं। अन्तिम समय की भीड़ से बचने के लिए आवेदन शीघ्र करने का परामर्श दिया जाता है।
(ब) अपने ऑनलाइन आवेदन अन्तिम रूप से जमा करने से पूर्व वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
(स) आपका आवेदन बाद की जाँच का विषय है। यदि किसी भी समय आवेदन अपात्र/अवैध पाया जाता है तो वह निरस्त किया जा सकता है।
(द) ऑनलाइन आवेदन बन्द होने के पश्चात अपलोड किये गये दस्तावेजों में संशोधन के लिए किसी निवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
(य) यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में कोई घोषणा गलत पायी जाती है तो आपका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा।
(र) इस विज्ञापन में दिये गये नियम एवं शर्तें परिवर्तित हो सकती हैं और इसलिए इसे केवल दिशा-निर्देश के रूप में लिया जाना चाहिए।

क्यूआर कोड के माध्यम से आवेदन करें
चरण 1 : क्यूआर कोड स्कैनर एप डाउनलोड करें
चरण 2 : क्यूआर कोड एप खोलें और इसे स्कैन करें
चरण 3 : यूआरएल खोलें और निर्देशों का अनुपालन करें

davp 10701/11/0029/1920

www.readwhere.com

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	18.7 डि.से.	18.7 डि.से.	18.5 डि.से.	19.0 डि.से.
न्यूनतम	12.8 डि.से.	12.8 डि.से.	12.7 डि.से.	12.8 डि.से.

नागरिकता कानून के खिलाफ नागरिक संगठन सड़क पर उतरे
जामिया के युवाओं की पुलिस से झड़प

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली में शुक्रवार को कई विरोध प्रदर्शन किए गए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों का प्रदर्शन तो हिंसक हो गया। छात्रों का मार्च रोकने के कारण प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हो गई। प्रदर्शनकारी विश्वविद्यालय से निकलकर संसद भवन की ओर जाना चाह रहे थे। पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने लाठियां चलाई। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। छात्रों ने भी पथराव किया। पुलिस ने सड़क को घेर दिया तो प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर चढ़ गए।

संसद मार्ग, जंतर मंतर पर जमघट रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के परामर्श के बाद ऐहतियात के तौर पर दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने पटेल चौक और जनपथ मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वारों को घंटों बंद कर दिया गया। देर शाम उन्हें फिर खोल दिया गया। इसमें कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं।

मजदूर किसान शक्ति संगठन के बैनर तले अरुणा राय, शंकर सिंह, और निखिल डे ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह से भारतीय संविधान के मूल ढांचे को कमजोर नहीं होने देगा। उन्होंने कहा-यह कानून भेदभाव और पक्षपातपूर्ण है।

नागरिक संगठनों की ओर से रवि नायर, अनिल चमड़िया, मौलाना असगर अली, नवेद हामिद जफर महमूद, सलीम इंजीनियर आदि ने प्रेस कांफ्रेंस कर संशोधन कानून देश को बांटने और अस्थिर करने वाला बताया। उन्होंने साझा बयान में कहा-यह देश के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। उन्होंने इसका विरोध किया और देश के राष्ट्रपति से अपील की कि वे इसपर अपनी सहमति न दें और पुनर्विचार के लिए इसे सदन में वापस भेजें। सोशलिस्ट युवजन सभा ने भी नागरिकता संसोधन विधेयक का विरोध किया। युवजन सभा की ओर से विशाल जोशी और प्रदीप साह ने कहा उनकी पार्टी इसपर सक्रिय आंदोलन करेगी। उन्होंने नागरिकों से सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने की अपील की।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई।

12 पुलिसकर्मी घायल

दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल मित्तल ने बताया कि हादसे में 12 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को चोटें पहुंची हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर है। दोनों को पास अस्पताल के आइसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने भी जामिया पहुंचे। उन्होंने लाठीचार्ज और आंसू गैस की निंदा की और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।

कानून पर चुप्पी तोड़ें मुख्यमंत्री : सुभाष चोपड़ा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

दिल्ली कांग्रेस ने केंद्र सरकार और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार देश में धार्मिक ध्रुवीकरण की नीयत से यह विधयेक लेकर आई है, ताकि उसे इसका फायदा मिल सके। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस विधयेक पर एकदम से चुप्पी साध रखी है, जिससे जाहिर होता है कि अंदरखाने इसका समर्थन कर रहे हैं।

सुभाष चोपड़ा ने इस मामले पर ट्वीट के जरिए भी केजरीवाल पर सीधा निशाना साधा है। मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने आरोप लगाया कि एक रणनीति के तहत केजरीवाल ने इस मुद्दे पर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है, वहीं दूसरी ओर जनता को भ्रमित करने के लिए राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह आधे-अधूरे मन से विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेकर बीच का रास्ता लेते हुए बोलते है। वहीं, सीलमपुर में विधेयक के विरोध में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने रैली निकाल विरोध जताया। इस दौरान अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा कि भाजपा धर्म निरपेक्षता पर बार-बार हमला कर रही है। पर देश ने कभी स्वीकार नहीं किया।

हिंसक प्रतिशोध की गाथा

मर्दानी- 2

रेटिंग- ★★

निर्देशक- गोपी पुत्रन

कलाकार- रानी मुखर्जी विशाल जेठवा, जिसु सेनगुप्ता, दीपिका अमीन, श्रुति बापना

साल 2014 में रानी मुखर्जी की फिल्म आई थी मर्दानी। 'मर्दानी-2' उसी का सिक्वेल है। यह फिल्म महिलाओं के साथ हो रहे और बढ़ रहे बलात्कार की घटनाओं को लेकर बनाई गई है। राजस्थान के कोटा को केंद्र बनाकर कहानी गढ़ी गई है। यहीं पर पोस्टेड है पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय (रानी मुखर्जी)। और यहीं का है सनी (विशाल जेठवा) जो एक सीरियल रेपिस्ट है। सनी चालाक है, धूर्त है शातिर है और हृदयहीन है। उसे पकड़ना या कानून के फंदे में लाना आसान नहीं है। पर उसका सामना होता है एक ऐसी महिला पुलिस अधिकारी से जो न सिर्फ जांबाज है बल्कि महिलाओं के साथ होनेवाले किसी अत्याचार को मिटाने के लिए कटिबद्ध है। शिवानी सरेआम उन लोगों की धुलाई करती है जो महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यहार करते हैं। क्या शिवानी ऐसे चालाक अपराधी को कानूनी शिकंजे में ले पाएगी?

इसमे संदेह नहीं कि 'मर्दानी-2' उस समय आई है जब महिलाओं और लड़कियों के साथ यौन दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ रही हैं। पर यह उस समय भी आई है जो पुलिस कानून अपने हाथ में लेकर उन लोगों का काउंटर करते हुए उनकी हत्याएं भी कर रही है जिनपर बलात्कारी होने के आरोप है। हैदराबाद एक हालिया उदाहरण है। यह फिल्म भी पुलिस के कानून में हाथ में लेने और अपराधियों को अपनी तरफ से दंड देने की वकालत करती भी दिखती है। 'मर्दानी-2' हिंसक प्रतिशोध की कहानी भी है। क्या ऐसे हिंसक प्रतिशोध का समर्थन किया जाना चाहिए। यह सवाल भी उठता है। हम एक न्यायप्रिय समाज बनाना चाहते हैं या प्रतिशोध से भरा समाज। हालांकि इस तरह के संदेश कई फिल्मों में आए हैं और आते रहे हैं। इसलिए मर्दानी-2 में जो दिखाया गया है उसमें नया कुछ नहीं है। यहां सिर्फ यह कहा जा रहा है कि यह फिल्म पुलिस यौन दुर्व्यवहार को जितनी संवेदनशील है उससे अधिक पुलिस द्वारा कानून को हाथ में लेने के समर्थन में खड़ी दिखती है।

रानी मुखर्जी पुलिस अधिकारी की भूमिका में जबर्दस्त रूप से दमदार हैं। कह सकते हैं कि ये फिल्म सिंघम जैसी फिल्मों की कड़ी में है जिसमें पुलिस अधिकारी को ईमानदार के साथ साथ अपराधियों की ठुकाई करनेवाला दिखाया जाता रहा है। रानी अब अपने करिअर से उस दौर में जहां वह किसी रोमांटिक भूमिका के लिए नहीं रह गई है, इसलिए पुलिस अधिकारी की भूमिका में ही लीड रोल में आ रही है। अब भी वे अपने चेहरों पर जज़बात दिखाने में सक्षम हैं। जहां तक फिल्म के खलनायक विशाल जेठवा का मसला है वे एक नई खोज की तरह हैं। हालांकि वे टेलीविजन के जाने माने कलाकार हैं पर अपने इस फिल्मी रूप में वे एक ऐसे शख्स के रूप में सामने आते हैं जो मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी क्रूर यानी साइको है। बिना किसी पश्चाताप के अपराध करनेवाला।

'नब्बे फीसद महिलाओं को पसंद है आप'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक सर्वेक्षण के आधार पर दावा किया कि दिल्ली की 90 फीसद महिलाएं आम आदमी पार्टी को पसंद करती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मदद नहीं बल्कि मौका चाहिए। उनको मौका मिलता है तो वे सीधे चौका लगाती हैं। वे नई दिल्ली में फिक्की महिला संघ के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को पसंद करने के लिए अलग- अलग तर्क दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में देश में महिला सुरक्षा पर चिंता जताई। उन्होंने 49 दिन की सरकार में दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है तो महिलाओं की सुरक्षा भी दी जा सकती है, इसके लिए केवल व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि देश की पुलिस बहुत अच्छी है। केवल व्यवस्था में गड़बड़ी के कारण महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है। एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मुफ्त बस सफर 88 फीसद महिलाओं को पसंद आ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे विरोधियों ने इसका खूब विरोध किया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जितनी महिलाएं हैं, उसमें सिर्फ 11 फीसद महिलाएं बाहर काम करती हैं। मेट्रो में 33 फीसद ही महिलाएं और 67 फीसद पुरुष सफर करते हैं। डीटीसी में 30 फीसद महिलाएं व 70 फीसद पुरुष हैं।

अरविंद केजरीवाल ने कहा, महिलाओं को आत्मविश्वास देने की जरूरत है। महिलाओं को भरोसा नहीं है कि पुलिस मदद देगी। उन्होंने कहा हमारे पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं अगर पुलिस को व्यवस्था को कहा जाए सुरक्षा दो, राजनीति नहीं चलेगी तो देंगे। वह आत्मविश्वास लाना होगा। उन्होंने कहा कि जब स्कूल व अस्पताल ठीक हो सकते हैं तो पुलिस भी ठीक किया जा सकता है।

कोर्ट ने जेएनयू प्रशासन से कहा : आपको बस कमरों का क्रमांक पता

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इस बात पर हैरानी जताई कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) को उन विद्यार्थियों के अकादमिक ब्योरों की कोई जानकारी नहीं है जिनके खिलाफ उसने अवमानना की याचिका दायर की है। विश्वविद्यालय का कहना है कि छात्रों ने प्रशासनिक ब्लॉक के 100 मीटर के दायरे में प्रदर्शन किया। न्यायमूर्ति एके चावला ने विश्वविद्यालय से एक हलफनामा दायर करने को कहा है। इसमें उन छात्रों के पाठ्यक्रम, उनकी स्थिति और परिसर में उनके रहने की अवधि की जानकारी देने को कहा गया है जिनके खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की गई है। अदालत मामले पर सुनवाई अगले शुक्रवार को करेगी। अदालत ने कहा, 'यह स्तब्धकारी है कि आप अवमानना का मामला दायर करते हैं लेकिन आपको विद्यार्थियों के बारे में कुछ नहीं पता है। उनमें से एक पिछले साल अवमानना के मामले में दोषी पाया गया था।' न्यायमूर्ति चावला ने कहा, 'आपको बस (विद्यार्थियों के) कमरों का क्रमांक ही पता है।' सुनवाई के दौरान मौजूद जेएनयू के रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी नौ विद्यार्थियों में उस गीता कुमारी का ब्योरा नहीं दे पाए जिसे विवि के अनुसार पिछले साल हाई कोर्ट ने प्रशासनिक प्रखंड के समीप प्रदर्शन करने को लेकर दोषी पाया था।

झुग्गी वालों को मकान देगा डीडीए

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

झुग्गी कॉलोनियों में रहने वालों को दिल्ली विकास प्राधिकरण 40 हजार मकान देगा। इसके लिए प्राधिकरण ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। शुक्रवार को भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि ये मकान विभिन्न 32 कैम्प के निवासियों को मिलेंगे।

इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने 160 झुग्गी कैम्प को पक्का मकान बनाने के लिए सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है। इस अवसर पर मीडिया प्रभारी प्रत्युष कंठ, सह-प्रभारी नीलकांत बक्शी समेत भाजपा के अन्य नेता उपस्थित थे। उन्होंने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि डीडीए द्वारा धनराशि जमा कराने के बावजूद 10 माह तक पक्का मकान देने के लिए सर्वे को रोककर रखा था और इसकी जगह मुख्यमंत्री योजना के तहत सर्वे शुरू कर दिया था। इस बात को लेकर डीडीए ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर कहा कि सरकार नियमों नजरअंदाज कर सर्वे करा रही है। इसे तुरन्त रोका जाए। इसके उपरान्त 20 अगस्त, 2019 को डीडीए ने स्वयं सर्वे शुरू कर दिया। 185 डियूसिब कैंपों को डीडीए के सर्वे के अन्दर जोड़ने की मांग करते हुए कहा कि 5173 झुग्गीवासियों ने बैंक से लोन लेकर 68 हजार प्रति झुग्गी के हिसाब से दिल्ली सरकार को 39 करोड़ 40 लाख रुपए जमा करवाए, फिर भी दिल्ली सरकार द्वारा उन्हें कोई भी पक्का मकान नहीं दिया।

चेन्नई के शख्स ने मेट्रो के आगे जान दी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर दो पर शुक्रवार को चेन्नई निवासी भगत जे (33) ने मेट्रो ट्रेन के आगे कूद कर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे पुलिस को मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम भगत को पास के राम मनोहर लोहिया अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वह इन दिनों नोएडा स्थित एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे और नोएडा के सेक्टर-128 में ही किराए के मकान में रहते थे। पुलिस ने बताया कि उनके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। इस कारण आत्महत्या के सही कारणों का पता नहीं चल सका है। घटना की जानकारी परिवार को दे दी गई है। उनके आने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा।

दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल मित्तल ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे पुलिस को सूचना मिली कि जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर एक शख्स ट्रेन के आगे कूद गया है।

घर बैठे मिलेगा 30 और सरकारी सेवाओं का लाभ

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

जनता को दिल्ली सरकार की 30 और नई सेवाएं अब घर बैठे उपलब्ध होंगी। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, प्रमाणपत्र, जांच समेत अन्य सरकारी दस्तावेज शामिल हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार ने इन सेवाओं को डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम के तहत जोड़ा है। नई सेवाओं के शामिल होने बाद घर बैठे मिलने वाली सेवाओं की संख्या बढ़कर 100 हो गई है। अब जनता को विभिन्न 14 विभागों की सेवाएं इस व्यवस्था के तहत उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लगभग साल भर पहले दिल्ली सरकार ने एक खास प्रयोग कर इस व्यवस्था को शुरू किया था। इस सेवा के लिए दिल्ली सरकार ने एक कॉल सेंटर भी शुरू किया है। जिस पर जनता फोन करती है। इस व्यवस्था के जरिए किसी भी कागजात को बनवाने का तरीका और जरूरी दस्तावेज फोन पर ही बता दिए जाते हैं।

इसके बाद कागजी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद संबंधित व्यक्ति को घर बैठे ही प्रमाणपत्र उपलब्ध करा दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि परिवहन, डीटीसी, श्रम, बाल कल्याण, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की सेवाओं को इस योजना से जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि पिछले सवा साल में करीब 16 लाख से ज्यादा कॉल आईं। सबसे अधिक फोन जांच के लिए आए थे। इनमे 2 लाख से अधिक फोन अपने प्रमाणपत्र आदि बनवाने के लिए थे।

इस सेवा के तहत आने वाले दो लाख 78 हजार से ज्यादा लोगों में से दो लाख 64 हजार लोगों को फायदा पहुंचाया गया। आज दिल्ली की जनता तीन विकल्प से कोई भी नागरिक सरकारी खिड़की, ऑनलाइन और तीसरा डोर स्टेप सर्विस पर अपने प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन कर सकता है और उन्हें बनवा सकता है।

इन सेवाओं का अधिक उपयोग

सेवा	फीसद
ओबीसी प्रमाणपत्र	21
एससी प्रमाणपत्र	19
आय प्रमाण पत्र	17
प्रशिक्षण लाइसेंस	08
डोमिसाइल प्रमाणपत्र	05

अब ये भी करवा सकेंगे जांच

पीएसवी बैज, कंडेक्टर लाइसेंस, बीपीएल-एएवाई बस पास, वरिष्ठ नागरिक पास, विकलांग पास, तनावग्रस्त महिलाओं की पेंशन व अन्य

अग्निकांड में मारे गए मजदूरों के लिए धरना

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति ने पिछले दिनों अनाज मंडी के अवैध कारखाने में आगजनी से मारे गए तीस मैथिल मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए धरना दिया। इसकी अगुआई राजेंद्र शर्मा और संचालन शिशिर कुमार झा ने किया।

समिति के संयोजक अमरेंद्र झा और शिशिर कुमार झा ने दिल्ली, बिहार सरकार और उत्तरी दिल्ली नगर निगम से दस-दस लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दाने की मांग की। दोनों नेताओं ने पलायन के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों को दोषी ठहराया। उन्होंने पृथक मिथिला राज्य बनाकर मिथिला के सर्वांगीण विकास करवाने की अपील की। धरने पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, सांसद रामप्रीत मंडल, दिल्ली कांग्रेस के अभियान समिति के प्रमुख कीर्ति आजाद, गोपाल झा, विधायक संजीव झा आदि मौजूद थे।

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

न्यू सोशलिस्ट इनेशिएटिव : हिंदी जगत और आधुनिकता विषय पर विचार गोष्ठी, गांधी शांति प्रतिष्ठान, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, शनिवार शाम साढ़े पांच बजे।

मेडिकल स्टोर में लगवाई दो साल की बच्ची को सुई, मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

जीटीबी एन्क्लेव थाना क्षेत्र में एक परिवार ने घर के पास के मेडिकल स्टोर में जाकर बिना डॉक्टर की सलाह के दो साल की बच्ची को दवा दी और इंजेक्शन लगवाया, जिसके बाद बच्ची की हालत बिगड़ने लगी। उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिजनों का कहना है कि बच्ची को सर्दी-जुकाम हुआ था। शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त अमित शर्मा का कहना है कि परिवार की शिकायत पर आरोपी स्टोर संचालक मनीष को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित परिवार जीटीबी एंक्लेव में रहता है। दो साल की बच्ची के पिता एक कारखाने में मजदूरी का काम करते हैं। पिछले करीब चार दिनों से बच्ची को सर्दी-जुकाम और बुखार की शिकायत थी। घरेलू उपचार करने के बाद मां-पिता घर के पास के एक मेडिकल स्टोर पर बच्ची की तबीयत के बारे में सलाह लेने के लिए गए थे। इस पर मेडिकल स्टोर संचालक मनीष ने सलाह देने के बजाए उन्हें दो दिन की दवाई दे दी।

परिजनों ने घर आने के बाद बच्ची को दवा दी। आराम न लगने पर वह गुरुवार को दोबारा मेडिकल स्टोर पर पहुंचे। इस दौरान मनीष ने खुद ही बच्ची को एक इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाने के 15 मिनट बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजन बच्ची को लेकर तुरंत अस्पताल गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को पकड़ लिया।

खोज

आइआइटी मद्रास कर रहा है इस परियोजना पर काम
पुआल से विकसित करेंगे बिजली बनाने की स्वदेशी तकनीक

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

पुआल के बेहतर उपयोग व प्रदूषण का समाधान करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) मद्रास ईंधन के रूप में धान के पुआल का उपयोग करके ताप विद्युत उत्पादन करने के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करेगा। आइआइटी का कहना है कि यह 'स्टबल बर्निंग' से निपटने के लिए अहम कदम होगा। पुआल खेतों में जलाने से मिट्टी का क्षरण होता है। मिट्टी के फायदेमंद जीव नष्ट हो जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी हानिकारक गैसों व प्रदूषक कणों (पीएम) को उत्सर्जन होता है।

अकेले पंजाब और हरियाणा में हर साल 35 मिलियन टन धान की पैदावार होती है, जो मवेशियों के भोजन के लिए उपयुक्त नहीं है। खेतों में जलाया जा रहा है। लेकिन उसी पुआल में लगभग 3200 से 3500 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम का उपयोगी तापमान होता है, जो थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाले कोयले के लगभग बराबर होता है। सुखबीर एग्रो एनर्जी लिमिटेड (एसएईएल) दो बायोमास-आधारित बिजली संयंत्रों का संचालन कर रहा है। एक उत्तर प्रदेश और दूसरा पंजाब में। यह पंजाब में दो सौ फीसद धान के पुआल आधारित बिजली संयंत्रों को चालू करने की प्रक्रिया में है, इसके अलावा हरियाणा राज्य में एक ही ईंधन पर आधारित दो और बिजली संयंत्रों को शुरू करने की योजना है।

यह संयंत्र डेनमार्क की कंपनियों की ओर से प्रदान की गई तकनीक पर आधारित हैं व इसकी सीमाएं हैं। लिहाजा प्रौद्योगिकी को स्वदेशी रूप से भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है, जिसमे बेहतर दक्षता और विश्वसनीयता हासिल करने के लिए और सुधार की आवश्यकता है।

इस मकसद के साथ कंपनी ने आइआइटी चेन्नई में 'नेशनल सेंटर फॉर कम्बशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट' से साझेदारी की है ताकि अनुसंधान और विकासात्मक गतिविधियों के संचालन में सहयोग किया जा सके। इसके लिए आइआइटी मद्रास में पुआल के जलने को बारीकी से देखने के लिए ब्वायलर लगाकर काम किया जाएगा। इसके आंकड़ों का विश्लेषण करके आगे का विकास किया जाएगा।

इसमें देखा जाएगा कि सुरक्षित ढंग से पुआल से बिजली कैसे बनाई जाए व क्या इसमें नगर निगम के ठोस कचरे को भी मिलाया जा सकता है। इस बारे में आइआइटी के प्रोफेसर इंचार्ज सत्यनारायण चक्रवर्ती ने कहा कि इसका परीक्षण पहले प्रयोगशाला में किया जाएगा इसके बाद पंजाब में ब्वायलर का नमूना बना कर वहां फील्ड परीक्षण किया जाएगा। इस पहल के फायदों पर प्रकाश डालते हुए सुखबीर एग्रो एनर्जी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक जसबीर सिंह आवला ने कहा कि यह सहयोग पुआल जलाने की तकनीक को स्वदेशी बनाने और आयात से बचने के लिए किया गया है। मेक इन इंडिया अभियान के तहत यह पहल की गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा में हर साल उपलब्ध पुआल से लगभग 4000 मेगावाट बिजली संभव है।

इसे ग्रीनहाउस गैसों के बिना उत्पन्न किया जा सकता है इसके अलावा भूमि को जलने से बचाया जा सकता है। प्रौद्योगिकी विकास केंद्र बिजली संयंत्र के संचालन और रखरखाव के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम और पाठ्यक्रम संचालित करके कौशल विकास केंद्र के रूप में भी काम करेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर वी राघवन ने कहा कि बॉयलरों के परिचालन मापदंडों में भारत के हिसाब से बदलाव किया जाएगा। इसे बॉयलर के उत्सर्जन में कमी लाने और लंबे समय तक चलाने में सक्षम बनाना होगा।

www.readwhere.com

'370 हटने के बाद कोई भी नाबालिग नजरबंद नहीं'

पीठ ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक ने 25 सितंबर को एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें मीडिया और याचिका में किए गए दावों और आरोपों का साफ तौर पर खंडन किया गया था।

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की किशोर न्याय समिति की उस रिपोर्ट से संतुष्ट है जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद किसी भी नाबालिग को जेल में नजरबंद नहीं किया गया है। शीर्ष अदालत ने किशोर न्याय समिति की रिपोर्ट के अवलोकन के बाद कहा कि हाई कोर्ट के चार न्यायाधीशों ने जम्मू-कश्मीर की सभी जेलों का दौरा किया और उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी भी नाबालिग को गैरकानूनी तरीके से नजरबंद नहीं किया गया है।

न्यायमूर्ति एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा अपने ही न्यायाधीशों पर अविश्वास करना उचित नहीं होगा। पीठ ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब याचिकाकर्ता एनाक्षी गांगुली की ओर से वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी ने समिति की रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए समय देने पर जोर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान रद्द किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में नाबालिगों को भी नजरबंद किया गया है।

पीठ ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में नाबालिगों की कथित नजरबंदी के बारे में याचिकाकर्ताओं को कोई शिकायत है तो वे राहत के लिए उचित मंच पर जा सकते हैं। अदालत ने पांच नवबर को समिति से कहा था कि सुरक्षा बलों द्वारा नाबालिगों को हिरासत में रखे जाने के आरोपों की नए सिरे से जांच करके यथाशीघ्र रिपोर्ट पेश की जाए।

जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ ने घुसपैठिए को मार गिराया

जम्मू, 13 दिसंबर (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने की कोशिश कर रहे एक घुसपैठिए को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने मार गिराया। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश और कम दृश्यता के बीच एक घुसपैठिया भारत की सीमा की तरफ बढ़ रहा था जिसे सांबा सेक्टर के मंगुचक क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सीमा की रक्षा कर रहे बीएसएफ के जवानों ने देखा।

उन्होंने बताया कि बीएसएफ के जवानों ने चेतावनी देते हुए गोलियां चलाईं लेकिन घुसपैठिया आगे बढ़ता रहा जिसके बाद गोलीबारी के दौरान उसकी मौत हो गई।

सिंडिकेट बैंक — पंजाबी बाग शाखा
बिल्डिंग नं. 2 एवं 3, सेन्ट्रल मार्केट, पंजाबी बाग, नई दिल्ली-26
टेली. 25223774, 25224456, 25226696, ईमेल: br.9011@syndicatebank.co.in

संदर्भ सं. 9011/एनपीएएसएफ/एयूसी/2019-001 तिथि: 9.12.2019
ड्यू एक. कार्ड के साथ पंजी. डाक

ऋणधारकों:	गारन्टरों/स्युरिटीज
मै. देवी ओवरसीज ट्रेडिंग क. पार्टनर श्री अनुज महाजन तथा श्री अक्षय महाजन सी-14, भूतल टैगोर गार्डन एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110095 **साथ ही:** **मै. देवी ओवरसीज ट्रेडिंग क.** पार्टनर श्री अनुज महाजन तथा श्री अक्षय महाजन 42 ए/4, लक्ष्मीनारायण कम्पाउण्ड दिलशाद गार्डन इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली	1. श्री अनुज महाजन 2. श्री अक्षय महाजन 3. श्री डी.आर. महाजन सभी निवासीः मकान सं. 178, राजा गार्डन, नई दिल्ली-110015

प्रिय महोदय,
सरफैसी अधिनियम-2002 की धारा 13 (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8(5) एवं 8(6) के अंतर्गत बिक्री सूचना
अधोहस्ताक्षरी ने सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार हमारी पंजाबी बाग शाखा के लिए आपके द्वारा देय बकाया राशि के सिलसिले में 18.3.2017 को नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
प्रतिभूत क्रेडिटर को आप से 1.7.2018 से लागतों तथा ब्याज के साथ 30.6.2018 को रु. 2,88,81,003.67 की राशि की वसूली करना है।
विषय अधिनियम तथा नियमावली के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी **https://syndicatebank.auctiontiger.net** (ई नीलामी वेबसाईट का पता) के द्वारा ई-नीलामी पद्धति में 31.12.2019 को नीचे वर्णित सम्पत्ति की बिक्री करने का प्रस्ताव करते हैं।
सम्पत्ति के लिए आरक्षित मूल्य इस प्रकार निर्धारित की गई है:-

अचल/चल सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य
अनुज महाजन के नाम में फ्रीहोल्ड खाली प्लॉट नं. आई-115ए, ब्लॉक-आई, ग्राम नांगल कलान, टीडीआई सिटी कुण्डली, हरियाणा का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तरः सम्पत्ति सं. आई 115, पश्चिमः सम्पत्ति सं. आई-116	रु. 53,35,000/-

विषय अधिनियम/नियमों के अनुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित की जा रही ई-नीलामी बिक्री सूचना की प्रति संलग्न है तथा वह इस सूचना का भाग एवं हिस्सा होगा।
एतद्द्वारा हम आपको इस सूचना की तिथि से पन्द्रह (15) दिनों के भीतर संलग्न सूचना में वर्णित सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित करने का अंतिम अवसर देते हैं जिसमें विफल रहने पर संलग्न ई-नीलामी बिक्री सूचना में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अनुसार नीचे वर्णित सम्पत्ति की बिक्री कर दी जाएगी।
तिथि: 9.12.2019 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान: नई दिल्ली **सिंडिकेट बैंक**

नियुक्तियां

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
विज्ञापन-1/2019
विभिन्न शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.ssvv.ac.in पर उपलब्ध है।
कुलसचिव

BOI बैंक ऑफ इंडिया — मन्दिर मार्ग शाखा, स्वाती वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल, नई दिल्ली-110001. फोन नं 011-28844080, 28844081

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)
जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ इंडिया, मन्दिर मार्ग शाखा, स्वाती वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल, नई दिल्ली-110001** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत **कर्जदार मैसर्स अत्री रोड कैरियर, बी-18 मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1 डीडीए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110083 (प्रोपराइटर) श्री मेहर सिंह शर्मा** को एक मांग सूचना दिनांकित **13-09-2019** को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **1,88,105/- (रुपये एक लाख अठ्ठासी हजार एक सौ पाँच मात्र)**, दिनांक 13.09.2019 तक और साथ में भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।
कर्जदार राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **12.12.2019** को लिया है।
विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **बैंक ऑफ इंडिया, मन्दिर मार्ग शाखा, स्वाती वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल, नई दिल्ली-110001**, के प्रभार वास्ते रु. **1,88,105/- (रुपये एक लाख अठ्ठासी हजार एक सौ पाँच मात्र)**, दिनांक 13.09.2019 तक और साथ में भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित **के अधीन होगा।**
उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों को मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण
सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट नं. 18, ब्लॉक-बी, मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र फेज- I, डीडीए व्यावसायिक कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110083 में स्थित, दिल्ली सब डिस्ट्रिक्ट_VI A, पीतमपुरा, दिल्ली में पंजीकृत, चौहद्दी : उत्तर में रोड, दक्षिण में – 3एम पेवमेंट, पूरब में – प्लॉट नं. ए-17, पश्चिम में – प्लॉट नं. बी-17
दिनांक : 12.12.2019, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda India's International Bank
एम.एस.एम.ई लोनी रोड, 1/3732, लोनी रोड, टिम्बर मार्केट शाहदरा, दिल्ली-110032

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)
विषय : पूर्वतः विजया बैंक अब बैंक ऑफ बड़ौदा – शाखा एम.एस.एम.ई. लोनी रोड द्वारा आपको मंजूर की गई वित्तीय सहायता – आपके द्वारा मूलधन, ब्याज इत्यादि की किस्तों के भुगतान में की गई चूक।
पूर्वतः "विजया बैंक" अब "बैंक ऑफ बड़ौदा" (वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जी.एस.आर. संख्या 2(ई) के माध्यम से 02-01-2019 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित समामेलन की स्कीम के अनुसरण में, विजया बैंक का समामेलन बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 01-04-2019 के प्रभाव से हो चुका है। समामेलन की स्कीम के निबन्धनों में पूर्वतः विजया बैंक के पक्ष में सभी ऋण दस्तावेज तथा प्रतिभूति हित बैंक ऑफ बड़ौदा (बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम, 1970 के अधीन गठित ("एक निगमित निकाय (राष्ट्रीयकृत बैंक) जिसका प्रधान कार्यालय बड़ौदा भवन, आर सी दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा-390 007, गुजरात, भारत में तथा कार्पोरेट कार्यालय सी-26, जी ब्लॉक, बड़ौदा कार्पोरेट सेन्टर, बड़ौदा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (ईस्ट), मुंबई-400 051 तथा शाखा कार्यालय अन्य स्थानों के साथ एक शाखा कार्यालय एम.एस.एम.ई. लोनी रोड, दिल्ली में स्थित है (इसमें आगे बैंक कहा गया है)" में अंतरित और निहित हो गए हैं।
जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के अधीन पूर्व में विजया बैंक अब **बैंक ऑफ बड़ौदा**, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत ऋण धारक **मैसर्स श्री आदिनाथ एंटरप्राइजेज प्रोप. श्री तरुण जैन पुत्र श्री महेन्द्र कुमार जैन, प्लॉट नंबर 1/2038, गली नं. 22, राम नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032, और: बी-39, गली नं. 07, न्यू मॉडर्न शाहदरा, दिल्ली-110032 तथा बंधककर्ता और गारंटर (1) श्रीमती दिव्या जैन पत्नी श्री तरुण जैन, बी-39, गली नं. 07, न्यू मॉडर्न शाहदरा, दिल्ली-110032 (2) श्रीमती दिव्या जैन पत्नी श्री तरुण जैन, फ्लैट नं. ए-603, 6वां तल, अहिंसा वाटिका, लोनी रोड, शाहदरा, दिल्ली-110032 को मांग सूचना दिनांक 03.09.2019 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रू 25,57,781.71 (रु. पच्चीस लाख सत्तावन हजार सात सौ इक्यासी और पैसे इकहत्तर मात्र) दिनांक 31.08.2019 तक और साथ में भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।
ऋणधारक/गारंटर राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतद्द्वारा ऋणधारक/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **10.12.2019** को लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारक/गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन **बैंक ऑफ बड़ौदा, के प्रभार वास्ते रू 25,57,781.71 (रु. पच्चीस लाख सत्तावन हजार सात सौ इक्यासी और पैसे इकहत्तर मात्र) दिनांक 31.08.2019 तक और साथ में भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि** सहित के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण
यह सम्पत्ति श्रीमती दिव्या जैन के नाम पर है।
साम्पिक बंधक भूमि एवं भवन जोकि बी-39, खसरा नं. 165 मिन में से, गली नं. 07, न्यू मॉडर्न शाहदरा, दिल्ली-110032 स्थित, भूमि क्षेत्रफल 50.00 वर्ग गज, चौहद्दी पूरब : अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम : 15 फीट चौड़ी रोड, उत्तर : सम्पत्ति सं. बी-39/1, दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति (मकान नंबर बी-38)
दिनांक : 10.12.2019, स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

सिंडिकेट बैंक — पंजाबी बाग, बिल्डिंग न. 2-3, सेन्ट्रल मार्केट्स, नई दिल्ली-110026

कब्जा सूचना
अचल सम्पत्ति के लिये प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत
जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (यहाँ के बाद "उक्त अधिनियम" वर्णित) के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक, पंजाबी बाग, नई दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 (यहाँ के बाद "उक्त नियमावली" वर्णित) के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 1.10.2019 जारी कर ऋणधारकों श्रीमती रेणु भसीन, सी-115, 1ला तल, मोतीनगर, नई दिल्ली-110015, श्री संदीप भसीन, सी-115, 1ला तल, मोतीनगर, नई दिल्ली-110015, श्री करुण अरोड़ा, 175, एमआईजी फ्लैट्स, प्रसाद नगर, नई दिल्ली-110015 को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 44,11,270.27 (रुपए चौआलिस लाख ग्यारह हजार दो सौ सत्तर तथा पैसे सत्ताईस मात्र)+अन्य चार्जेज) के साथ उस पर ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक/ गारन्टर्स/मार्टगैजर्स इस राशि को वापस लौटाने तथा निर्धारित अवधि में अपनी देयताओं को निष्पादित करने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/ गारन्टर्स/ मार्टगैजर्स तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 11 दिसम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 44,11,270.27 (रुपए चौआलिस लाख ग्यारह हजार दो सौ सत्तर तथा पैसे सत्ताईस मात्र)+अन्य चार्जेज) तथा 1.10.2019 से लागतों एवं खर्चों के लिये सिंडिकेट बैंक, पंजाबी बाग, बिल्डिंग नं. 2-3, सेन्ट्रल मार्केट, नई दिल्ली-110026 के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण
श्रीमती रेणु भसीन, पत्नी श्री संदीप भसीन के स्वामित्व में मकान सं. सी-90, II रा तल, शिवाजी पार्क, नई दिल्ली-110026 में आवासीय सम्पत्ति। चौहद्दीः उत्तरः सम्पत्ति सं. सी-91, दक्षिणः 30 फीट रोड, पूर्वः सम्पत्ति सं. सी-90 का शेष भाग, पश्चिमः 5 फीट पैसेज एवं सम्पत्ति सं. 128 एवं 129
तिथि: 11.12.2019 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान: नई दिल्ली **सिंडिकेट बैंक**

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
क्षेत्रीय कार्यालय: फरीदाबाद

लॉकर्स को तोड़ कर खोलने हेतु सूची
हमारे शाखा कार्यालय सीही सैक्टर-7, फरीदाबाद के अधोवर्णित समस्त लॉकर धारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित लॉकर्स तोड़ कर खोलने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि लॉकर धारक ने बैंक रिकार्ड के अनुसार पते पर जारी की गई विभिन्न सूचनाओं के बावजूद नियत तिथि पर लॉकर किराए का भुगतान नहीं किया है। लॉकर धारक/कानूनी वारिसों/नामितियों को एतद्द्वारा लॉकर किराए की बकाया राशि अदा करने और लॉकर में रखी उनकी बहुमूल्य वस्तुओं की जांच करने के लिए इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर शाखा कार्यालय सीही सैक्टर-7, फरीदाबाद, पधारने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर, आगे और कोई सूचना दिए बिना, पंद्रह दिन की समाप्ति के बाद किसी भी तिथि को, लॉकर बैंक की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, उनकी जोखिम, जिम्मेदारी तथा लागत पर, तोड़ कर खोले जाएंगे। कृपया नोट करें कि बैंक को उचित लॉकर किराया, लॉकर तोड़ कर खोलने की लागत अथवा इस संबंध में वहन किए गए किसी अन्य खर्च की वसूली इन लॉकरों को तोड़ कर लॉकर से मिलने वाली वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि से करने का अधिकार होगा।

क्र. सं.	लॉकर धारक का पूरा नाम और अंतिम उपलब्ध पता	लॉकर नं.	चाबी नं.	अतिदेय राशि
01	चंद रानी, मकान नं.8, सैक्टर-7ए, फरीदाबाद	AA118	AA0054107	रु. 9705.00
02	राम नारायण गुप्ता	AA139	AA005429	रु. 21560.00
03	के एन अग्रवाल, बी-515, सैक्टर-7, फरीदाबाद	BB25	AA005430	रु. 9705.00
04	मूल चंद	DD48	DD005412	रु. 11385.00
05	मुनेश और उज्जवल चौधरी	GG752	GG005423	रु. 9705.00
06	एस एन सिसोदिया	GG777	GG0054111	रु. 9705.00
07	बनवारी लाल सी/ओ शारदा फूडस एंड प्रोसेसिंग प्लॉट 95 सैक्टर -25	II919	II0054111	रु. 9705.00
08	हरस्वरूप शर्मा और कमला शर्मा, 179 सैक्टर-8	JJ938	JJ00544	रु. 9705.00
09	अनिल कुमार 1सी/4 बी/2 एनआईटी फरीदाबाद	KK1064	KK005482	रु. 9705.00
10	सीमा गर्ग और सतीश 1295 सैक्टर-15	KK1078	KK005443	रु. 11385.00
11	आर सी माहेश्वरी और रतन माला	QQ1657	QQ005488	रु. 9705.00
12	अमित पंचल	RR1764	RR005458	रु. 11385.00

पेगासस एसेट्स रीकन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
(पेगासस ग्रुप वन ट्रस्ट-37 के ट्रस्टी के रूप में)
56-56, 5वां तल, फ्रीप्रेस हाउस, नारीमन प्वाइन्ट, मुम्बई-400021

सार्वजनिक सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 (1) के अंतर्गत
वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना की स्थापन्न सेवा
एतद्द्वारा नीचे वर्णित ऋणधारकों को सूचित किया जाता है कि चूंकि उन्होंने एसाइनर इंडसइंड बैंक लिमिटेड, (बैंक) से उनके द्वारा प्राप्त साख सुविधाओं के पुनर्भुगतान में चूक की है, अतः उनकी ऋण खाता को भा.रि.बै. के दिशा निर्देशों के अनुसार एसाइनर बैंक की पुस्तकों में नीचे वर्णित रूप में गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। उसके बाद एसाइन्मेन्ट अनुबंध तिथि 29.03.2019 के माध्यम से बैंक ने इस ऋण खाता को पेगासस एसेट्स रीकन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. (यहां के बाद पेगासस एआरसी के रूप में वर्णित) को सौंप दिया है। पेगासस एआरसी के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) की धारा 13 (2) के अंतर्गत नीचे वर्णित रूप में उक्त ऋणधारकों के अंतिम ज्ञात पते पर मांग सूचना तिथि 11 नवम्बर, 2019 जारी कर उन्हें उपरोक्त राशि पर अनुबंधित दरों पर आगे के ब्याज तथा उक्त मांग सूचना में वर्णित अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ नीचे वर्णित सम्पूर्ण बकाया राशि के भुगतान की मांग की। उक्त मांग सूचना, नीचे वर्णित ऋणधारकों को प्राप्त हुए बिना वापस लौट आई अतः प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (सरफैसी नियमावली) के नियम 3 के अनुसार हम यह प्रकाशन की सेवा दे रहे हैं।

क्रम सं.	ऋणधारकों का नाम एवं पता	एनपीए तिथि	सूचना की तिथि 22.03.2019 को बकाया	प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण
1.	मै. काय पी एण्टरप्राईजेज, 15/156, एच बी, कॉलोनी, सेक्टर-14, हिरण मग्री, उदयपुर-313001 साथ हीः मकान सं. 15, इन्द्रप्रस्थनगर-बी, हिरण मगरी, सेक्टर-14, उदयपुर-313001	4.2.2019	11.11.2019/ 8425669.00 (खाता सं.) RUJ00154N)	प्लॉट न. 15, अरजी न. 1018 मी. 1019 मी 1020 मी 4552/102 मी ग्राम सबीना, तहसील गिरवा, साथ हीं मकान सं. 15 इन्द्र प्रस्थ नगर-बी, सेक्टर 14 के नाम से विदित, एचएम स्कीम, उदयपुर-313001, माप 1721.3 वर्ग फीट में स्थित आवासीय अचल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।
2.	श्री परमिन्दर सिंह वसाल, मकान सं. 15, इन्द्रप्रस्थनगर-बी, हिरण मगरी, सेक्टर-14, उदयपुर-313001			
3.	सुश्री नीना, मकान सं. 15, इन्द्रप्रस्थनगर-बी, हिरण मगरी, सेक्टर-14, उदयपुर-313001 एवं साथ हीः प्लॉट नं. 15, रेव नगर-सवीना, खसरा नं. 1018 मिन, 1019 मिन, 1020 मिन (4552/1020 मी) उदयपुर, राजस्थान			

एतदद्वारा हम उक्त ऋणधारकों को निर्देश देते हैं कि उस पर आगे के ब्याज, लागत, चार्जेज, खर्चे आदि के साथ बकाया राशि का सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर हमें भुगतान करें अन्यथा हम लागतों तथा परिणामों के लिये पूरी तरह से आपकी जोखिम पर प्रतिभूत परिसम्पत्ति का कब्जा लेने तथा बिक्री करने सहित प्रतिभूति हित को प्रवर्तित करने के लिये स्वतंत्र होंगे।
कृपया ध्यान रहे कि सरफैसी अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार आप सभी बैंक की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना बिक्री पट्टा या अन्य रूप से उक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को अंतरित करने से निषिद किये गये हैं। आपके द्वारा उक्त धारा का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर इस संदर्भ में सरफैसी अधिनियम की धारा 29 एवं/अथवा अन्य कोई कानूनी प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।
हस्ता/-
तिथि: 12.12.2019 पेगासस एसेट्स रीकन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. के लिये,
स्थान: दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी

जगत ट्रेडिंग एंटरप्राईजेज लिमिटेड
CIN: U74999DL1982PLC014411
पंजी. कार्यालय: 208, मैग्नम हाउस-II, करमपुरा कम्युनिटी सेन्टर, नई दिल्ली-110015, फोन: 011-45090162
E-mail ID: jagattradingenterpriseslimited@gmail.com, Website: www.jtel.co.in
30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का विवरण
(रु. हजारों में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त चालू तिमाही 30.9.2019	समाप्त पूर्व तिमाही 30.6.2019	समाप्त पूर्व तिमाही 30.9.2018	समाप्त छमाही के लिये तिथि तक वर्ष के आँकड़े 30.9.2019	समाप्त छमाही के लिये तिथि तक वर्ष के आँकड़े 30.9.2018
		अनंकेक्षित/ समीक्षाकृत	अनंकेक्षित/ समीक्षाकृत	अनंकेक्षित/ समीक्षाकृत	अनंकेक्षित/ समीक्षाकृत	(अनंकेक्षित/ टिप्पणी देखें)
1.	परिचालनों से कुल आय	3437.37	6477.26	4074.54	9914.63	13677.69
2.	अविध के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(3242.79)	(2073.85)	(2427.96)	(5316.64)	(14145.03)
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(3242.79)	(2073.85)	(3250.70)	(5316.64)	(17137.41)
4.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	(2723.32)	(2264.97)	(4294.19)	(4988.29)	(17179.77)
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि के हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	-	-	-	-	-
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	50816.40	50816.40	50816.40	50816.40	50816.40
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाये गये पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर)					
	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिये एफवाई का) क) मूलः ख) तरलः	(0.54) (0.54)	(0.45) (0.45)	(0.85) (0.85)	(0.98) (0.98)	(3.38) (3.38)

टिप्पणी:
उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा), 2015 के विनियमन 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों इंड एएस अनुपालक के विस्तृत प्रारूप का सार है। उक्त तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप कम्पनी की वेबसाईट पर www.jtel.co.in तथा एमएसईआई की वेबसाईट पर उपलब्ध है।
जगत ट्रेडिंग एंटरप्राईजेज लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
स्थान: नई दिल्ली (प्रवीण कुमार)
तिथि: 12 दिसम्बर, 2019 अध्यक्ष
DIN No.: 00021153

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!
बीओ.: आनंद विहार, दिल्ली
कब्जा सूचना (परिशिष्ट-IV [नियम-8(1)])
जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, (द्वितीय) 1 (अधिनियम), 2002 के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 23.8.2019 जारी कर ऋणधारक मै. अर्किन क्रिएशन प्रा.लि., द्वारा निदेशकों को एनपीए खाता नम्बर 3980008700000308, 398000IC00000127, 398000NG00000818 तथा विभिन्न गैर निधि आधारित बैंक गारन्टी के संदर्भ में, सूचना जारी कर उन्हें सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 1,92,34,282/- (रुपये एक करोड़ बानवे लाख चौंतीस हजार दो सौ बयासी मात्र) तथा 1.7.2019 से आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज (ऋणधारक द्वारा जमा की गई राशि घटाकर) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 1,92,34,282/- (रुपये एक करोड़ बानवे लाख चौंतीस हजार दो सौ बयासी मात्र) तथा 1.7.2019 से आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज के लिये पंजाब नेशनल बैंक के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण
यूनिट नं. 127 (माप 143.16 वर्ग मी.), ब्लॉक-एच, 1ला तल, रेजीडेन्सी ग्रीन्स, ग्रीनवुड्स सिटी, ग्राम झरसा, गुड़गाँव, हरियाणा। सम्पत्ति के स्वामीः श्री मनोज कुमार झा एवं श्रीमती नीता झा
तिथि: 12.12.2019 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान: दिल्ली **पंजाब नेशनल बैंक**

इंडियन बैंक Indian Bank आपका अपना बैंक • YOUR OWN BANK
सर्विस ब्रांच, तीसरी मंजिल, जी-41, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001, दूरभाष : 011-23324230, 23324231
अभिप्रेत बिक्री की सूचना दिनांक 13.12.2019

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2) तथा 8(6) के तहत तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अभिप्रेत बिक्री की सूचना

1. मैसर्स ईस्ट डेल्ही फैशन, श्री सैयद अहमद, प्रोपराइटर मैसर्स ईस्ट डेल्ही फैशन के माध्यम से, मकान नं. 1/304, श्री राम नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032 तथा साथ ही 1/270 श्री राम नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032
1. श्रीमती सबा नाज पत्नी श्री सैयद अहमद, 1/270 श्री राम नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032 तथा साथ ही मकान नं. 1/304, श्री राम नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032

श्रीमान/महोदया,
विषय : इण्डियन बैंक, नवीन शाहदरा शाखा-पंजी. के साथ आपका मुक्त नकद साख खाता
श्री सैयद अहमद, प्रोपराइटर मैसर्स ईस्ट डेल्ही फैशन ने इण्डियन बैंक, नवीन शाहदरा से ऋण सुविधा प्राप्त की, जिसका पुनर्भुगतान अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति/ यों सहित कुछ सम्पत्ति (यों), यहां के बाद "सम्पत्तियों" के रूप में वर्णित की गिरवी/हाइपोथेकशन द्वारा प्रतिभूत है। श्री सैयद अहमद बकाये का भुगतान करने में विफल रहे अतएव, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम 2002 (संक्षेप में "अधिनियम" के नाम से विदित) को मांग सूचना तिथि 13.09.2018 जारी कर श्री सैयद अहमद, प्रोपराइटर, ईस्ट डेल्ही फैशन तथा बैंक को भुगतान के लिये उत्तरदायी अन्यों को उस पर आगे के ब्याज, लागत, अन्य चार्जेज तथा खर्चे के साथ 01.09.2019 तक बकाया रु. 15,04,665/- (रु. पन्द्रह लाख चार हजार छः सौ पैंसठ मात्र) की राशि के भुगतान का निर्देश दिया गया।
माँग सूचना के बावजूद श्री सैयद अहमद, प्रोपराइटर, ईस्ट डेल्ही फैशन भुगतान करने में विफल रहा, अतः सभी सांविधिक औपचारिकता को पूरा करने के बाद प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम के अंतर्गत 12.02.2019 को अनुसूची में वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा कर लिया।
अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार प्रतिभूत क्रेडिटर कब्जे में ली गई परिसम्पत्तियों की बिक्री करने तथ शेष बकाया राशि की वसूली करने के लिए अधिकृत है। उसके अनुसार अधोहस्ताक्षरी/प्राधिकृत अधिकारी अधोलिखित पद्धति में अनुसूची कमें वर्णित प्रतिभूतियों की बिक्री करने के इच्छुक हैं।
यह बिक्री ई-नीलामी पद्धति अपनाकर सार्वजनिक निविदा/नीलामी द्वारा आयोजित किये जाने के लिये प्रस्तावित है।
प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 की वित्तीय आस्तियों एवं प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण के अंतर्गत निर्मित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6 (2) तथा 8 (6) के अनुसार 30 दिनों की अभिलक्षित बिक्री सूचना वांछनीय है अतः हम इस सूचना को जारी कर रहे हैं।
11.12.2019 को बकाया राशि रु. 11,61,760.90 के साथ उस पर आगे का ब्याज, लागत, अन्य चार्जेज तथा खर्चे की राशि है।
कृपया ध्यान रहे कि यह 30 दिनों की सूचना है तथा 30 दिनों के बाद अधोहस्ताक्षरी/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत किसी भी समय अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री कर दी जाएगी।
** बिक्री के लिए निर्धारित तिथि 17.01.2020 है जो ई नीलामी पद्धति में होगी।
इच्छुक क्रेता/बोलीदाता अपने स्वयं के खर्चे पर अद्यतन ईसी तथा अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति तथा संबधित दस्तावेजों का निरीक्षण/जांच 10.01.2020 तक 10 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. तक कर सकते हैं।
प्रतिभूति परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि (ईएमडी) अनुसूची में वर्णित है।
नियमों एवं शर्तों के साथ निविदा/ बोली प्रपत्र वेबसाईट (https://www.bankeauctions.com) से ऑन लाइन सिस्टम/ साफ्टवयर में दिए गए प्रावधान का उपयोग कर प्राप्त की जा सकती है तथा उसका प्रमाण (सील बिड ऑप्शन) का उपयोग कर इस तरह से किया जाए ताकि कार्य ऑन लाइन की जा सके। निविदा प्रपत्र तथा अन्य नियम एवं शर्तें वेबसाईट पर 01.01.2020 से 16.01.2020 तक 10.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. तक उपलब्ध होगी।
निर्दिष्ट प्रक्रिया में ईएमडी सहित सभी आवश्यक नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करते हुए निविदा/बोली जमा करने की अंतिम तिथि 16.01.2020 के 4.00 बजे अप. है।
निविदा के साथ बिना किसी टाइम बैग के डीडी/ बीपीओ/ आरटीजीएस/ एनईएफटी/ लेखा अंतरण तथा/अथवा धन अंतरण के अन्य स्वीकृत माध्यम से ईएमडी संलग्न करनी होगी जिसके बिना निविदा अयोग्य मानी जायेगी।
ऑन लाइन धन अंतरण के लिये नोडल बैंक खाता सं./ आईएफएससी कोड आदि इस प्रकार हैः

क्रम सं. : 1	नोडल बैंक खाता सं. : 98742022397	आईएफएससी कोड : IDIB000N136

यह बिक्री उच्चतम प्रस्ताव/ निविदा/ बोली करने वाले व्यक्ति को प्रदान की जायेगी जो प्रतिभूत क्रेडीटर की पुष्टि की अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना बोली/ निविदा को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार है।
एक बार नीलामी/ ई-नीलामी पूरा हो जाने तथा उच्चतम प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति को बिक्री प्रदान कर देने के बाद सफल बोलीदाता को जैसा भी मामला हो व्यक्गित/ ई-मेल द्वारा सूचना दी जायेगी जिन्हें (ईएमडी घटाकर) तत्काल डीडी/ बीपीओ/ आरटीजीएस/ एनईएफटी/ लेखा अंतरण एवं/ अथवा धन अंतरण के किसी भी अन्य स्वीकार्य पद्धति में 25% बोली राशि का भुगतान करना होगा अन्यथा पहले से प्रेषित ईएमडी जब्त कर ली जायेगी।
शेष बिक्री मूल्य का भुगतान बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर अथवा लिखित में विस्तारित समय में किया जायेगा। यदि शेष राशि निर्धारित/ स्वीकृत समय में शेष राशि जमा नहीं की जाती है तो पहले से प्रेषित 25% राशि जब्त कर ली जायेगी।
यह बिक्री प्रतिभूत क्रेडीटर द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।
यह बिक्री 'जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है" आधार पर की जायेगी तथा अधिभारों, सांविधिक देयताओं आदि के लिए बैंक द्वारा कोई प्रतिनिधित्व तथा वारन्टीज नहीं दी जाती है।
** यदि किसी भी तकनीकी बाधाओं के कारण ई-नीलामी विफल होती है तो वह 7 दिनों की पूर्व सूचना जारी कर फिर से निर्धारित की जायेगी।
**** यह सूचना प्रतिभूत क्रेडीटर को उपलब्ध किसी अन्य उपचार के प्रति पूर्वाग्रह रहित है।

अनुसूची
बिक्री के लिये अभिप्रेत आस्तियों का विशिष्ट विवरण इस प्रकार हैः

विवरण	आरक्षित मूल्य (रु. लाख में)	ईएमडी (रु. लाख)	बिक्री की तिथि, समय एवं स्थान	सम्पत्ति पर देय बैंक की जानकारी में अधिभारों का विवरण
सम्पत्ति	12.0 लाख	1.20 लाख	17.01.2020, 12.00-01.00 बजे अप. ई-नीलामी	शून्य
गिरवी परिसम्पत्तियां (चौहद्दी के साथ परिसम्पत्तियों का विवरण)	आवासीय मकान सं. 1/207 श्री राम नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032, कुल क्षेत्रफल 33.44 वर्ग मीटर, प्लिंथ एरिया 66.88 वर्ग मीटर आवासीय भवन सहित जो प्रोपराइटर सैयद अहमद से सम्बद्ध है और सीमाएँ : उत्तर : गली 5 फीट, दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति, पूर्व : अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम : अन्य की सम्पत्ति।			
हाईपोथेकेटेड आस्तियाँ : (हाईपोथेकेटेड आस्तियों का विस्तृत विवरण)				
** ई नीलामी पद्धति में बोली जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	16.01.2020 को 04.00 बजे अप. तक			

** बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि बोली प्रपत्र में शामिल नीलामी बोली प्रपत्र तथा अन्य नियमों एवं शर्तों के लिये हमारे ई नीलामी सेवा प्रदाता मै. सी-1 इंडिया प्रा.लि. की वेबसाईट (https://www.bankeauctions.com) देखें। सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान सहायता के लिये हेल्पलाईन नंबर है 910124-4302020/ 21/ 22/ 23/ 24, support@bankeauctions.com
स्थान: दिल्ली, तिथि: 13.12.2019 **साकेत खण्डेलवाल, अधिकृत प्राधिकारी (इंडियन बैंक)**

इंडियन बैंक Indian Bank
डी.बी. गुप्ता रोड, 2/7, देश बंधु गुप्ता रोड, पहारगंज, नई दिल्ली-110055
अभिप्रेत बिक्री की सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6(2) एवं 8 (6) के अंतर्गत अभिलक्षित बिक्री सूचना
1. श्रीमती उषा सिरोही, पत्नी श्री विनोद सिरोही, एच. नं. 503, अमन कैशल, वैशाली, सेक्टर-4, आई.ई. साहिबाबाद, एस.ओ. गाजियाबाद-201010
2. श्री विनोद सिरोही, पुत्र श्री रमेश सिंह सिरोही, एच. नं. 503, अमन कैशल, वैशाली, सेक्टर-4, आई.ई. साहिबाबाद, एस.ओ. गाजियाबाद-201010
विषयः इंडियन बैंक, इंड एमएसएमई शाखा, नई दिल्ली में मै. यूवी एक्सपोर्ट्स प्रा. लि. की ऋण खाता
श्रीमती उषा सिरोही तथा श्री विनोद सिरोही, मै. यूवी एक्सपोर्ट्स प्रा. लि. की ऋण खाता में गारन्टर/मार्टगैजर हैं जिसने इंडियन बैंक, इंड एमएसएमई शाखा नई दिल्ली से ऋण सुविधा प्राप्त की है। जिसका पुनर्भुगतान 1. श्रीमती उषा सिरोही द्वारा गिरवी रखी गई अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति सं. 1 (इक्विटैवल) तथा श्रीमती उषा सिरोही तथा श्री विनोद सिरोही द्वारा गिरवी रखी गई (इक्विटैवल) सम्पत्ति सं. 2 सहित कुछ सम्पत्तियों की गिरवी/हाइपाथेकेशन द्वारा प्रतिभूत है। मै. यू.बी. एक्सपोर्ट्स प्रा. लि. बैंक के बकाये का भुगतान करने में विफल रहे, अतएव प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेप में "अधिनियम" के रूप में विदित) की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना तिथि 19.8.2019 जारी कर मै. यूवी एक्सपोर्ट्स प्रा. लि., श्रीमती उषा सिरोही (गारन्टर/मार्टगैजर) तथा विनोद सिरोही (गारन्टर/मार्टगैजर) को उस पर आगे के ब्याज, लागतों तथा अन्य चार्जेज एवं खर्चे के साथ 31.7.2019 को रु. 4,25,06,034/- (रु. चार करोड़ पच्चीस लाख छह हजार चौंतीस मात्र) की बकाया राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। इसी बीच मै. अम्बे एग्रोफूड्स प्रा. लि. ने माननीय एनसीएलटी, दिल्ली के समक्ष मै. यूवी एक्सपोर्ट्स प्रा. लि. के विरुद्ध आईबीसी याचिका नं. (IB)-1411 (एनडी) 2019 दाखिल किया जिसे 19.9.2019 को स्वीकार कर लिया गया एवं मै. यू.वी. एक्सपोर्ट्स प्रा. लि. के लिए मोरैटोरियम लागू किया गया। लेकिन, उपरोक्त व्यक्तिगत गारन्टर/ मार्टगैजर सूचना तिथि 19.8.2019 के बावजूद भुगतान करने में विफल रहे। चूंकि मांग सूचना के बावजूद श्रीमती उषा सिरोही (गारन्टर/ मार्टगैजर) तथा श्री विनोद सिरोही (गारन्टर/मार्टगैजर) भुगतान में विफल रहे अतः सभी सांविधिक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद प्राधिकृत अधिकारी ने 14.11.2019 को अधिनियम के अंतर्गत नीचे वर्णित अनुसूची की सम्पत्ति का कब्जा कर लिया। अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार प्रतिभूत क्रेडीटर कब्जे में ली गई परिसम्पत्तियों की बिक्री करने शेष बकाया राशि की वसूली करने के लिये अधिकृत है। उसके अनुसार अधोहस्ताक्षरी/प्राधिकृत अधिकारी अधोलिखित पद्धत्ति में अनुसूची में वर्णित प्रतिभूतियों की बिक्री करने के इच्छुक हैं। यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-निविदा पद्धत्ति से सार्वजनिक निविदा/नीलामी द्वारा आयोजित करने का प्रस्ताव है। वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत निर्मित प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6(2) तथा 8(6) के अनुसार 30 दिनों की अभिलक्षित बिक्री की सूचना वांछनीय है अतः हम इस सूचना को जारी कर रहे हैं। उक्त खाता में 11.12.2019 को बकाया राशि रु. 4,41,26,445/- (रुपये चार करोड़ इकतालिस लाख छब्बीस हजार चार सौ पैंतालिस मात्र) तथा आगे का ब्याज, लागत, अन्य चार्जेज तथा खर्चे की राशि है। कृपया ध्यान रहे कि यह 30 दिनों की सूचना है तथा 30 दिनों के बाद अधोहस्ताक्षरी/ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत किसी भी समय अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री कर दी जाएगी। ** बिक्री के लिए निर्धारित तिथि **28.1.2020 है** जो ई-नीलामी पद्धति में होगी इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता अपने स्वयं के खर्चे पर ईसी की तिथि तक 24.1.2020 को 10 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. तक अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति तथा संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण/जाँच कर सकते हैं। प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि (ईएमडी) अनुसूची में वर्णित है। नियमों एवं शर्तों के साथ निविदा/ बोली प्रपत्र वेबसाईट: https://www.bankeauctions.com से ऑनलाइन सिस्टम/सॉफ्टवेयर में दिए गए प्रावधान का उपयोग कर प्राप्त की जा सकती है तथा उसका प्रापण सील बिड ऑप्शन का उपयोग कर इस तरह से किया जाए ताकि कार्य ऑन लाइन की जा सके। निविदा प्रपत्र तथा अन्य नियम एवं शर्तें वेबसाईट पर 10.1.2020 से 27.1.2020 तक 10 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. तक उपलब्ध होगी। निर्दिष्ट प्रक्रिया में सभी आवश्यक नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करते हुए निविदा/बोली जमा करने की अंतिम तिथि 27.1.2020 के 4.00 बजे अप. है। निविदा के साथ बिना टाइम लैग के डीडी/ बीपीओ/ आरटीजीएस/ एनईएफटी/ लेखा अंतरण / अथवा धन अंतरण के किसी अन्य स्वीकृत प्रक्रिया में ईएमडी संलग्न की जाएगी जिसके बिना निविदा आयोग्य मानी जाएगी। ऑन लाइन धन अंतरण के लिए नोडल बैंक खाता सं./ आईएफएससी कोड आदि इस प्रकार हैः

क्रम सं.	नोडल बैंक खाता सं.	आईएफएससी कोड
1.	खाता नं. 703131015	IDIB000N022

यह बिक्री उच्चतम् बोली/प्रस्ताव/निविदा करने वाले व्यक्ति को प्रदान की जाएगी जो प्रतिभूत क्रेडीटर द्वारा पुष्टि के अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताए बिना बोली/निविदा को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार है। एक बार नीलामी/ई-नीलामी पूरा हो जाने तथा उच्चतम् प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति को बिक्री प्रदान कर देने के बाद सफल बोलीदाता को जैसा भी मामला हो, व्यक्तिगत/ई-मेल द्वारा इसकी सूचना दी जाएगी जिन्हें (ईएमडी घटाकर) तत्काल डीडी/बीपीओ/आरटीजीएस/ एनईएफटी/लेखा अंतरण एवं/अथवा धन अंतरण के किसी भी अन्य स्वीकार्य पद्धत्ति में 25% बोली राशि का भुगतान करना होगा, अन्यथा पहले से प्रेषित ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
शेष बिक्री मूल्य का भुगतान बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर अथवा लिखित में विस्तारित समय में किया जाएगा। यदि निर्धारित/स्वीकृत समय में शेष राशि जमा नहीं की जाती है तो पहले से प्रेषित 25% राशि जब्त कर ली जाएगी।
यह बिक्री प्रतिभूत क्रैडीटर द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।
यह बिक्री "जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है" आधार पर की जाएगी तथा अधिभारों, सांविधिक देयताओं आदि के लिए बैंक द्वारा कोई प्रतिनिधित्व एवं वारन्टीज नहीं दी जाती है।
** यदि किसी तकनीकी बाधाओं के कारण ई-नीलामी विफल होती है तो वह 7 दिनों की पूर्व सूचना जारी कर फिर से निर्धारित की जाएगी।
यह सूचना प्रतिभूत क्रैडीटर को उपलब्ध किसी अन्य उपचार के प्रति पूर्वाग्रह रहित है।

अनुसूची
बिक्री के लिए अभिप्रेत परिसम्पत्तियों का विशिष्ट विवरण इस प्रकार हैः

विवरण	आरक्षित मूल्य (रु. लाख)	ईएमडी (रु. लाख)	बिक्री की तिथि, समय एवं स्थान	सम्पत्ति पर देय बैंक की जानकारी में अधिभारों का विवरण
सम्पत्ति के लियेः 1. जे. ए-0809, 8 वां तल, डीएलएफ टावर्स- जसोला (टावर ए), नान हाइरेकियल कॉमर्सियल सेन्टर, जसोला, नई दिल्ली - 110044 तथा चौहद्दीः उत्तर-पूर्वः सीढ़ियाँ, दक्षिण-पश्चिमः ऑफिस नं. 810, दक्षिण-पूर्वः पैसेज, फिर ऑफिस नं. 821, उत्तर-पश्चिमः खुला	240 लाख	**24 लाख**	**28.1.2020 12.00 - 1.00 अप. तनावग्रस्त परिसम्पत्ति प्रबंध वर्टिकल शाखा, नई दिल्ली**	**शून्य**
2. सम्पत्ति के लियेः फ्लैट नं. 503, 5वां तल, अमन कैशल अपार्टमेंन्ट्स, प्लॉट नं. 22, सेक्टर 4, वैशाली, गाजियाबाद (उ.प्र.) चौहद्दीः उत्तरः जी एच प्रॉप नं. 23/फ्लैट नं. 501, दक्षिणः जीएच प्रॉप नं.21/फ्लैट नं. 504, पूर्वः 30 मी. चौड़ा रोड, पश्चिमः 12 मी. चौड़ा रोड	60 लाख	**6 लाख**	**28.1.2020 12.00 - 1.00 अप. तनावग्रस्त परिसम्पत्ति प्रबंध वर्टिकल शाखा, नई दिल्ली**	**शून्य**
** **ई-नीलामी पद्धत्ति में बोली जमा करने की अंतिम तिथि एवं समयः**			**27.1.2020 के 4.00 बजे अप. तक**	

** बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि बोली प्रपत्र में शामिल नीलामी बोली प्रपत्र तथा अन्य नियमों एवं शर्तों के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता मै. सी1 इंडिया प्रा.लि. की वेबसाईट (https://www.bankeauctions.com) देखें। सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान सहायता के लिए हेल्पलाइन न. है- +91=124-4302020/21/22/23/24, सपोर्ट ई-मेलः support@bankeauctions.com
स्थानः नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी,**
तिथिः 13.12.2019 **इंडियन बैंक**

www.readwhere.com

जनसत्ता

संकट के सामने

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय से देश की अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े आ रहे हैं वे तो चिंतित करने वाले हैं ही, साथ ही खुदरा महंगाई के जो आंकड़े आए हैं, वे कहीं ज्यादा परेशान करने वाले हैं। चूंकि महंगाई का मामला सीधे आमजन से जुड़ा है, इसलिए यह गंभीर चिंता का विषय है। महंगाई बढ़ने का सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ता है। ऐसे में अगर यह पता चले कि नवंबर में खुदरा महंगाई पिछले चालीस महीनों में सबसे ज्यादा रही, तो होश उड़ने तय हैं। इस साल नवंबर में खुदरा महंगाई की दर 5.54 फीसद रही, जबकि अक्तूबर में यह 4.62 फीसद थी और पिछले साल नवंबर में 2.33 फीसद थी। यानी महीने भर में करीब एक फीसद महंगाई बढ़ी और पिछले साल के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा। छोटी-मोटी चीजों में महंगाई का भले पता न चले, लेकिन प्याज के दाम तो पिछले दो महीनों से लोगों के आंसू निकाल ही रहे हैं। खुदरा महंगाई बढ़ने का कारण खाद्य पदार्थों में तेजी बताया जा रहा है। शायद ही कोई ऐसी चीज हो जो महंगी न हुई हो। मोटे अनाज से लेकर सब्जियां, अंडे, मांस-मछली, दालें सबने लोगों की जेब से ज्यादा पैसे निकाले।

बढ़ती महंगाई बता रही है कि उत्पादन से लेकर ढुलाई तक की प्रक्रिया में लागत बढ़ रही है। इसलिए दाल-अनाज जैसी चीजों के दाम बढ़े हैं। पिछले साल जून में भी खुदरा मुद्रास्फीति पांच फीसद पर पहुंच गई थी। महंगाई चाहे थोक मूल्य सूचकांक आधारित हो या फिर खुदरा में, इसका सीधा असर तो बाजार और खरीदार पर पड़ता है। यों हमेशा मुद्रास्फीति बढ़ने का सबसे बड़ा कारण पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना बताया जा रहा है और ऐसा होता भी है। लेकिन इस बार तो पेट्रोल और डीजल के दाम भी पिछले कुछ महीनों से एक स्तर पर ठहरे हुए हैं। ऐसे में खुदरा महंगाई बढ़ना हैरान करने वाला है। हालांकि महंगाई को काबू करने के लिए रिजर्व बैंक कदम उठाता है। रिजर्व बैंक का लक्ष्य रहता है कि महंगाई दर चार प्रतिशत से ऊपर न निकले। लेकिन जब मुद्रास्फीति इससे ऊपर निकलने लगती है तो केंद्रीय बैंक पर नीतिगत दरें बढ़ाने का दबाव बढ़ जाता है। इसका असर यह होता है कि बैंक कर्ज सस्ता होने के आसार कम हो जाते हैं और अभी अर्थव्यवस्था के रफ्तार देने के लिए कर्ज और सस्ता करने की दिशा में विचार चल रहा है। ऐसे में महंगाई कैसे रुके, यह बड़ा सवाल है।

सिर्फ महंगाई ही नहीं, औद्योगिक उत्पादन की स्थिति संतोषजनक नहीं है। बिजली, खनन और विनिर्माण क्षेत्र में लंबे समय से जो सुस्ती बनी हुई है, उसका असर अब साफ दिख रहा है। अक्तूबर में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 3.8 फीसद की गिरावट बता रही है कि औद्योगिक उत्पादन बढ़ने की जो उम्मीदें बनी थीं, वे हवा हो गई हैं। हालांकि सरकार ने मंदी से निपटने के लिए पिछले तीन महीनों में कई उपायों का एलान किया, जिनमें कारपोरेट करों में कटौती और बैंकों को पैकेज देने जैसे कदम भी शमिल हैं, लेकिन इनका कोई असर नहीं दिखा। ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करने वाले क्षेत्र में लंबी मंदी ने हालात बिगड़ने के संकेत पहले से दे दिए थे, लेकिन सरकार ने कई महीनों तक इनकी अनदेखी की और समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए। उनका नतीजा आज सामने है। अब भले सरकार की नींद टूटी हो, लेकिन उद्योग क्षेत्र की हालत सरकारी आंकड़े बयां कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई और घटता उत्पादन बता रहा है कि सरकार समय रहते नहीं चेती तो हालात बेकाबू होने में देर नहीं लगेगी।

पर्यावरण के लिए

करीब ढाई महीने पहले संयुक्त राष्ट्र में स्वीडन की एक सोलह साल की किशोरी ग्रेटा थनबर्ग ने जलवायु संकट पर अपनी तीखी राय जाहिर करते हुए पर्यावरण संरक्षण के मामले में महज औपचारिकता निभाने को लेकर दुनिया के तमाम देशों को कठघरे में खड़ा किया था। तब उनके सख्त तेवर की भी काफी चर्चा हुई थी। अब भारत में मणिपुर की आठ साल की नन्ही बच्ची लिसीप्रिया कंगुजम ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ग्रेटा थनबर्ग की तरह ही इस नन्हीं कार्यकर्ता ने भी मैड्रिड में चल रहे 'कॉप- 25' सम्मेलन में वैश्विक नेताओं से धरती, इंसानी नस्ल और उसके जैसे बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए बिना देर किए कार्रवाई करने का आग्रह किया। कंगुजम अब तक इक्कीस देशों में जलवायु परिवर्तन की समस्या पर अपनी बात रख चुकी हैं और उन्हें दक्षिणी गोलार्ध की 'ग्रेटा थनबर्ग' बताया जा रहा है। पर्यावरणविदों के बीच यह खास आकर्षण का विषय है कि इतनी कम उम्र में यह बच्ची पारिस्थितिकी संतुलन के मसले पर कितना सरोकार रखती है। लेकिन सच यह है कि अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति अपने आसपास की आबोहवा पर नजर रखता है और उसमें हो रहे बदलावों को करीब से महसूस कर पाता है तो यह अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण बात है।

गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र में ग्रेटा थनबर्ग के साथ-साथ बारह देशों के पंद्रह अन्य युवा कार्यकर्ताओं ने भी पर्यावरण को बचाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जाने के लिए पांच देशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। तब यह सवाल उठा था कि पिछले चार-पांच दशक से बढ़ते तापमान के मसले पर होने वाले वैश्विक सम्मेलनों में दुनिया भर के विशेषज्ञ और प्रतिनिधि आखिर किस तरह की कार्य-योजना पेश करते हैं कि अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो सकी। क्या इसी रुख के साथ पर्यावरण और पारिस्थितिकी के सामने खड़ी हो रही चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा? सवाल है कि पर्यावरणविदों की राय जब सामने आती है तब दुनिया भर में इस पर चिंता जताई जाती है, लेकिन जब उससे बचने के उपायों की बात आती है, तब खासतौर पर वे देश क्यों अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। जाहिर है, यह मुख्य रूप से व्यवस्था का सवाल और इच्छाशक्ति के अभाव का मामला है।

इसलिए कंगुजम की यह बात महत्त्वपूर्ण हो जाती है कि उसके जैसे नन्हे कार्यकर्ता व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं, ताकि जलवायु परिवर्तन का संकट दूर होने का रास्ता अपने आप तैयार हो जाए। लेकिन वैश्विक स्तर पर पारिस्थितिकी संतुलन और पर्यावरण संरक्षण के व्यापक सवालों पर केंद्रित अमूमन हर साल होने वाले सम्मेलनों के बावजूद हालत आखिर ऐसी क्यों है कि हर अगले वर्ष जलवायु के सामने खड़ी चुनौतियां गहरी होती जा रही हैं? दुनिया के जो देश कार्बन उत्सर्जन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ में आ रही है और इस मसले पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का दबाव क्यों नहीं काम कर पा रहा है? क्यों ऐसी नौबत आई है कि अब नई पीढ़ी के कम उम्र के बच्चों की भी नजर इस समस्या पर जा रही है और वे न केवल खुद अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, बल्कि दुनिया को आईना दिखा रहे हैं। दरअसल, पहले ग्रेटा थनबर्ग और अब लिसीप्रिया कंगुजम जैसी किशोर और युवा कार्यकर्ताओं ने अब तक के वैश्विक पहलकदमियों को कठघरे में खड़ा किया है कि क्या केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताने भर से पर्यावरण की गंभीर समस्याओं का समाधान निकाला जा सकेगा!

कल्पमेधा

कविता मन की वह इच्छा है, जो हृदय को आह्लादित कर देती है।

– खलील जिब्रान

वैश्विक अशांति और जल

अरुण तिवारी

दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में अशांति पानी से उपजी है तो शांति का मार्ग भी पानी में ही तलाशना चाहिए। किंतु भारत के पानी संकट का समाधान, इजरायली के जल प्रबंधन का मॉडल नहीं हो सकता। भारत का जल प्रबंधन दूसरे के संसाधन की ओर ताकने की बजाय अपने पास जो है, उसी से जीवन चलाने वाला होकर ही शांतिप्रद हो सकता है। पानी के उपयोग के मामले में हमें अनुशासित होना पड़ेगा, जल अपव्यय की आदत छोड़नी होगी।

हम इक्कीसवीं सदी के इस दूसरे दशक के अंतिम वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। इस वक्त की दो सबसे बड़ी सामाजिक चुनौतियां हैं- हताशा और तनाव। इन चुनौतियों के फलस्वरूप प्रमुखता से उभरते दृश्य चार हैं: अशांति, आत्मघात, विस्थापन और युद्ध। ये दृश्य पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहे हैं और काफी गंभीर व कष्टदायक हैं। संयुक्त राष्ट्र चिंतित है कि लोग आपस में लड़ क्यों रहे हैं। उसकी चिंता यह भी है कि लोग एक देश से उजड़ कर दूसरे देशों में क्यों जा रहे हैं। यूरोपीय शहरों के मेयर चिंतित हैं कि विस्थापित उनके यहां आकर क्यों बस रहे हैं। जहां एक ओर भूखे, बीमार, लाचार लाखों परिवार रोजगार और शांति की तलाश में अपनी जड़ों से उजड़ने को मजबूर हैं, वहीं दूसरी ओर जिन इलाकों में वे जाकर बस रहे हैं, वहां कानून-व्यवस्था की समस्याएं खड़ी हो रही हैं। सांस्कृतिक तालमेल न बनने से भी समस्याएं हैं। इन समस्याओं और चिंताओं में तीसरे विश्व युद्ध के बीज मौजूद हैं। ज्यादातर प्रचार यही है कि इस अंतरराष्ट्रीय उजाड़ का कारण आतंकवाद, सांप्रदायिक विभेद, सीमा-विवाद अथवा आर्थिक तनातनी है। किंतु सच यह नहीं है। सच यह है कि बढ़ती हवस, बढ़ता उपभोग, घटते प्राकृतिक संसाधन और दूसरे के संसाधन पर कब्जे की नीयत ने ये हालात पैदा किए हैं। इन संसाधनों में पानी सबसे प्रमुख है। यकीन न हो तो दुनिया के मानचित्र पर निगाह डालिए।

आज तुर्की-सीरिया-इराक विवाद ने शिया-सुन्नी और आतंकवादी त्रासदी का रूप भले ही ले लिया हो, किंतु वास्तविकता यही है कि विवाद की शुरुआत इफरेटिस नदी के पानी को लेकर ही हुई थी। इफरेटिस नदी, तुर्की से निकल कर सीरिया होते हुए इराक तक जाती है। तुर्की का दावा है कि इस नदी में आने वाले कुल पानी में साढ़े अट्ठासी प्रतिशत योगदान तो अकेले उसका ही है, फिर भी वह तो मात्र तियालीस प्रतिशत पानी ही मांग रहा है। दूसरा पक्ष देखिए। इफरेटिस के प्रवाह में सीरिया का योगदान 11.3 प्रतिशत और इराक का शून्य है, जबकि पानी की कमी वाले देश होने के कारण सीरिया, इफरेटिस के पानी में बाईस प्रतिशत और इराक तियालीस प्रतिशत हिस्सेदारी चाहता है। वस्तुस्थिति यह है कि तुर्की ने मूल नदी जल बंटवारा संधि (1987) का उल्लंघन करते हुए 15 अप्रैल, 2014 के बाद से इफरेटिस नदी के प्रवाह में कटौती करनी शुरु की और अपनी दादागीरी जारी रखते हुए 16 मई, 2014 को सीरिया और इराक के हिस्से का पानी छोड़ना पूरी तरह बंद कर दिया। परिणामस्वरूप, नदी किनारे की खेती योग्य भूमि रेगिस्तान में तब्दील होती गई। सीरिया दुनिया में सबसे पुरानी खेती का देश है। नदी जल विवाद ने ऐसे देश के एक बड़े भू-भाग में खेती कार्य को दुष्कर बना दिया। इससे करीब बीस लाख की आबादी उजड़ी। उजड़ने वाले बगदाद गए, लेबनान गए, फिर ग्रीस, तुर्की से होते हुए जर्मनी, ब्रिटेन, स्वीडन, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और यूरोप के देशों तक पहुंचे। आज सीरिया में पानी का संकट इतना गहरा है कि सीरिया की करीब सत्तर प्रतिशत आबादी पीने के पानी की कमी से जूझ रही है। जब पीने को पानी ही पर्याप्त नहीं तो भूख का इंतजाम कहां से हो?

यदि हम इफरेटिस नदी में 17.3 अरब क्यूबिक मीटर जल की उपलब्धता आंकड़े देखें तो समझ में आता है कि संबंधित तीनों देशों में पानी की मांग ज्यादा है और इफरेटिस नदी में पानी कम है। इसलिए मांग-आपूर्ति के इस असंतुलन के कारण भी तीनों देशों के भीतर तनाव बढ़ना ही था। तुर्की और इराक के लोगों द्वारा सीरिया के विस्थापितों के घरों और जमीनों पर कब्जे की हवस ने पूरा माहौल ही तनाव और हिंसा से भर दिया। अब कोई तुर्की से पूछे कि सीरिया और इराक में विस्थापन की बुनियाद किसने रखी? तुर्की द्वारा इफरेटिस और टिगिरिस पर बांधों ने ही तो।

दूसरा उदाहरण फिलस्तीन है। फिलस्तीन के पश्चिमी तट के साझे स्रोतों के पिच्यासी प्रतिशत पानी का उपयोग इजरायली कर रहे हैं। वे इजरायली किबुत्जों के नियंत्रण में हैं। एक ओर फिलस्तीन में बाहर से आकर बसे इजरायलियों के पास बड़े-बड़े खेत हैं, बागान हैं, स्वीमिंग पूल हैं। इजरायलियों के पास सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी है, दोहन के लिए मशीने हैं तो दूसरी ओर ग्रामीण फिलस्तीनियों को बहता पानी तक नसीब तक नहीं है। वे जो पानी पी रहे हैं, वह

जहरीला है। इसलिए ज्यादातर लोग किडनी में पथरी जैसी बीमारियों के शिकार हैं। फिलस्तीनियों के पास जमीने हैं, लेकिन वे इतनी सूखी हैं कि वे उनमें कम पानी की फसलें भी नहीं उगा सकते। यही वजह है कि एक आम फिलस्तीनी, एक दुखी खानाबदोश की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो कि जब किसी न किसी इजरायली और फिलस्तीनी के बीच पानी को लेकर मारपीट न होती हो।

सीरिया, तुर्की, इराक, फिलस्तीन, इजरायल के ये टकराव तो नजीर मात्र हैं। मध्य एशिया और अफ्रीका के करीब चालीस देशों में कायम सामुदायिक अस्थितरता का मूल कारण पानी ही है। जॉर्डन, केन्या, यूथोपिया, सोमालिया, सूडान, ब्राजील सब जगह एक जैसे हालात हैं। समय बीतने के साथ-साथ यह समस्या और गंभीर होती जा रही है। जैसे-जैसे दूसरे देशों में शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है, अशांति बढ़ रही है। सत्ता में बने रहने की राजनीतिक चालें, जस संकट से उपजे इस संकट को वर्ग और सांप्रदायिक विभेद और राष्ट्रवादी नारों के रंग भरकर पेश कर रही हैं। ये चालें दुनिया को हिंसा और युद्ध के जिस रणक्षेत्र की ओर ले जा रही हैं, क्या यह पानी की खातिर विश्व युद्ध का कुरुक्षेत्र नहीं है?

सवाल है कि क्या भारत इससे अछूता है? इस साल मार्च में दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती में पानी के झगड़े में एक की हत्या कर दी गई थी। पानी की आपूर्ति में कमी और बिल में बढ़ोत्तरी के विरोध जयपुरवासी सड़क पर उतरे। शिमलावासियों के नलों में तीसरे दिन आते पानी का आक्रोश, स्वयं हिमाचल के महामहिम राज्यपाल के मन में दिखा। उत्तराखंड के बानवे में से इकहत्तर नगरों-कस्बों में मानक से बहुत कम और खराब पानी मिला।

पानी से जुड़ी कई समस्याएं भारत के लिए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय विवाद का कारण बनती जा रही हैं। सतलुज नदी बंटवारे के कारण हरियाणा-पंजाब के बीच तलवारें खिंचती रहती हैं। कावेरी जल विवाद का आक्रोश हमने बीते मार्च-अप्रैल के दौरान संसद में भी देखा और सड़कों पर भी। मानसरोवर स्थित मूल स्रोत से निकलने वाली सिंधु नदी के लद्दाख क्षेत्र में कब्जे की चीनी साजिशों से हम वाकिफ हैं ही। भारत आने वाले तिब्बती प्रवाहों में चीन द्वारा परमाणु कचरा डालने और बांध बना कर पानी रोकने की करतूतें पुरानी हैं। जल बंटवारे को लेकर पाकिस्तान के साथ हमारे विवाद हैं। नेपाल मूल की नदियों में नेपाल द्वारा छोड़े गए पानी से भारत में होने वाली तबाही को लेकर हम चिंतित रहते ही हैं।

दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में अशांति पानी से उपजी है तो शांति का मार्ग भी पानी में ही तलाशना चाहिए। किंतु भारत के पानी संकट का समाधान, इजरायली के जल प्रबंधन का मॉडल नहीं हो सकता। भारत का जल प्रबंधन दूसरे के संसाधन की ओर ताकने की बजाय अपने पास जो है, उसी से जीवन चलाने वाला होकर ही शांतिप्रद हो सकता है। पानी के उपयोग के मामले में हमें अनुशासित होना पड़ेगा, जल अपव्यय की आदत छोड़नी होगी। कम पानी और वर्षा आधारित खेती-बागवानी को अपनाना चाहिए। जितना पानी कुदरत से लें, उसे वैसा और उतना पानी संचित करके लौटाना चाहिए। जितना पानी बरसता है, उसे संचित करके हम ऐसा कर सकते हैं। हमारे जल संकट का समाधान भी हमारे प्रबंधन में ही है।

बैरागी शायर

आतिफ रब्बानी

'तुम बनो रंग, तुम बनो खुशबू, हम तो अपने सुखन में ढलते हैं', जौन एलिया ने कहा। उन्होंने रंग-ओ-खुशबू को शायरी के पैकर में ढाला, जिया और बरता। छोटी-छोटी पंक्तियों में बड़ी बातें कहने वाले इस शायर का जन्म 14 दिसंबर, 1931 को अमरोहा में हुआ था। उनका पूरा नाम सैयद जौन असगर एलिया था। वे बेजोड़ शायर तो थे ही, गद्य पर भी उनको मलका हासिल था। अंग्रेजी, अरबी, फारसी, संस्कृत और हिब्रू भाषाओं पर जबर्दस्त पकड़ थी।

जोश मलीहाबादी और कमाल अमरोही के बारे में कहा जाता है कि उर्दू भाषा शब्द उनके सामने दस्तबस्ता खड़े हो जाते। जहां जिसकी जरूरत हुई, वहीं उस शब्द को रख दिया। लेकिन जौन एलिया भी हैं, जो लफ्जों को हुक्म देते और लफ्ज कतार बांध कर, संवेदना की उंगली थामे, दर्द समेटे खड़े हो जाते। जादुई शायरी की इबारतें कागज और दिलो-दिमाग पर दर्ज हो जातीं। हर कोई उनकी शायरी के जादू में बंध जाता।

जौन ने महरूमियों को गले लगाया, बीमारी से लुत्फअंदोज हुए। आत्मपीड़ा से लज्जत हासिल किया। जीवन की सच्चाई बयान करने वाले इस शायर ने खुद को सिगरेट की धुंध में भटकाया। अंत में अपने आप को सागर-ओ-मीना के हवाले कर दिया। जौन की शायरी में उदासी चीखती, दर्द कराहता और विरह रूदाली गाती है। उनकी शायरी की यह उदासी पाठक और श्रोता के दिल में उतर कर रोम-रोम में समा जाती है।

अक्सर देखने में आया है कि दुनिया को फतह करने वाला आदमी अपने घर से हारा हुआ होता है। जौन ने भले ही शायरी का हर किला फतह कर लिया हो, लेकिन घरेलू जिंदगी में उन्हें नाकामियां ही हाथ लगीं। एक प्रेमिका उम्र-भर उनका ख्वाब रही, लेकिन इस ख्वाब की ताबीर उनकी महरूमी रही। महिलाएं उनकी इज्जत करती थीं, उनसे मुहब्बत नहीं करती थीं। यही अलमिया मजाज का भी था। मजाज की जीवनी 'शोरिशे दौरां' में हमीदा सलीम ने लिखा है कि महिलाएं मजाज की इज्जत करती थीं, उनकी शायरी पर आहें भरतीं, लेकिन उनसे मुहब्बत नहीं करती थीं। फिर भी, मजाज हों या कि जौन, दोनों ने प्रेम की आस में जिंदगी गुजार दी। जौन ने कहा- 'उनकी उम्मीद नाज का/ हमसे ये मान था/ कि आप उम्र गुजार दीजिए/ उम्र गुजार दी गई।'

वस्ल, हिज्र-ए-फिराक यानी संयोग और विरह को उन्होंने कुछ इस अंदाज में पेश किया कि दुनिया उनकी दीवानी हो गई। उन्होंने दुनिया को गजल के एक नए लब-ओ-लहजे और शिल्प से परिचित कराया। जौन छपने-छपवाने के बजाय निजी नशिस्तों और मुशायरों में पढ़ना पसंद करते थे। उनके दोस्तों ने बार-बार आग्रह किया कि वे अपनी शायरी छपवाएं। लेकिन जब ऐसा न हो सका तो उनके दोस्तों ने उनका काव्य संग्रह संकलित करने का बीड़ा उठाया। गुजारिश की गई कि वे संकलन की भूमिका लिखें। वे राजी हो गए। जब दोस्त एक महीने के बाद गए तो वे तीन सौ पन्ने लिख चुके थे और लिखने का सिलसिला अभी जारी था। वह भूमिका अपने आप में एक किताब के बराबर थी। आखिरकार निर्णय लिया गया कि इन तीन सौ पन्नों का सार तैयार किया जाए। यही सार उनकी किताब 'शायद' में शामिल है। यह भूमिका भाषा, गद्य, कविता और दर्शन का बेजोड़ नमूना है। इसमें उन्होंने न सिर्फ कविता और जीवन दर्शन, बल्कि गणित, मनोविज्ञान, कॉस्मोलॉजी, समाजशास्त्र, धर्म के आपसी रिश्तों पर भी रोशनी डाली है। इस भूमिका में उन्होंने अपने निजी जीवन के ऐसे पहलुओं को भी उजागर किया है, जिसका हौसला उर्दू के बहुत कम साहित्यकारों और कवियों के पास है। ऐसा हौसला उनके अलावा साकी फारूकी ने अपने आत्मकथ्य 'आप बीती पाप बीती' में दिखाया है। जौन के अन्य काव्य संग्रह 'गुमान', 'गोया', 'लेकिन' और 'यानी' हैं। ये सारे संग्रह उनकी मृत्यु के बाद संकलित किए गए।

दुनिया मेरे आगे

गालिब ने कहा है- 'न गुल-ए-नग्मा हूं न पर्दा-ए-साज/ मैं हूं अपनी शिकस्त की आवाज।' यही शिकस्त की आवाज जब जौन के दिल से निकली तो लाफानी शायरी हुई। उन्हें अपनी शिकस्त पर नाज था और नाकामी पर फख्र। जौन ने अपनी किताब 'शायद' के पहले पन्ने पर ही लिख दिया 'ये एक नाकाम आदमी की शायरी है। यह कहने में क्या शरमाना कि मैं रायगां गया।'

फ्रेंज काफ्का ने कहा है कि हमारे अंदर अज्ञान से जमे हिमखंड को तोड़ने के लिए पुस्तक एक कुठार है। जौन काफ्का पर ईमान लाए। उन्हें शुरू से ही किताबों का शौक था, इश्क भी, जिसकी वजह से वे जिंदगी और मुहब्बत दोनों में कामयाब न हो सके। वे कहते हैं- 'इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर/ उनमें इक रम्ज है/ जिस रम्ज का मारा हुआ जहन/ मुज्दा-ए-इशरत अंजाम नहीं पा सकता/ जिंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता।' उनका कहना था कि धर्म के ठेकेदारों के पास दौलत, ताकत और हुकूमत आ जाने पर चारों तरफ खौफ का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। खौफ, नफरत और सांप्रदायिकता की जो फसल पाकिस्तान काट चुका है। उसकी फसल अब भारत में भी तैयार खड़ी है। उनका यह शेर कितना प्रासंगिक है! 'नमाज-ए-खौफ के दिन हैं कि इन दिनों यारो/ कलंदरों पे फकीहों का खौफ तारी है।'

जौन का मतलब होता है वजा, आभा या भेस। एलिया फनकारों, कलाकारों और मनीषियों की रहस्यमयी बस्ती का नाम है। उनका भेस सबसे निराला था। अपने बड़े-बड़े बालों को झटक कर जानू यानी घुटने पर हाथ ठोंक कर बड़े ही प्रभावशाली अंदाज में कविता पाठ करते।

कब तक प्याज

राजधानी दिल्ली के खुदरा बाजार में प्याज सौ से एक सौ चालीस रुपए किलो बिक रहा है। वहीं मदुरई में तो यह एक सौ अस्सी रुपए बिका। इसका कोई तो गंभीर कारण होगा। भारत में चाहे आप शाकाहारी खाना देख लें या मांसाहारी, दोनों में प्याज का खूब इस्तेमाल होता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में प्रति एक हजार व्यक्ति पर नौ सौ आठ लोग प्याज खाते हैं।

ऐसे में जब भी प्याज महंगा होता है तो यह सुर्खियों में आ जाता है। बारिश के अलावा कम बुआई खराब फसल और कम उत्पादन और जमाखोरी भी प्याज को महंगा करने के अन्य बुनियादी कारण हैं। सन 2018 के बजट के समय प्रधानमंत्री ने प्राथमिकता जताई थी कि प्याज, टमाटर और आलू के दाम स्थिर रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। प्याज के थोक व्यापारियों के मुताबिक कई जमाखोर प्याज सस्ता होने के बावजूद उसे महंगे दामों पर बेच रहे हैं और प्रशासन की ओर से जमाखोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

हालत यह है कि अब प्याज के इतना महंगा होने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई जगहों पर प्याज की माला पहन कर प्रदर्शन किया जा रहे हैं तो कहीं प्याज को भगवान मान कर उनकी पूजा की जा रही है। सड़कों पर ही नहीं, बल्कि संसद के भीतर भी हंगामा मचा हुआ है। पिछले दिनों कांग्रेस सांसदों ने सरकार की तीखी आलोचना की। संसद के भीतर वह क्षण वाकई हास्यास्पद था जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वह ऐसे परिवार से आती हैं, जहां प्याज और लहसुन का मतलब ही नहीं है। फिलहाल प्याज के भाव में नरमी के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। कीमतों में दिनोंदिन इजाफा ही देखने को मिल रहा है।

महाराष्ट्र के सोलापुर बाजार में प्याज की कीमत दो सौ रुपए प्रतिकिलो के पार निकल गई है। इसकी वजह प्याज की कम उपलब्धता है। व्यापारियों का यह तक कहना है कि इस महीने के अंत तक प्याज की कीमतें ऊंची बने रहने के आसार हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम महंगे दामों पर आयात के लिए मजबूर हुए हैं। ध्यान रहे कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के मोदी सरकार के वायदे और लक्ष्य में बागवानी फसलों की ही महत्त्वपूर्ण भूमिका है। बेशक बजट में कई योजनाओं की घोषणा की गई थी, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। हमें यह भी भूलना नहीं चाहिए कि प्याज की कीमतों ने कई सरकारी दावे ध्वस्त कर डाले हैं। लिहाजा यह सवाल स्वाभाविक है कि इस बार प्याज के आंसू किसे रोने पड़ेंगे।

● *अमन सिंह, बरेली, उत्तर प्रदेश*

यथार्थ और पर्दा

फिल्में चाहे धार्मिक, राजनीतिक या ऐतिहासिक हों, सभी में थोड़ा मसाला और हास्य भरा जाता है, ताकि दर्शक ऊबे नहीं। इधर इतिहास से जुड़ी फिल्मों को लेकर हमारा देश काफी संवेदनशील हो गया है। एक हजार साल पहले क्या हुआ था, उसे लेकर हम आज मरने-मारने को तैयार रहते हैं। 2008 में 'जोधा अकबर' से लेकर पिछले साल 'पद्मावत' को लेकर काफी हल्लागुल्ला हुआ। अब आशुतोष गोवारिकर की फिल्म 'पानीपत' को लेकर राजस्थान से लेकर अफगानिस्तान तक विरोध किया जा रहा है। सभी अपने जाति और धर्म से जुड़े किरदारों को गलत ढंग से पेश करने का आरोप लगा रहे हैं। सिनेमा को मनोरंजक बनाने के लिए यथार्थ में थोड़ा-बहुत फेरबदल करने की छूट फिल्मकारों को मिल सकती है। लेकिन कई दफा ऐसे विरोध के कारण फ्लॉप होने वाली फिल्म भी हिट हो जाती है। फिल्मकारों को काम करने के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लेकिन अगर इतिहास के मामले में ज्यादा तोड़-मरोड़ की जाएगी तो कुछ सवाल उठ सकते हैं।

● *जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

पेड़ की छांव

कान्हा नेशनल पार्क के जंगल से लगे गांवों की महिलाओं ने वन विभाग की मदद से नया जंगल लगाया। अवैध कटाई रोकने, वनों की रक्षा के लिए महिलाओं ने लाठी थामी है। वनदेवी सुरक्षा समिति का पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण की जागरूकता की पहल का संदेश पर्यावरण के प्रति पुनीत कार्य सराहनीय है। वनों की सुरक्षा और बंजर भूमि पर हरियाली विकसित करने के लिए सहयोग स्वरूप वन देवी सुरक्षा समिति जैसी समिति हर गांवों में हो, तो विभाग और समिति के माध्यम से वनों की बेहतर सुरक्षा संरक्षण का लाभ क्षेत्र को मिलता रहेगा।

देखा जाए तो वर्तमान में पेड़ से प्राप्त होने वाली सभी चीजे महंगी हैं। प्राचीन वृक्षों को, जो बीमार, अंदर से पोले या गिरने की कगार पर हो, उसका उपचार भी किया जाना चाहिए। पर्यावरण के हिसाब से यह गंभीर चिंता की बात है कि अधिक जंगल काटने से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होगा। यह सर्वविदित है कि वृक्षों से ताप का नियंत्रण होता है और वायुमंडल की विषाक्तता भी कम होती है। जितने अधिक वृक्ष होंगे, वातावरण उतना ही शुद्ध और स्वच्छ होगा। गरमी में इंसान, पशु, पक्षी और वाहनों को छांव की तलाश रहती है, वृक्षों के होने से जीवन सुखद होता है। भविष्य मे हरित क्रांति को विलुप्त होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण के पुनीत कार्य और पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण में भागीदारी निभाए।

● *संजय वर्मा 'दृष्टि', मनावर, धार*

अपारदर्शी व्यवस्था

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय, आरबीआई और चुनाव आयोग ने आपत्ति जताई है कि चुनावी बॉन्ड में गोपनीयता रखना राष्ट्रहित में नहीं है। यानी इस अपारदर्शी व्यवस्था के दूरगामी परिणाम घातक होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक कॉरपोरेट कंपनियां केंद्र में सत्ताधारी पार्टी को पनचानबे फीसद धन को चंदे के रूप में देती हैं। इसकी जानकारी सरकार को भले ही हो, लेकिन आम जनता को नहीं है। आखिर हर क्षेत्र में पारदर्शिता का नाम जपने वाली सरकार की चुनावी बॉन्ड में गोपनीयता रखने की मंशा क्या है? चुनाव के बाद कंपनियों के कोई खास फायदे के लिए तो कहीं यह राजनीति-कॉरपोरेट गठजोड़ नहीं है? वाकई चुनावी बॉन्ड जैसी सुविधा लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करेगी और सरकारें भी 'राष्ट्रहित' के बजाय 'कंपनी हित' को तवज्जो देगी। चुनाव आयोग को सशक्त बना कर और राजनीतिक दलों को आरटीआइ कानून के दायरे में लाया जाए, ताकि इस गठजोड़ को नाकाम किया जा सके।

● *कपिल एम वडियार, पाली, राजस्थान*

www.readwhere.com

राग संन्यासी

सियासत की बीमारी संक्रामक हो गई है। दायरा सियासी दलों से बढ़कर साधू-संतों और खेल व खिलाड़ियों तक भी पहुंच चुका है। धर्म नगरी हरिद्वार में 2021 में आयोजित होने वाले कुंभ को लेकर भी संत अभी से एक-दूसरे की टांग खींचने में जुट गए हैं। अखाड़ों की छावनियों के लिए जमीन और खासी रकम की मांग कर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने अपना प्रभुत्व दिखाना चाहा है। सरकार को दबाव में लेने के मकसद से कुंभ के कामकाज की गति सुस्त होने का आरोप लगाया है। जबकि त्रिवेंद्र सिंह रावत इस मामले में चूक करते नहीं दिख रहे। गिरि ठहरे मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के चहेते। संघी खेमे के साधू-संतों से पटती नहीं। तभी तो सूबे की भाजपा सरकार भी उन्हें ज्यादा भाव नहीं दे रही। वैरागी अखाड़े के महंत बाबा हठ योगी उन पर खुलेआम शब्दबाण चला रहे हैं। उनकी अखाड़ा परिषद को ही फर्जी बता दिया। हठ योगी तो सरकार से उलट मांग कर रहे हैं कि वह उन अखाड़ों को छावनी के लिए कतई जमीन न दे जिन्होंने अपनी छावनी में बहुमंजिला इमारतें बना रखी हैं। रही नरेंद्र गिरि की बात तो वे सरकार के श्राइन बोर्ड बनाने के प्रस्ताव का भी विरोध कर रहे हैं। हठ योगी इसके मुखर समर्थक बन कर उभरे हैं।

बेबाक बोल

असम विरोध में जल रहा है तो दिल्ली के मजनू का टीला स्थित पाकिस्तानी शरणार्थी कॉलोनी में जन्मी बच्ची का नाम 'नागरिकता' रखा गया है। देश कागज पर खींचा नक्शा नहीं बल्कि असम से लेकर मजनू का टीला तक की जटिलता है। इस साल जब हम महात्मा गांधी की डेढ़ सौवीं जयंती मना चुके हैं तो विभाजन से जुड़े इतिहास के पन्ने अपनी-अपनी राजनीति की टिप्पणियों के साथ पलटे जा रहे हैं। आज गांधी होते तो किसके साथ होते? शरणार्थी शिविर में पैदा हुई नवजात 'नागरिकता' के साथ या असम में विरोध कर रहे लोगों के साथ? आज के दौर में जब नागरिक स्मार्ट फोन के डाटा में तब्दील हो गए हैं और इतिहास वाट्सऐप के कारखाने से संपादित होकर अग्रेषित है तो गांधी के सरोकारों को कैसे समझाया जाएगा। बीसवीं सदी में विश्वविद्यालयों से निकले छात्र नेता जो इंदिरा गांधी के आपातकाल के खिलाफ थे इक्कीसवीं सदी में वे सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों और शिक्षकों से बात करने को तैयार नहीं हैं। सत्ता के अहंकार और विखंडित विपक्ष में फंसी जनता पर बेबाक बोल।

बोध और विरोध

मुकेश भारद्वाज

मेरी हस्ती से हर शख्स बेजार क्यों है
हर हाथ में मेरे लिए तलवार क्यों है
मैं तो खुद ही तैयार हूं महफिल से विदा होने को
फिर यह रोज-रोज की तकरार क्यों है।

असम में विरोध प्रदर्शन करते लोग।

दिल्ली के शरणार्थी शिविर में जश्न मनाते लोग।

यह सवाल जनता की तरफ से है जो जनतंत्र की बुनियादी शर्त है। पर संसद का सीधा प्रसारण बता रहा है कि जनता खारिज है। नागरिकता संशोधन बिल को तो पास होना ही था लेकिन नागरिकों को तब ही फेल बता दिया गया जब देश के अर्थशास्त्र की अगुआ प्याज की महंगाई के सवाल पर कहती हैं कि मैं वैसे परिवार से आती हूं जहां प्याज-लहसुन ज्यादा नहीं खाया जाता है।

अब महंगाई तो तब से है जब से बाजार और खरीदार हुए। महंगाई तब से है जब से राजा और प्रजा हुए। महंगाई अब भी है जब हम खुद को लोकतंत्र का पहरुआ कहते हैं। लेकिन आज जिस तरह से लोकतंत्र के मंदिर (आधुनिक बोध के हिसाब से संसद के लिए मंदिर शब्द का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए) में कमजोरों के प्रति अहंकार की भाव-भंगिमा है, वह जरूर नया है। संसद में वित्त मंत्री का उच्चारण और भाव-भंगिमा उन लोगों पर लानत भेज रहा था जो लहसुन-प्याज खाते हैं। जैसे लहसुन-प्याज न खाने वाले कितनी उच्च कोटि के हो गए और खाने वाले एकदम अधम। वित्त मंत्री का अहंकार बताता है कि संसद में बैठे लोगों और जनता के बीच दूरी कितनी बढ़ गई है। कांग्रेस के 'संभ्रांत' नेता शशि थरूर ने जब हवाई जहाज की सामान्य श्रेणी को मवेशी वर्ग (कैटल क्लास) कहा था तो भी हंगामा मचा था। मुंबई पर आतंकवादी हमले के बाद जब बार-बार कपड़े बदलने के लिए तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटील पर सवाल उठाया गया तो उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। अब तो दिखावे के नाम पर भी 'लोकतांत्रिक दिखावा' बंद कर दिया गया है।

मंदी का कारण यह नई पीढ़ी है जो गाड़ियां खरीदने के बजाए ओला और उबर से चलती है। सिनेमा हॉल में टिकट बिक रहे हैं, फिल्में सौ करोड़ का कारोबार कर रही हैं तो मंदी कहां है। अगर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मंदी है तो फिर सड़कों पर इतना जाम क्यों लग रहा है। भारत में अभी तक ऐसा अध्ययन नहीं हुआ है जिससे पता चले कि प्रदूषण के कारण मौतें हो रही हैं। ऐसे बयान देते वक्त माननीय सांसदों की देह से जो अहंकार फूटता दिखता है, उससे यही लगता है कि संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण नहीं होता तो कुछ भ्रम बचा रहता, नागरिकता के प्रमाणपत्र पर गर्व तो महसूस किया जा सकता था। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जल्द राहत मिलेगी, यह विपक्ष की साजिश है, अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ रही हैं जैसी दिलासा देनेवाली भाषा की भी अब जरूरत महसूस नहीं की जा रही। सारी पर्देदारी खत्म है। हमारा करने का मन है इसलिए ऐसा किया, हम यही करने के लिए आए हैं इसलिए ऐसा किया। रामराज्य में भी अपराध शून्य नहीं हो सकता। सरकार सभी को नौकरियां नहीं दे सकती है। लोग बच्चे पैदा कर सरकार के भरोसे छोड़ देते हैं। अगस्त में बच्चे मरते ही हैं जैसे वाक्य बोल कर नेता उसे संदर्भों सहित सही साबित करने में जुट जाते हैं और विपक्ष वैसी जिंदा कौम नहीं रह गई है कि पांच साल के पहले कुछ सोचे भी।

जनता तो अब स्मार्टफोन में तब्दील हो रही है, जहां नागरिकता बोध का कोई अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) ही नहीं। इतिहास किताबों से निकल कर वाट्सऐप के कारखाने से संपादित होकर अग्रेषित है। सत्ता की क्रूरता मीम है और जनता की जंग चुटकुला। एक वर्ग को निःशुल्क शिक्षा के लिए हड़ताल करते जेएनयू के विद्यार्थी दुश्मन लगते हैं और वह अपने आयकर का हिसाब मांगने लगता है। वह अब किसी भी सरकार से सवाल नहीं करता। सत्ता के लिए इससे सुखद स्थिति क्या हो कि जनता ही जनता से लड़े और वही एक-दूसरे से जवाब मांगे।

उदारीकरण की अर्थव्यवस्था की नाकामी का कोई हल नहीं दिख रहा था तो दुनिया भर में इसका ठीकरा लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही फोड़ा गया। धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता शब्दों को खारिज किया गया। आधार संख्या को बुनियादी जरूरतों के वास्ते अनिवार्य करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान महाधिवक्ता दलील देते हैं कि नागरिकों के शरीर पर राज्य का अधिकार होता है। लोकतंत्र सत्ता के कर्तव्य और जनता के अधिकारों के लिए बनाया गया लेकिन अब इसे उलटा अर्थ दिया जा रहा है। अब सत्ता के पास अधिकार और अहंकार है और जनता के पास सिर्फ कर्तव्य।

सत्ता के अहंकार को दूर करने के लिए फिलहाल तो दूर-दूर भी विकल्प नहीं दिख रहा है। जोड़-तोड़ की बात छोड़ दें तो कर्नाटक के उपचुनाव में वे भी भाजपा सांसद चुन कर आ गए जो दलबदल कानून के तहत सदन से बेदखल थे। जद (सेकु) और कांग्रेस को नकारते हुए जनता ने फिर उन्हें सदन में पहुंचा दिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के वक्त जो राजनीतिक विश्लेषण हुए थे उपचुनावों के बाद वे सिर्फ बगलें ही झांक सकते हैं। जब राजनीतिक टिप्पणियों की उम्र इतनी छोटी हो जाए, सत्ता और जनता विपरीत व्यवहार करे तो फिलहाल थोड़ी देर रुक कर सोचने-समझने की कोशिश करनी चाहिए।

सत्ता और जनता दोनों संक्रमणकाल से गुजर रहे हैं। राममनोहर लोहिया की मशहूर उक्ति है कि अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाएगी। लेकिन अभी तो सड़क पर जनता है, पुलिस की पानी की बौछार और हिरासत में लेने का दौर है। सड़क पर खड़ी इस जनता का संसद तक असर होगा? मौजूदा सरकार में जब वरिष्ठ मंत्रियों और सलाहकारों की सूची देखें तो इनमें से ज्यादातर चेहरों का करिश्मा आपातकाल के दौरान उभरा था। 1975 के विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र कांग्रेस के खिलाफ विकल्प बनकर संसद पहुंचे और वही लोग आज सड़क पर बैठे शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों को अलोकतांत्रिक बता रहे। सूनी सड़क से आवारा संसद की आशंका जताने वाले के कई शिष्य आज नागरिकता संशोधन बिल के पक्ष में खड़े हैं।

देश महात्मा गांधी की डेढ़ सौवीं जयंती मना चुका है और विभाजन के इतिहास के पन्ने अपनी-अपनी सुविधानुसार और अपने-अपने फुटनोट के साथ सामने लाए जा रहे हैं। विभाजन के इतिहास में दर्ज है महात्मा गांधी और नोआखली। गांधी नोआखली में अकेले घूम रहे थे क्योंकि एक बड़ी कौम को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया गया था। आजादी के बाद से न जाने कितने नोआखली बने लेकिन वहां जनता की सुरक्षा के लिए अकेले घूमने वाले गांधी नहीं मिले। नोआखली की न जाने कितनी प्रतिकृति (क्लोन) तैयार हुई पर गांधी जो गए तो फिर किसी तरह नहीं बने। आज गांधी होते तो किधर जाते? नागरिकता बिल के विरोध में जल रहे असम की तरफ या दिल्ली में अभावों की गठरी के साथ मजनू का टीला पर जश्न मनाते पाकिस्तान से आए उस हिंदू शरणार्थी की तरफ जिसने जन्म ली नवजात का नाम नागरिकता रखा है। देश कागज पर खींचा आसान नक्शा नहीं होता बल्कि मजनू का टीला से लेकर असम तक की जटिलता होता है। इस जटिलता का हमारे देश में ही क्या पूरी दुनिया में गांधी के अलावा कोई हल नहीं है।

संसद, सड़क और जनता के रिश्ते में एक बार फिर से खारिज नागरिक ही है। बस इस नकारनामे पर दस्तखत करने वालों की कलम की स्याही बदल गई है। कागज और कलम के रिश्ते में स्याही का रंग आगे क्या रूप लेता है, उस पर आज इतनी जल्दी बोल कर कल खारिज होने का जोखिम कैसे लें।

इस विशेष पन्ने पर आपके ढेरों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुमकिन नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएं। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं।
हमारी ई-मेल आइडी है : vishesh.jansatta@expressindia.com

आपके पत्र

नैतिकता की भी जरूरत

यौन हिंसा के मामले घर की चारदीवारी के अंदर भी होते हैं। लेकिन समाज में झूठी शान और बेइज्जती के डर से उन्हें घर की चारदीवारी के अंदर ही रफा-दफा कर दिया जाता है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। देश में बलात्कार के बढ़ते अपराध बहुत बड़ी चिंता का विषय हैं। अगर इन पर नकेल कसने के लिए अभी गंभीरता नहीं दिखाई गई या फिर इसके लिए प्रयास सरकार और समाज ने मिलजुलकर नहीं किए तो आने वाला समय इससे भी विकट हो सकता है। सख्त कानून के साथ-साथ जब तक लोगों में नैतिकता की भावना का प्रचार-प्रसार नहीं होगा तब तक शायद ऐसी घिनौनी घटनाओं पर रोक लगना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अंत में यह भी कहना उचित होगा कि अगर बच्चों को बचपन से ही नैतिकता का सबक पढ़ाया जाए तो हमारे समाज में बढ़ रहे गलत कामों पर लगाम लग सकती है। आज के बच्चे कल के भविष्य होते है।

- राजेश कुमार चौहान।

हालात का पोस्टमार्टम

आर्थिक उदारीकरण के दौर में व्यस्ततम जीवन-शैली ने बच्चों के साथ हमारा संबंध सीमित कर दिया है। हम उन्हें परिपक्व सोच नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में भला महज कानून के सहारे अपराध पर नियंत्रण संभव नहीं। किस-किस को और कहां-कहां मारेंगे हम, जब समाज की मानसिकता ही हमारी अपनी कमजोरी के कारण बीमार होते जा रही है? कानून जो भी बने, जितना भी सख्त बने जरूरत है इस बात की है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिलनी चाहिए तभी सुधार संभव है।

-डॉ. हर्षवर्द्धन, शिक्षाविद, लोहानीपुर-कदमकुआं, पटना।

भरोसा न टूटे

वहां एक लड़की नहीं इंसानियत जल रही थी। सड़क से सदन तक इस कदर भरोसे टूटते रहे तो एक दिन शब्दकोश से भरोसे और यकीन जैसे लफ्ज ही गायब हो जाएंगे। एक बार रुक कर सोचें तो सही कि अदालतें न रहीं तो भरोसा किस चौखट खड़ा मिलेगा। वक्त रहते वो सारे जतन करने होंगे जिस से किसी का भरोसा न टूटे। वरना इस मुल्क की तबाही रोक पाना यकीनन मुश्किल हो जाएगा।

-एमके मिश्रा, मां आनंदमयीनगर, रातू।

हल निकालना ही होगा

कमजोर पर मजबूत का वर्चस्व सदियों से चला आ रहा है। सामूहिक बलात्कार और बलात्कार के बाद लड़की को मार डालने की बढ़ती जा रही प्रवृत्ति खौफनाक है। समाज और शासन की सभी संस्थाओं को अपनी कमियां खोज इसका हल निकालना ही होगा।

-पारस एफ खेमसरा, 205 तिरुपति विहार, मध्य प्रदेश।

सही नेतृत्व की जरूरत

सबसे पहला कदम संसद को बढ़ाना होगा कि न्याय प्रक्रिया को मजबूत करने की ओर प्रयास किए जाएं। इसके बाद घर और समाज अपनी जिम्मेदारी निभाए कि बच्चे देश के जिम्मेदार नागरिक बनें। नागरिक बोध को बढ़ाकर ही हम हिंसक मानसिकता से पीछा छुड़ा सकते हैं।

- नितेश कुमार सिन्हा, मोतिहारी, बिहार।

घटता कानून का इकबाल

सवाल कानूनी नीति का नहीं बल्कि नीयत का है क्योंकि कोई भी खास घटना के विरुद्ध आयोजित कैंडल मार्च की लौ समय की रफ्तार और संवेदनाओं की शून्यता में 'जो हुआ सो हुआ' के समझौते का सारथी बन जाता है। उम्मीद के हौसले समाधान की पटकथा लिख सकेगा तभी तो किसी ने कहा है, 'आसमानों से बरसता है ये अंधेरा कैसा, अपनी पलकों पे लिए जश्न-ए-चिरागां चलिए'।

-डॉक्टर अशोक कुमार, पटना।

भीड़ समाधान नहीं

'बलात्कारियों को भीड़ के हवाले कर देना चाहिए' ये बयान तो निश्चित रूप से पाषाणकालीन बर्बर युग की पुनर्स्थापना करने का एक कुत्सित और घृणित कृत्य ही है।

-निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद।

राजपाट

बढ़ती कलह

सत्ता की हनक अलग ही होती है। सत्ता से पार्टी कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होती है। नई सियासी रवायत तो यह भी कहती है कि मूल ध्येय सेवा नहीं सत्ता हथियाना होना चाहिए। नीति सिद्धांत बेमानी है। येन केन प्रकारेण या कहें कि साम-दाम-दंड-भेद कोई भी तरीका अपनाया जाए, बस सत्ता मिलनी चाहिए। गोवा और उत्तर-पूर्व के राज्य ही नहीं कर्नाटक की मिसाल पहले से थी। रात के अंधेरे में महाराष्ट्र में भी असफल कोशिश हुई ही। पर तीन दलों का मोर्चा भारी पड़ गया। बहरहाल सत्ता से दूरी होते ही महाराष्ट्र भाजपा में अंतरकलह सतह पर दिखने लगी है। देवेंद्र फड़णवीस के खिलाफ पार्टी के पिछड़े और मराठा नेता लामबंद हो रहे हैं। एकनाथ खड़से और पंकजा मुंडे के सुर एकदम बागी हैं। सुगबुगाहट और भी कई स्तर पर जारी है। गुरुवार को बीड में पंकजा ने अपने दिवंगत पिता गोपीनाथ मुंडे की जयंती पर रैली कर खूब भड़ास निकाली। एकनाथ खड़से तो थे ही पार्टी के सूबेदार चंद्रकांत पाटिल की मौजूदगी हैरान करने वाली थी। पंकजा और खड़से ने फड़नवीस का नाम लिए बिना खुद की उपेक्षा का ठीकरा उनके ऊपर फोड़ा। पंकजा ने फरमाया कि विधानसभा चुनाव के वक्त विनोद तावड़े और एकनाथ खड़से जैसे कद्दावर नेताओं के टिकट यह कह कर काट दिए गए कि आलाकमान ऐसा चाहता है। पर मेरी जानकारी है कि आलाकमान के बजाए सूबे के प्रभावशाली नेताओं ने यह खेल किया। संकेत फड़णवीस की तरफ था। खड़से ने जहां पार्टी छोड़ने का संकेत दिया वहीं पंकजा ने ऐसा करने से इनकार किया। अलबत्ता चेतावनी के अंदाज में कहा कि वे साफगोई की राह नहीं छोड़ेंगी। खुद पार्टी छोड़ने का इरादा नहीं पर पार्टी उनके बारे में निर्णय को स्वतंत्र है। पंकजा ने कहा कि वे पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में नहीं गई थीं। पर्ली सीट पर अपनी हार के लिए भी उन्होंने फड़नवीस को दोष दिया। साथ ही संकेत दिया कि वे अगले साल जनवरी में लोगों के बीच जाएंगी। रैली में खुद पंकजा ने लोगों से कहा कि वे चंद्रकांत पाटिल को हूट न करें। खड़से ने फड़णवीस पर हमला बोलते हुए यह भी कह दिया कि गोपीनाथ मुंडे की प्रतिमा देवेंद्र फड़णवीस ने नहीं लगने दी। उन्होंने फड़णवीस का नाम लिए बिना कहा कि वे पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ तो बोल ही सकते हैं जिन्होंने मीठी बातें करके अपनों की पीठ में ही छुरा भोंक दिया। मैंने न चोरी की और न भ्रष्टाचार। फिर मेरा टिकट क्यों काटा गया? खड़से ने अजित पवार से समर्थन लेने के लिए भी फड़णवीस पर हमला बोला था। वे एनसीपी और शिवसेना नेताओं से भी मिल रहे हैं।

वक्त का फेर

टोटे में लड़ाई होती ही है, इस पुरानी कहावत को हम राजस्थान भाजपा में खरा साबित होते देख सकते हैं। साल भर पहले सूबे की सत्ता से बेदखल होते ही भाजपा में गुटबाजी सतह पर आ गई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके विरोधियों के बीच ताकत दिखाने का खेल शुरू हो गया है। पहली बार जब मुख्यमंत्री बनी थीं और फिर पद से हट गई थीं तो सूबे की सियासत से दूरी बना ली थी। वैसा ही इस बार भी दिख रहा है। चूंकि सत्ता में रहने का स्वभाव है सो विपक्ष की सियासत उन्हें रास आती भी नहीं। तभी तो भाजपा कांग्रेस सरकार के खिलाफ चाहे जो कार्यक्रम करे, वसुंधरा उससे दूर ही नजर आती हैं। पार्टी की बैठकों में शामिल होना भी वे अपनी तौहीन समझती हैं। ऊपर से आलाकमान ने उनके धुरविरोधी और आरएसएस के प्रति निष्ठावान सतीश पूनिया को पार्टी का सूबेदार बना कर वसुंधरा को और चिढ़ा दिया। सो, वे तो संगठन से दूर हैं ही, उनकी सरकार में सत्ता की मलाई खाने वाले दूसरे कई नेता भी संगठन के काम में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे। सूबे में इन दिनों भाजपा में मंडल और जिला स्तर के संगठन चुनाव चल रहे हैं। पर वसुंधरा को कोई रुचि नहीं। निचले स्तर पर संगठन में अब संघी खेमे का दबदबा है। तो भी वसुंधरा खेमे के नेता दावा कर रहे हैं कि चार साल बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे तो वसुंधरा राजे की कद्र करनी ही होगी। यानी फिर चलेगी तो उन्हीं की। हालांकि, वसुंधरा खेमा भ्रम का शिकार लगता है। पार्टी की आबोहवा बदल चुकी है। आलाकमान अब वसुंधरा जैसे नेताओं से छुटकारा पाने की जुगत में है। तभी तो नया नेतृत्व उभारा जा रहा है। कोटा के ओम बिरला का लोकसभा अध्यक्ष बनना महज संयोग नहीं है। केंद्र में मंत्री भी नए हैं। वसुंधरा के बेटे को संसद में वरिष्ठता के बावजूद राज्यमंत्री तक का पद नहीं मिल पाया। नए सूबेदार सतीश पूनिया अपने पांव जमा रहे हैं। पिछले दिनों विदेश यात्रा से वापस आए तो जयपुर में ऐसा भव्य स्वागत हुआ मानो वे पार्टी अध्यक्ष न होकर मुख्यमंत्री बनने वाले हों। नारे भी लगे कि मुख्यमंत्री कैसा हो, सतीश पूनिया जैसा हो। वसुंधरा खेमे को समझ क्यों नहीं आ रहा कि आलाकमान की सहमति के बिना इस तरह के नारे कौन लगा सकता है।

बम बम भाजपा

नागरिकता संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से तो पारित हो गया पर उत्तर-पूर्व के राज्यों में इसकी जैसी प्रतिक्रिया हुई है, वह भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में सत्ता में आने के बाद भाजपा ने देश के उत्तर-पूर्व क्षेत्र के सात राज्यों में अपना प्रभाव बेशक बढ़ाया। वहां अलगाववाद की सुलगती आग भी काफी ठंडी पड़ गई थी। पर इस विधेयक के बाद तो हालत इस कदर बेकाबू हो गए कि कर्फ्यू भी लगाना पड़ा और सेना को भी बुलाना पड़ गया। पर ऐसा नहीं कह सकते कि भाजपा को इस प्रतिक्रिया का अंदाज न रहा हो। असम के मुख्यमंत्री ने तो पहले ही कह दिया था कि इस विधेयक का विरोध होगा। पर बड़े फायदे के लिए कुछ जोखिम लेना ही पड़ता है। उत्तर-पूर्व में जनजातियों के विरोध से जितना ज्यादा नुकसान होगा, उससे कहीं ज्यादा फायदा भाजपा को शेष भारत में मुसलमान विरोधी ध्रुवीकरण बढ़ने से होने का अनुमान है। विपक्ष चीख कर कहता रहा कि मजहब के आधार पर भेदभाव की संविधान का अनुच्छेद 14 इजाजत नहीं देता। यह भी कि बहुमत के दम पर संविधान की मूल भावना के खिलाफ कोई कानून पारित नहीं किया जा सकता। पर तीन तलाक व धारा 370 के बाद नागरिकता कानून के एजंडे को भाजपा ने लागू कर ही दिया। राममंदिर का सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी उसके मनमाफिक ही आया है। ऐसे में अगला कदम समान नागरिक संहिता का होना स्वाभाविक है। विपक्ष के पास अब कानूनी जंग के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा है। पर रफाल व अयोध्या विवाद की अदालती जंग हार चुका विपक्ष इस मुद्दे पर भी अनुकूल अदालती फैसले की उम्मीद आत्मविश्वास के साथ तो नहीं कर सकता।

(प्रस्तुति : अनिल बंसल)

www.readwhere.com

संसद सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित

कई अहम विधेयक पारित, राज्यसभा के सत्र को ऐतिहासिक बताया नायडू ने

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

संसद का 18 नवंबर से शुरू हुआ शीतकालीन सत्र शुक्रवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। इस दौरान लोकसभा एवं राज्यसभा, दोनों में कामकाज का फीसद सौ फीसद से अधिक रहा। सत्र के दौरान नागरिकता संशोधन विधेयक, एससी/एसटी आरक्षण को दस साल आगे बढ़ाने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक और ट्रांसजेंडर विधेयक सहित कई महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने अपने पारंपरिक भाषण में सत्र के दौरान हुए कामकाज पर संतोष जताते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर अपने पारंपरिक भाषण में कहा कि सभा की उत्पादकता 115 फीसद दर्ज की गई।

सत्र के दौरान नागरिकता (संशोधन) विधेयक तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण को दस साल बढ़ाने संबंधी संविधान (126वां) संशोधन विधेयकों पर सदन में लंबी चर्चा हुई तथा विपक्ष एवं सत्तापक्ष के लोगों ने खुल कर अपने विचार रखे। इस दौरान ई सिगरेट पर रोक लगाने संबंधी विधेयक, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र संबंधी विधेयक सहित विभिन्न विधेयकों को चर्चा कर पारित किया गया।

साथ ही उच्च सदन में लंबे अंतराल के बाद अनुदान की अनुपूरक मांगों को चर्चा के बाद लोकसभा को लौटाया गया। लोकसभा इन्हें पहले ही पारित कर चुकी थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सत्र के दौरान सदन की 20 बैठकें हुई, जो 130 घंटे 45 मिनट चलीं। 2019-20 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों पर पांच घंटे और पांच मिनट चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान 18 सरकारी विधेयक पुनःस्थापित हुए और कुल मिला कर 14 विधेयक पारित हुए।

बिरला ने कहा कि 140 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। औसतन प्रतिदिन लगभग 7.36 प्रश्नों के जवाब दिए गए। इसके अलावा प्रतिदिन 20.42 अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर दिए गए। प्रतिदिन औसतन 58.37 मामले उठाए गए। नियम 377 के अधीन कुल 364 मामले उठाए गए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार सभा की उत्पादकता 115 फीसद दर्ज की गई। राज्यसभा में सत्र के दौरान 108 घंटे 33 मिनट तक निर्धारित कामकाज होना था। विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के चलते सदन के कामकाज में 11 घंटे 47 मिनट का नुकसान हुआ। किंतु सदस्यों ने 10 घंटे 52 मिनट अधिक काम कर सदन की उत्पादकता को 100 फीसद पर ला दिया।

सत्र के दौरान उच्च सदन में कुल 15 विधेयक पारित किए गए या विचार कर लौटाए गए। इनमें ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक शामिल है जो इस तरह के व्यक्तियों के हितों के लिए लाया गया अपनी तरह का पहला विधेयक है। सत्र के दौरान सदस्यों ने दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा शून्यकाल में एवं विशेष उल्लेख के जरिए लोकमहत्त्व के विभिन्न मुद्दे उठाए। यह सत्र प्रश्नकाल के लिहाज से भी 1971 के बाद पिछले 49 सालों में सबसे बेहतरीन रहा। इस दौरान कुल 255 मौखिक सवालों में से 171 के जवाब दिए गए जो कुल सवालों का 67 फीसद है। इस प्रकार सत्र के दौरान प्रतिदिन 9.5 मौखिक सवालों के जवाब दिए गए। सभापति ने राज्यसभा के 250वें सत्र को ऐतिहासिक सत्र करार देते हुए कहा कि इसकी 'गंभीरता एवं संक्षिप्तता' महत्त्वपूर्ण रही।

कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग पहुंचीं भाजपा की महिला सांसद

नई दिल्ली/इंदौर, 13 दिसंबर (भाषा)।

भाजपा ने शुक्रवार को निर्वाचन आयोग से कहा कि झारखंड की चुनावी रैली में राहुल गांधी की 'रेप इन इंडिया' टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की अगुवाई में भाजपा की महिला सांसदों ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलकर राहुल गांधी के खिलाफ 'कठोरतम संभव कार्रवाई' की मांग की।

ईरानी ने कहा कि भाजपा की महिला सांसद इतनी नाराज हैं कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए निर्वाचन आयोग से संपर्क किया। उन्होंने चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा, 'हमने निर्वाचन आयोग से कहा कि यह पहली बार है जब किसी राजनीतिक नेता ने राजनीतिक मजाक के लिए बलात्कार का इस्तेमाल किया है। पूरा देश इस संवैधानिक संस्था (चुनाव आयोग) की ओर देख रहा है ताकि महिलाओं की गरिमा को बरकरार रखा जा सके और जो नेता बलात्कार को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।' ईरानी ने कहा कि उन्होंने यह निर्वाचन आयोग पर छोड़ा है कि गांधी को क्या सजा दी जाए।

उन्होंने पूछा कि किसने राहुल गांधी को अपनी राजनीति के लिए देश की छवि को धूमिल करने का अधिकार दिया है? ईरानी ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिया कि वह कानूनी प्रक्रिया के अनुसार न्याय करेगा। इस बीच, इंदौर के एक स्थानीय भाजपा नेता ने मुकेश राजावत शुक्रवार को यहां जिला अदालत में राहुल के खिलाफ राजद्रोह की शिकायत दर्ज कराई। राजावत के वकील अमित सिंह सिसोदिया ने बताया कि जिला अदालत के एक न्यायाधीश ने इस शिकायत को भोपाल की एक विशेष अदालत को भेज दिया जिसे सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

हर बड़े आतंकी हमले के तार पाक से जुड़ते हैं

पेज 1 का बाकी

पर चर्चा के दौरान कहा, 'सहयोग की आत्मा शांति की संस्कृति का मूल है। राजनीतिक प्रचार के लिए इस एजंडे का न तो दुरुपयोग करना चाहिए और न ही इसे महत्वहीन बनाया जाना चाहिए। जब लोमड़ी, मुर्गी की रखवाली कर रही होती है तो हमें विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत होती है।' संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम की ओर से की गई टिप्पणियों का त्रिपाठी जवाब दे रही थीं।

अकरम ने अपने भाषण का एक बड़ा हिस्सा भारत और इसके आंतरिक मामलों पर केंद्रित रखा, जिसमें जम्मू कश्मीर, संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाए जाने, नागरिकता (संशोधन) विधेयक, राष्ट्रीय नागरिक पंजी और अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला शामिल है। त्रिपाठी ने कहा, 'एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा इस एजंडे का दुरुपयोग करने का प्रयास शायद ही उन लोगों के लिए आश्चर्य का विषय हो, जो शांति की संस्कृति के चैंपियन के रूप में स्वांग रचने के अपने कई प्रयासों के खुद गवाह रहे हैं। वे राजनीतिक लाभ के लिए झूठे आख्यानों का सहारा लेकर सहयोग की भावना को दूषित करते हैं।' पाकिस्तान पर जबरदस्त हमला बोलते हुए त्रिपाठी ने कहा, 'वास्तविकता यह है कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के हर बड़े कुकृत्य का पदचिह्न इस्लामाबाद से होकर गुजरता है।'

निर्दोषों की जान लेने के लिए आतंकवाद को इस सुरक्षित पनाहगाह में प्रशिक्षित किया जाता है। बच्चों और किशोरों को किताबों की बजाए बंदूकें पकड़ाई जाती हैं। महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है और अल्पसंख्यकों को सताया जाता है।' उन्होंने कहा, 'इस क्षेत्र से निकलने वाला विषैला आतंकवाद विश्व स्तर पर शांति को अस्थिर करने का खतरा बन गया है।

जापानी प्रधानमंत्री का भारत दौरा रद्द

पेज 1 का बाकी

गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के उनके समकक्ष शिंजो आबे के बीच होने वाली शिखर बैठक को स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि भारत और जापान दोनों ने आगे किसी अनुकूल तारीख तक शिखर बैठक तक के लिए आबे के दौरे को टालने का फैसला किया है। शिखर सम्मेलन को लेकर एक सवाल पर उन्होंने कहा, 'जापान के प्रधानमंत्री आबे की भारत यात्रा के संदर्भ में दोनों देशों ने निकट भविष्य में किसी उपयुक्त तारीख तक दौरा टालने का फैसला किया है।'

नए संशोधित कानून को लेकर असम में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस कानून के जरिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में यातना के शिकार हुए गैर मुस्लिमों को नागरिकता प्रदान की जानी है। जापान सरकार ने नई दिल्ली को साफ बता दिया कि बड़े स्तर पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर आबे के लिए गुवाहाटी आना संभव नहीं होगा। उन्होंने बताया कि बैठक अगले साल होने की संभावना है।

विदेश मंत्रालय ने पिछले सप्ताह आबे के दौरे की तारीखों की घोषणा की थी, लेकिन आयोजन स्थल का जिक्र नहीं किया था। हालांकि, शिखर सम्मेलन के लिए गुवाहाटी में जोर शोर से तैयारियां की जा रही थीं। जापान सरकार की एक टीम ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए बुधवार को गुवाहाटी का दौरा किया, जिसके बाद तोक्यो ने विदेश मंत्रालय को बताया कि मौजूदा परिस्थिति में आबे का दौरा नहीं हो सकता। जापानी अधिकारियों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। जापान ने उन अधिकारियों की रिपोर्ट की प्रतियां भारत के विदेश मंत्रालय को भी सौंपी हैं।

मतों की संख्या में विसंगतियों पर चुनाव आयोग को नोटिस

पेज 1 का बाकी

से लंबित मामले के साथ संलग्न करते हुए कहा कि इन पर फरवरी, 2020 में सुनवाई होगी।

गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) और कॉमन कॉज ने अपनी याचिका में निर्वाचन आयोग को भविष्य के सभी चुनावों में आंकड़ों की विसंगतियों की जांच के लिए पुख्ता प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। एडीआर ने अपने विशेषज्ञों की टीम के शोध आंकड़ों को हवाला देते हुए कहा है कि 2019 में संपन्न हुए चुनावों में विभिन्न सीटों पर मतदाताओं की संख्या और मत फीसद और गिनती किए गए मतों की संख्या के बारे में आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों मे गंभीर विसंगतियां हैं। याचिका में दावा किया गया है कि उनके शोध के दौरान अनेक विसंगतियों का पता चला। याचिका में कहा गया है कि ये विसंगतियां एक मत से लेकर 1,01,323 मतों की हैं। जो कुल मतों का 10.49 फीसद है। याचिका के अनुसार छह सीटों पर मतों की विसंगतियां चुनाव में जीत के अंतर से ज्यादा थी। याचिका में किसी भी चुनाव के नतीजों की घोषणा से पहले आंकड़ों का सही तरीके से मिलान करने और इस साल के लोकसभा चुनावों के फार्म 17सी, 20, 21सी, 21डी और 21ई की सूचना के साथ ही सारे भावी चुनावों की ऐसी जानकारी सार्वजनिक करने का निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

'मजबूत मालदीव के लिए भारत प्रतिबद्ध'

पेज 1 का बाकी

के बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री ने पिछले एक वर्ष में भारत और मालदीव के बीच बेहतर संपर्कों एवं द्विपक्षीय संबंधों के सकारात्मक परिणामों पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया कि छठवीं संयुक्त आयोग बैठक में दोनों देश अपने साझा लाभकारी सहयोग को और गहरा बनाने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और आगे के रास्ते का खाका तैयार करेंगे।

मोदी ने कहा, 'भारत शांतिपूर्ण, समृद्ध, लोकतांत्रिक, मजबूत मालदीव के निर्माण के लिए वहां की सरकार के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है।' मालदीव के विदेश मंत्री शाहिद ने भारत- मालदीव संबंधों को आगे बढ़ाने में उनकी दृष्टि और मजबूत नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया।

पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में ठिठुरन

पेज 1 का बाकी

के सभी पर्वतीय जिलों में जिला प्रशासन ने तीन दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। नैनीताल में शुक्रवार को इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। औली जोशीमठ, बद्रीनाथ केदारनाथ, गंगोत्री-यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब रानीखेत में जम कर बफ गिरी। पर्यटक नैनीताल, रानीखेत, कौसानी, मसूरी, जोशीमठ और औली बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई। तीन लोग घायल हो गए।

पहाड़ों में मौसम ने अचानक करवट बदली और उच्च हिमालय क्षेत्रों में बीती रात से ही बर्फबारी शुरू हो गई। पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के चलते उत्तराखंड कड़ाके की सर्दी की चपेट में है। उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री, गंगोत्री, हर्षिल, हरकिदून घाटी के दर्जनों गांवों में करीब 10 से 15 इंच तक बर्फबारी हो चुकी है। यमुना घाटी में भी बर्फबारी लगातार जारी है। यमुना जी का मंदिर भी बर्फ की चपेट में आ गया है। नैनीताल में शीतकाल की पहली बर्फबारी देखने को मिली। देर रात बरसात होने के बाद तड़के सवेरे बर्फबारी हुई जिससे लोगों के चेहरे खिल उठे।

नैनीताल में पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि के बाद गुरुवार को मौसम का पहली बर्फबारी देखने को मिली। नैनीताल का तापमान शून्य से नीचे चला गया है। बर्फबारी के चलते पर्यटकों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। यमुनोत्री राजमार्ग बंद पड़ा है। यमुनोत्री राजमार्ग राड़ी टॉप व गंगोत्री राजमार्ग चंपावत की कई सड़कें बंद पड़ी हैं।

कुमाऊं मंडल के पुलिस उपमहानिरीक्षक जगत राम जोशी का कहना है कि सभी जिलों में एसडीआरएफ और पुलिस की टीम को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अभी शनिवार तक बर्फबारी के आसार है। बर्फबारी से कहीं नुकसान हो रहा हैं तो वही दूसरी तरफ सेब और चावल की खेती करने वाले किसानों को फायदा हुआ है।

केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री यमुनोत्री, हेमकुंड नैनीताल, पिथौरागढ़, मुंसियारी, टिहरी, पौड़ी, औली जोशीमठ, चमोली समेत पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण तापमान शून्य से नीचे चला गया है। उत्तराखंड के चारों धामों को बर्फ की चादर ने ढक दिया है।

छह राज्यों ने किया कानून लागू करने से इनकार

पेज 1 का बाकी

कही। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक को संसद में पारित करके और इसके कानून बना कर केंद्र सरकार हमें इसे मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। दूसरी ओर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि नागरिकता संशोधन के मुद्दे पर हम पार्टी की लाइन मानेंगे। उन्होंने कहा कि हमलोग उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहते, जिसका बीज भेदभाव हो। महाराष्ट्र में बाला साहेब थोराट ने कहा कि हम पार्टी नेतृत्व की नीति का पालन करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि इस कानून पर पार्टी नेतृत्व का निर्णय ही उनका भी निर्णय है। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को एलान किया था कि राज्य में इसे लागू नहीं किया जाएगा।

केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने भी कहा कि उन्हें भी यह स्वीकार नहीं है। विजयन ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार भारत को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके राज्य में एनआरसी और नागरिकता कानून दोनों ही लागू नहीं किए जाएंगे।

असम व पूर्वोत्तर की आग पहुंची बंगाल

पेज 1 का बाकी

कुछ इलाकों में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाया गया है। असम के विभिन्न इलाकों में सेना की 26 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। नागरिकता कानून को लेकर चल रहे हंगामे की वजह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार और सोमवार को पूर्वोत्तर के दो राज्यों- मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का अपना दौरा रद्द कर दिया है। असम और मेघालय में इंटरनेट और ट्रेन सेवाएं ठप हैं। इस बीच, प्रदर्शन और हिंसा की शुक्रवार को पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई। प्रदर्शनकारियों ने मुर्शिदाबाद में एक रेलवे स्टेशन फूंक दिया। राजधानी कोलकाता से सटे हावड़ा के उलूबेड़िया में छह घंटे से ज्यादा समय तक राष्ट्रीय राजमार्ग छह जाम कर दिया गया। फ्रांस ने अपने नागरिकों के लिए परामर्श जारी कर उन्हें असम और त्रिपुरा नहीं जाने की सलाह दी है।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में संशोधित नागरिकता विधेयक का विरोध कर रहे हजारों प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को बेलडांगा स्टेशन में आग लगा दी और वहां तैनात आरपीएफ कर्मियों के साथ मारपीट की। कई अल्पसंख्यक संगठनों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन पर उतरे हैं। एक अधिकारी के मुताबिक, 'प्रदर्शनकारी अचानक रेलवे स्टेशन के परिसर में आ घुसे और उन्होंने प्लेटफार्म, दो तीन मंजिले भवनों और रेलवे कार्यालयों में आग लगा दी।' इसके अलावा हावड़ा के उलुबेरिया में राष्ट्रीय राजमार्ग छह बाधित कर दिया गया। हाथों में राष्ट्रीय तिरंगा लिए प्रदर्शनकारी दोपहर बाद ढाई बजे जमा हुए और राजमार्ग को बाधित कर दिया। यह राजमार्ग कोलकाता को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली एक प्रमुख सड़क है। पिछले दो दिनों से राजधानी गुवाहाटी में कर्फ्यू के बीच संवेदनशील इलाकों में स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए सेना के जवान भी तैनात हैं। इंटरनेट सेवाएं लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को भी बाधित रहीं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने गुवाहाटी-डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार और सोमवार को पूर्वोत्तर के दो राज्यों मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का अपना दौरा रद्द कर दिया है। शाह का यह दौरा ऐसे समय रद्द किया गया है जब मेघालय और असम में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री को मेघालय की राजधानी शिलांग के निकट स्थित पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी के पासिंग आउट परेड में रविवार को शामिल होना था।

दोषी की याचिका के खिलाफ अदालत पहुंचीं निर्भया की मां

पेज 1 का बाकी

को उसी वक्त सुनी जाएगी जब दोषी की पुनर्विचार याचिका सुनवाई के लिए आएगी। शीर्ष अदालत ने पिछले साल नौ जुलाई को इस मामले के तीन अन्य दोषियों 30 वर्षीय मुकेश, पवन गुप्ता और विनय शर्मा की पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी थीं।

इस बीच, दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि वह निर्भया मामले के चारों दोषियों की फांसी की सजा पर अमल करने के लिए जरूरी वारंट जारी करने की मांग की याचिका पर 18 दिसंबर को सुनवाई करेगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने यह देखते हुए कि दोषियों में से एक की पुनर्विचार याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करना है, इस मामले की सुनवाई 18 दिसंबर को तय की।

जज ने कहा- जब तक पुनर्विचार याचिका लंबित है तब तक हमें इंतजार करना होगा। उन्होंने कहा- मेरा विचार है कि जब पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो हमें उस फैसले का इंतजार करना चाहिए। चूंकि उसकी (दोषी अक्षय कुमार) याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 17 दिसंबर को सुनवाई होनी है, इसलिए इस मामले को 18 दिसंबर तक के लिए स्थगित करते हैं। अभियोजन पक्ष ने फांसी की सजा पर अमल करने वाला वारंट जारी करने की मांग करते हुए कहा कि अदालत मौत की सजा पर अमल करने वाला वारंट जारी कर सकती है। अदालत को 'डेथ वारंट' जारी करने से कौन रोक सकता है। सुनवाई के दौरान निर्भया के माता-पिता ने अदालत को बताया कि दोषी जानबूझकर सजा टालने की कोशिश कर रहा है।

इसके बाद बंद कमरे में हो रही सुनवाई में दोषियों -अक्षय, मुकेश, पवन गुप्ता और विनय शर्मा को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया और जज ने दोषियों की पहचान की पुष्टि की। अदालत के सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को दोषी मुकेश का कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था और जज ने उसे बताया कि उसके वकील की अनुपस्थिति में अदालत उसके लिए वकील नियुक्त करेगी। अदालत ने दोषी को अगली सुनवाई की तारीख बताई और सुनवाई को स्थगित कर दिया।

बताते चलें कि दक्षिण दिल्ली में 16-17 दिसंबर, 2012 की रात छह लोगों ने चलती बस में 23 वर्षीय मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसे बुरी तरह जख्मी हालत में सड़क किनारे फेंक दिया था। पीड़िता की 29 दिसंबर को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में मृत्यु हो गई थी।

राज्यों को इनकार का हक नहीं : केंद्र

सबरीमला पर किसी नए आदेश से इनकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकारों को नागरिकता कानून, 2019 को लागू करने से इनकार करने का अधिकार नहीं है। यह कानून संविधान की सातवीं अनुसूची की केंद्रीय सूची के तहत बनाया गया है।

गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी ने कहा, 'राज्यों को ऐसे किसी भी केंद्रीय कानून को लागू करने से इनकार करने का अधिकार नहीं है जो संघ सूची में है।'

पेज 1 का बाकी

की रोक नहीं है लेकिन यह भी सही है कि यह अभी अंतिम नहीं है। पीठ ने कहा कि सात सदस्यीय पीठ को सौंपे गए मुद्दों पर फैसला आने के बाद जल्द से जल्द पिछले साल सितंबर के फैसले पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिकाओं को सूचीबद्ध किया जाएगा। इसने कहा कि वह वृहद पीठ का निर्णय आने तक इस मामले में कोई आदेश नहीं देगा और यदि मंदिर में पूजा के लिए महिलाओं का सहर्ष स्वागत किया जाता है तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी।

एक याची के वकील ने जब जोर देकर कहा कि पिछले साल के निर्णय पर अदालत ने रोक नहीं लगाई है तो जजों ने कहा-हम जानते हैं कि कानून आपके पक्ष में है और यदि इसका पालन किया गया और इसका उल्लंघन हुआ तो हम लोगों को जेल भेजेंगे। इससे पहले सुनवाई शुरू होते ही एक महिला कार्यकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कोलिन गोन्साल्विज ने कहा कि केरल सरकार महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दे रही है और यह पिछले साल के फैसले पर रोक जैसा ही है हालांकि प्रधान न्यायाधीश ने कहा- इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस मामले में एक फैसला है। इस बारे में भी कोई संदेह नहीं है कि मामले को वृहद पीठ को सौंप दिया गया है। मैंने अभी तक वृहद पीठ गठित नहीं की है। सहूलियत के संतुलन के लिए जरूरत है कि हम आज कोई आदेश नहीं दें। यदि मामले का फैसला आपके पक्ष में हुआ तो हम इसे लागू करेंगे। गोन्साल्विज ने जब यह कहा कि मंदिर जाने वाली महिलाओं को पुलिस संरक्षण का आदेश दिया जा सकता है तो पीठ ने कहा कि वह नहीं चाहती कि स्थिति विस्फोटक हो।

जजों ने कहा- हम किसी तरह की हिंसा नहीं चाहते। हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। हम फैसला लेंगे। इसमें संदेह नहीं कि फैसला आपके पक्ष में है लेकिन यह भी सही है कि यह अंतिम नहीं है।

नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दस्तक

पेज 1 का बाकी

गया। शीर्ष अदालत में इस कानून की वैधानिकता को चुनौती देते हुए याचिका दायर करने वाले अन्य व्यक्तियों और संगठनों में आल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू), पीस पार्टी, गैर सरकारी संगठन 'रिहाई मंच' और सिटीजंस अगेंस्ट हेट, अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा और कानून के छात्र शामिल हैं।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ के समक्ष शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस की सांसद मोइत्रा की याचिका सुनवाई के लिए 13 या 16 दिसंबर को सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया गया। पीठ ने कहा, 'आज? आज कुछ नहीं। आप शीघ्र सुनवाई के उल्लेख के लिए निर्धारित अधिकारी के पास जाएं।' जयराम रमेश की याचिका में कहा गया है कि यह कानून संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की बुनियाद पर हमला है और यह समानता को असमान बनाने वाला है। मोइत्रा ने इस कानून को 'सरासर असंवैधानिक' बताते हुए कहा कि यह भारत के धर्मनिरपेक्षता के बहुलता, बहुधर्मी और सर्वधर्म समभाव की बुनियाद को नष्ट करता है। रमेश ने अपनी याचिका में कहा है कि इस कानून ने न्यायालय के विचार के लिए अनेक कानूनी सवालों को जन्म दिया है। इनमें यह भी शामिल है कि क्या भारत में नागरिकता प्राप्त करने या इससे इनकार करने के लिए धर्म एक पहलू हो सकता है। याचिका में नागरिकता कानून में संशोधन को पूरी तरह असंवैधानिक बताते हुए कहा गया कि इस कानून से अनेक सवाल पैदा हुए।

मोइत्रा ने इस संशोधित कानून को विघटनकारी, लोगों को अलग करने वाला और पक्षपात करने वाला बताते हुए अपनी याचिका में कहा है कि इससे देश का धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को अपूरणीय नुकसान होगा और यह विशेष धर्मों के अवैध शरणार्थियों को तत्काल नागरिकता हासिल करने की अनुमति देता है। तृणमूल सांसद ने इस याचिका का निपटारा होने तक नागरिकता संशोधन कानून के अमल और इसके तहत सभी कार्रवाइयों पर रोक लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

राहुल के बयान पर लोकसभा में हंगामा, माफी मांगने की मांग

पेज 1 का बाकी

पर अध्यक्ष ने सत्र के बारे में अपना बयान देकर सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। सिंह ने कहा, 'देश एक निर्यातक देश के रूप में खड़ा हो जाए इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम पर बल दिया है। 'मेक इन इंडिया' के साथ जिस तरह की तुकबंदी सदन के वरिष्ठ सदस्य राहुल गांधी द्वारा की गई है, उससे पूरा देश आहत हुआ है। उनको सदन ही नहीं बल्कि पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।' इस दौरान सदन में राहुल गांधी मौजूद थे। सदन में नारेबाजी के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दोपहर 12:15 बजे के तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन प्रश्नकाल आरंभ होने के साथ ही भाजपा की कई महिला सदस्य अपने स्थान पर खड़ी हो गईं और राहुल गांधी से माफी की मांग करने लगीं। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने संसद पर 2001 में आज के दिन हुए आतंकी हमले की घटना का जिक्र किया और सदन ने हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी।

राहुल का माफी मांगने से इनकार

पेज 1 का बाकी

इन इंडिया' दिखाई देगा, लेकिन आज जब हम अखबार खोलते हैं तो हमें सब जगह 'रेप इन इंडिया' दिखाई देता है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज पूरे देश में हिंसा है। महिलाओं पर हिसा हो रही है। उत्तर-पूर्व राज्यों में हिंसा हो रही है। कश्मीर में हिंसा हो रही है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, 'मेरे फोन पर क्लिप है जिसमें नरेंद्र मोदी दिल्ली को रेप कैपिटल' कह रहे हैं।'

इस बीच, इस मुद्दे पर संसद में भाजपा सदस्यों के हंगामे के बाद कांग्रेस ने सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं पर देश में फैली अराजकता से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया और दावा किया कि उन्नाव की घटनाओं पर महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कुंभकरण की नींद में थीं और निर्भया कोष की विफलता पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। पार्टी प्रवक्ता सुष्मिता देव ने कहा, 'मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर हम रैली में किसान की बात कर सकते हैं, युवाओं की बेरोजगारी की बात कर सकते हैं तो महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचार के ऊपर रैली में बोलने पर कोई रोक क्यों है?' इससे पूर्व स्मृति ईरानी ने संसद भवन परिसर में कहा, ' उन्होंने (राहुल ने) महिलाओं के बलात्कार और उनकी पीड़ा को राजनीति के लिये इस्तेमाल किया।'

www.readwhere.com

फांसी देते समय कोई रहम नहीं : पवन

लखनऊ, 13 दिसंबर (भाषा)।

निर्भया मामले के दोषियों को फांसी देने की चर्चाओं के बीच अपराधियों को फांसी देने का काम करने वाले पवन जल्लाद का कहना है कि दुर्दांत अपराधी को मौत के फंदे पर लटकाते समय उनके दिल में कोई रहम नहीं होता है। पवन के परिवार में तीन पीढ़ियों से लोग जल्लाद का काम करते आ रहे हैं। पवन का कहना है कि किसी भी अपराधी को फांसी देने की तैयारी करने के लिए बस एक दिन का समय काफी होता है।

निर्भया मामले में मौत की सजा पाए दोषियों को फांसी देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर जेल प्रशासन का आदेश आता है तो वह इसके लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हैं।

मेरठ जेल के जल्लाद पवन ने शुक्रवार को एक समाचार एजंसी को दिए विशेष साक्षात्कार में बताया, 'मेरे परिवार में तीन पीढियों से फांसी देने का काम हो रहा है। मेरे दादा कल्लू जल्लाद, पिता बब्बू जल्लाद के बाद अब मैं तीसरी पीढ़ी में यह काम कर रहा हूं।' एक सवाल के जवाब में पवन ने बताया, 'मैं पूरी रात जागकर फांसी की तैयारी करता हूं लेकिन मुख्य तैयारी आखिरी दो से तीन घंटे में होती है।

NALWA SONS INVESTMENTS LIMITED

CIN: L65993DL1970PLC146414
Regd. Office: 28, Najafgarh Road, Moti Nagar Industrial Area, New Delhi-110 015
Ph. No.: (011) 45021854, 45021812, Fax : (011) 25928118, 45021982
Email Id.: investorcare@nalwasons.com, Website: www.nalwasons.com
Branch Office : O.P. Jindal Marg, Hisar- 125005, Haryana

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2019

(₹ in lakh, except per share data)

S. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		For the Quarter ended		For the Half Year ended		For the Quarter ended		For the Half Year ended	
		September 30, 2019	September 30, 2018	September 30, 2019	September 30, 2018	September 30, 2019	September 30, 2018	September 30, 2019	September 30, 2018
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited
1	Total income from operations	3,220.08	3,084.74	3,495.64	3,427.39	3,460.11	3,304.03	3,972.83	4,040.00
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,888.29	2,959.70	1,179.82	3,250.81	1,799.37	3,497.51	1,319.61	4,176.50
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,888.29	2,959.70	1,179.82	3,250.81	1,797.59	3,557.59	1,315.48	4,234.73
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,058.58	2,700.16	1,511.92	2,915.48	1,910.20	3,244.01	1,532.75	3,792.09
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(33,194.99)	28,943.11	(56,641.29)	30,091.67	(30,742.05)	29,130.68	(57,470.08)	29,844.58
6	Equity Share Capital	513.62	513.62	513.62	513.62	513.62	513.62	513.62	513.62
7	*Earning Per Share (of Rs 10/- Each) (for continuing and discontinued operations) -*								
	1. Basic:	4.01	5.26	2.94	5.68	3.72	6.32	2.98	7.38
	2. Diluted:	4.01	5.26	2.94	5.68	3.72	6.32	2.98	7.38

Notes :-

1. The above results have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 13th December, 2019. The results for the quarter and half year ended September 30, 2019 has been subject to Limited Review by Statutory Auditors.
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Half yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Half yearly Financial Results are available on the Company's website (www.nalwasons.com) and websites of Stock Exchanges (**www.bseindia.com/www.nseindia.com**).

For Nalwa Sons Investments Limited
Rakesh Kumar Garg
Executive Director & C.E.O.
DIN : 00038580

Place : Hisar
Date : 13th December, 2019

FRESHTROP FRUITS LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L15400GJ1992PLC018365
Registered Office: A-603, Sapath-IV, Opp Karnavati Club, SG Highway, Ahmedabad - 380015 | **Tel:** +91-79-40307050-57
Email: secretarial@freshtrop.com | **Website:** www.freshtrop.com

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF FRESHTROP FRUITS LIMITED

This post buyback public announcement (the "**Post Buyback Public Announcement**") is being made in compliance with Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 and subsequent amendments thereof (the "**Buyback Regulations**") regarding completion of the Buyback. This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the Public Announcement dated September 27, 2019 published on September 30, 2019 (the "**Public Announcement**") and the Letter of Offer dated November 8, 2019 (the "**Letter of Offer**"). The terms used but not defined in this Post Buyback Public Announcement shall have the same meanings as assigned in the Public Announcement and the Letter of Offer.

1. THE BUYBACK

1.1. Freshtrop Fruits Limited ("Company") had announced the Buyback of upto 10,00,000 (Ten Lacs only) fully paid-up equity shares of face value of ₹10 each ("Equity Shares") representing up to 8.23 % of the total paid-up Equity Share capital of the Company as at March 31, 2019, from the Shareholders/Beneficial Owners of Equity Shares of the Company as on the record date i.e. October 11, 2019 ("Record Date"), on a proportionate basis, through the "Tender Offer" route at a price of ₹110 (Rupees One Hundred and Ten Only) per Equity Share ("**Buyback Price**") payable in cash for an aggregate consideration amount not exceeding ₹ 11,00,00,000 (Rupees Eleven Crores only) ("**Maximum Buyback Size**") (excluding any expenses incurred or to be incurred for the Buyback like filing fee payable to SEBI, advisors'/legal fees, public announcement publication expenses, printing and dispatch expenses, other transaction costs viz. brokerage, applicable taxes such as securities transaction tax, GST, stamp duty, other incidental and related expenses, etc.)("transaction cost"), being 14.47 % of the aggregate of the fully paid-up equity share capital and free reserves as per the latest audited financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2019.

1.2. The Company adopted the tender offer route for the purpose of the Buyback. The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by SEBI vide circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with the circulars issued in relation thereto, including the circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016 including any amendments or statutory modifications thereof.

1.3. The Buyback Offer opened on Thursday, November 21, 2019 and closed on Wednesday, December 4, 2019.

2. DETAILS OF BUYBACK

2.1 10,00,000 (Ten Lacs only) Equity Shares were bought back under the Buyback, at a price of ₹110 (Rupees One Hundred and Ten only) per Equity Share.

2.2 The total amount utilized in the Buyback is ₹11,00,00,000 (Rupees Eleven Crores Only) excluding transaction cost.

2.3 The Registrar to the Buyback i.e. Bigshare Services Private Limited ("Registrar"), considered 616 valid bids for 75,12,128 (Seventy Five Lacs Twelve Thousands One Hundred Twenty Eight only) Equity Shares in response to the Buyback, resulting in the tender of approximately 7.51 times of the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of the valid bids considered by the Registrar# are as follows:

Category	No. of Equity Shares Reserved in Buyback	No. of Valid Applications	Total Equity Shares Validly Tendered	% Response
Reserved Category for Small Shareholders	1,50,000	519	2,04,805	136.54
General Category for all Other Shareholders	8,50,000	97	73,07,323	859.69
Total	**10,00,000**	**616**	**75,12,128**	**751.21**

#As per the certificate provided by the Registrar

Note:

i. Out of 2,04,805 Equity Shares validly tendered by the Eligible Sellers in "Reserved Category for Small Shareholders" category, 1,50,013 Equity Shares have been accepted in the Buyback.

ii. Out of 73,07,323 Equity Shares validly tendered by the Eligible Sellers in "General Category for all Other Shareholders" category, 8,49,987 Equity Shares have been accepted in the Buyback.

2.4 All valid applications were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance/ rejection will be dispatched/emailed by the Registrar to the eligible Equity Shareholders, by December 13, 2019.

2.5 The settlement of all valid bids was completed by the Clearing Corporation on Friday, December 13, 2019. The Clearing Corporation has made direct funds payout to Eligible Shareholders whose shares have been accepted under Buyback. If the Eligible Shareholders bank account details were not available or if the funds transfer instruction was rejected by RBI/Bank, due to any reason, such funds were transferred to the concerned Stock Brokers settlement bank account for onward transfer to such Eligible Shareholders.

2.6 Equity Shares accepted under the Buyback were transferred to the Company Demat Escrow Account on Friday, December 13, 2019. The unaccepted Equity Shares have been returned to respective Eligible Shareholders/Shareholder Broker/Custodians by the Clearing Corporation on Friday, December 13, 2019. No Equity Shares held in physical form were tendered or accepted under the Buyback.

2.7 The extinguishment of 10,00,000 (Ten Lacs only) Equity Shares is currently under process and shall be completed on or before Friday, December 20, 2019.

3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

3.1. The capital structure of the Company, pre and post Buy Back is as under:

Particulars	Pre Buyback		Post Buyback*	
	No. of Shares	Amount (₹ in Lakhs)	No. of Shares	Amount (₹ in Lakhs)
Authorised Share Capital	1,50,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each	1500.00	1,50,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each	1500.00
Issued, Subscribed and Paid-up Capital	1,21,45,000 Equity Shares of ₹ 10 each	1214.50	1,11,45,000 Equity Shares of ₹ 10 each	1114.50

Subject to extinguishment of 10,00,000 Equity Shares.

3.2. Details of shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back have been accepted under the Buyback Offer are as under:

Sr. No.	Name of the Shareholder	No. of Equity Shares accepted under the Buyback	Equity Shares accepted as a % of total Equity shares bought back	Equity Shares accepted as a % of total Post Buyback Equity Shares
1.	Freshcap Foodstuff LLP	266356	26.64	2.39
2.	Ashok Vishandas Motiani	195991	19.60	1.76
3.	Nanita Ashok Motiani	107453	10.75	0.96
4.	Dipti Ashok Motiani	92770	9.28	0.83
5.	Priyanka Mayank Tandon	73535	7.35	0.66
6.	Mayank Ramesh Tandon	55724	5.57	0.50
7.	Avinash P Wadhwa	10545	1.05	0.09

3.3. The Shareholding Pattern of the Company, before the Buyback (as on the Record Date) and after the Buy Back is as under:

Category of Shareholder	Pre Buyback		Post Buyback*	
	No. of Equity Shares	% of the existing Equity Share Capital	No. of Equity Shares	% of the post Buyback Equity Share Capital
Promoters and persons acting in concert	70,47,171	58.03	62,55,333	56.13
Foreign Investors (including Non-Resident Indians, FIIs, FPIs, Foreign Mutual Funds, Foreign Nationals)	8,75,658	7.21	48,89,667	43.87
Financial Institutions/Banks, Mutual Funds promoted by Banks/ Institutions	0	0		
Others (Public, Bodies Corporate, etc.)	42,22,171	34.76		
Total	**1,21,45,000**	**100.00**	**1,11,45,000**	**100.00**

Subject to extinguishment of 10,00,000 Equity Shares.

4. MANAGER TO THE BUY-BACK

Chartered Capital And Investment Limited
711, Mahakant, Opp. V.S Hospital, Ellisbridge, Ahmedabad – 380006 | **Tel:** +91-79-2657 7571/2657 5337, **Fax:** +91-79-2657 5731
Email: info@charteredcapital.net, **Website:** www.charteredcapital.net | **Investor Grievance Email:** investor.relation@charteredcapital.net
Contact Person: Mr. Manoj Kumar Ramrakhyani/ Mr. Sagar Bhatt | **SEBI Registration No.:** INM000004018, Validity: Permanent
Corporate Identity Number: L45201GJ1986PLC008577

5. DIRECTOR'S RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, the Board of Directors of the Company accepts responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and confirms that this Post Buyback Public Announcement contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of Freshtrop Fruits Limited

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Ashok V Motiani	Nanita A Motiani	Ronak Dhruve
Chairman and Managing Director	Whole Time Director	Company Secretary
(DIN: 00124470)	(DIN : 00787809)	M. No: A47997

Date: December 13, 2019 **Place: Ahmedabad**

गुजरात सरकार के 24 आइएएस के तबादले

अहमदाबाद, 13 दिसंबर (भाषा)।

गुजरात सरकार ने प्रमुख सचिव, बंदरगाह और परिवहन विभाग की प्रमुख सचिव, सुनयना तोमर समेत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के 24 अधिकारियों का तबादला किया है। इन तबादलों की घोषणा गुरुवार देर रात की गई।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

India's International Bank

एच–1ए, प्लॉट नं.–27, नोएडा, सेक्टर–63, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301

कब्जा सूचना

अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ बड़ौदा**, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत ऋण धारक **श्री जगवीर सिंह पुत्र रामपाल सिंह और श्रीमती सुनीता पत्नी श्री जगवीर सिंह को मांग सूचना दिनांक 06.01.2018 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रू 13,94,511.42 (रू. तेरह लाख चौरानवे हजार पाँच सौ ग्यारह और पैसे ब्यालीस मात्र) दिनांक 06.01.2018 तक और दिनांक 01.01.2018 से ब्याज और अन्य प्रभार साथ से भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे और अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था। साथ में दिनांक 01.01.2018 से भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे और अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि

ऋणधारक/गारंटर राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतद्द्वारा ऋणधारक/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **12.12.2019** को लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक/गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन **बैंक ऑफ बड़ौदा, सैक्टर – 63, नोएडा के प्रभार वास्ते रू 13,94,511.42 (रू. तेरह लाख चौरानवे हजार पाँच सौ ग्यारह और पैसे ब्यालीस मात्र) दिनांक 06.01.2018 तक और दिनांक 01.01.2018 से ब्याज और अन्य प्रभार साथ से भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे और अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

निर्मित सम्पत्ति फ्लैट नं. 303, तृतीय तल, ब्लॉक– I, सैक्टर–सीएचआई/पीएचआई, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, यू.पी – 201308 में स्थित, क्षेत्रफल 30 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री जगवीर सिंह पुत्र रामपाल सिंह के नाम पर है। चौहद्दी : पूरब में – फ्लैट नं. 302, पश्चिम में – फ्लैट नं. 304, उत्तर में सीढ़ियां और रोड, दक्षिण में – रोड

दिनांक : 12.12.2019, स्थान : नोएडा — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

India's International Bank

एच–1ए, प्लॉट नं.–27, नोएडा, सैक्टर–63, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301

कब्जा सूचना

अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ बड़ौदा**, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत ऋण धारक **श्री विनीत कुमार पाल और श्री विपिन कुमार को मांग सूचना दिनांक 07.06.2018 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रू 13,33,011.81 (रू. तेरह लाख तैंतीस हजार ग्यारह और पैसे इक्यासी मात्र) दिनांक 07.06.2018 तक और दिनांक 01.06.2018 से ब्याज और अन्य प्रभार साथ से भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे और अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था। साथ में दिनांक 01.06.2018 से भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे और अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि

ऋणधारक/गारंटर राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतद्द्वारा ऋणधारक/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **12.12.2019** को लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक/गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन **बैंक ऑफ बड़ौदा, सैक्टर – 63, नोएडा के प्रभार वास्ते रू 13,33,011.81 (रू. तेरह लाख तैंतीस हजार ग्यारह और पैसे इक्यासी मात्र) दिनांक 07.06.2018 तक और दिनांक 01.06.2018 से ब्याज और अन्य प्रभार साथ से भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे और अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं. 597, प्रथम तल, ब्लॉक–ई, सैक्टर–XU– 01, ग्रेटर नोएडा में स्थित, क्षेत्रफल 30 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री विनीत कुमार पाल और श्री विपिन कुमार के नाम पर हैं। चौहद्दी : पूरब में – रोड, पश्चिम में – सीढ़ियां, उत्तर में – फ्लैट नं. 600, दक्षिण में – फ्लैट नं. 598

दिनांक : 12.12.2019, स्थान : नोएडा — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement.
This does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe for securities. Not for publication or distribution, directly or indirectly outside India.

EaseMyTrip.com

EASY TRIP PLANNERS LIMITED

Our Company was incorporated as 'Easy Trip Planners Private Limited', a private limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to the certificate of incorporation dated June 4, 2008 issued by the Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana at New Delhi ("**RoC**"). Thereafter, upon conversion to a public limited company, the name of our Company was changed to 'Easy Trip Planners Limited' pursuant to our Shareholders' resolution dated April 12, 2019 and a fresh certificate of incorporation dated May 11, 2019 was issued by the RoC. For details of change in the name and registered office of our Company, see "***History and Certain Corporate Matters***" beginning on page 149 of the Draft Red Herring Prospectus dated December 12, 2019 ("**DRHP**").

Registered and Corporate Office: 223, FIE Patparganj Industrial Area, East Delhi, Delhi – 110 092, India
Contact Person: Ms. Preeti Sharma, Company Secretary and Compliance Officer
E-mail: emt.secretarial@easemytrip.com **Website:** www.easemytrip.com **Telephone:** +91 11 4313 1313
Corporate Identity Number: U63090DL2008PLC179041

OUR PROMOTERS: MR. NISHANT PITTI, MR. RIKANT PITTIE AND MR. PRASHANT PITTI

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 2 EACH (THE "EQUITY SHARES") OF EASY TRIP PLANNERS LIMITED ("OUR COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ 5,100 MILLION (THE "OFFER"), COMPRISING OF AN OFFER FOR SALE OF UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 2,550 MILLION BY MR. NISHANT PITTI AND UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 2,550 MILLION BY MR. RIKANT PITTIE (TOGETHER WITH MR. NISHANT PITTI, THE "SELLING SHAREHOLDERS"). THE OFFER SHALL CONSTITUTE [•]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY AND THE SELLING SHAREHOLDERS, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS (THE "BRLMS") AND WILL BE ADVERTISED IN [•] EDITIONS OF [•] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND [•] EDITIONS OF [•] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER, HINDI ALSO BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF DELHI, WHERE OUR REGISTERED AND CORPORATE OFFICE IS SITUATED), AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE BSE LIMITED ("BSE") AND THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE") (THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSES OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES.

In case of any revision to the Price Band, the Bid/Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company and the Selling Shareholders in consultation with the BRLMs may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Offer Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Offer Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges by issuing a press release, and also by indicating the change on the websites of the BRLMs, and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank.

The Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (the "**SCRR**") read with Regulation 31 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (the "**SEBI ICDR Regulations**"). This Offer is being made through the Book Building Process in compliance with Regulation 6(2) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not less than 75% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**", and such portion the "**QIB Portion**"), provided that our Company and the Selling Shareholders may, in consultation with the BRLMs, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis (the "**Anchor Investor Portion**"). At least one-third of the Anchor Investor Portion shall be reserved for domestic Mutual Funds only, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the price at which allocation is made to Anchor Investors ("**Anchor Investor Allocation Price**"). Further, 5% of the Net QIB Portion (excluding the Anchor Investor Portion) shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. If at least 75% of the Offer cannot be Allotted to QIBs, the Bid Amounts received by our Company shall be refunded. Further, not more than 15% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders ("**Non-Institutional Portion**") and not more than 10% of the Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders ("**Retail Portion**"), in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. All potential investors (other than Anchor Investors) shall mandatorily participate in this Offer only through the Application Supported by Blocked Amount ("**ASBA**") process, providing details of their respective bank accounts (including UPI ID in case of Retail Individual Bidders) which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("**SCSBs**"), or the Sponsor Bank, as applicable, to participate in the Offer. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, see "***Offer Procedure***" on page 404 of the DRHP.

This public announcement is made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares pursuant to the Offer and has filed the DRHP dated December 12, 2019 with the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") on December 13, 2019 in relation to the Offer. Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made public, for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of the DRHP filing, by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com, and the websites of the Book Running Lead Managers i.e. Axis Capital Limited and JM Financial Limited at www.axiscapital.co.in and www.jmfl.com, respectively. Our Company invites the members of the public to give comments on the DRHP filed with the SEBI with respect to disclosures made in the DRHP. The public is requested to send a copy of the comments sent to SEBI, to the Compliance Officer and/or the Book Running Lead Managers at their respective addresses mentioned herein below on or before 5.00 p.m. on the 21st day from the aforementioned date of filing of the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity – related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have not been recommended or approved by the SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the DRHP. Specific attention of the investors is invited to "***Risk Factors***" on page 24.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS		REGISTRAR TO THE OFFER
AXIS CAPITAL	JM FINANCIAL	KFINTECH
Axis Capital Limited Axis House, Level 1, C-2, Wadia International Centre, Pandurang Budhkar Marg, Worli Mumbai – 400 025, Maharashtra, India **Telephone:** +91 22 4325 2183 **E-mail:** emt@axiscap.in **Website:** www.axiscapital.co.in **Investor Grievance E-mail:** complaints@axiscap.in **Contact Person:** Ms. Kanika Sarawgi Goyal **SEBI Registration Number:** INM000012029	**JM Financial Limited** 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg Prabhadevi, Mumbai – 400 025 Maharashtra, India Telephone: +91 22 6630 3030 **E-mail:** emt.ipo@jmfl.com **Website:** www.jmfl.com **Investor Grievance E-mail:** grievance.ibd@jmfl.com **Contact Person:** Ms. Prachee Dhuri **SEBI Registration No.:** INM000010361	**KFin Technologies Private Limited** (Formerly known as "Karvy Fintech Private Limited) Selenium, Tower B, Plot No.- 31 & 32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Hyderabad – 500 032, Telangana, India **Telephone:** +91 40 6716 2222 **E-mail:** easytrip.ipo@kfintech.com **Website:** www.karisma.kfintech.com **Investor Grievance E-mail:** einward.ris@kfintech.com **Contact Person:** Mr. M. Murali Krishna **SEBI Registration No.** INR000000221

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For **Easy Trip Planners Limited**
On behalf of Board of Directors
Sd/-
Company Secretary and Compliance Officer

Date: December 13, 2019
Place: New Delhi

Easy Trip Planners Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP dated December 12, 2019 with SEBI on December 13, 2019. The DRHP shall be available on the websites of SEBI, BSE and NSE at www.sebi.gov.in, www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the websites of the BRLMs i.e. Axis Capital Limited and JM Financial Limited at www.axiscapital.co.in and www.jmfl.com, respectively. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see the section titled "***Risk Factors***" on page 24 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation S under the Securities Act and the applicable laws of the jurisdictions where such offers and sales are made. There will be no public offering in the United States.

AdFactors/690

www.readwhere.com

दिल्ली जल बोर्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (सी) डीआर-III
कन्हैया नगर, दिल्ली-110035
फोनः 011 27394876, ईमेलः eecdr3@gmail.com

प्रैस एनआईटी सं.- 01 (2019-20)

क्रम सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित अनुबंध मूल्य (ईसीबी)/ निविदा राशि (रु.)	धरोहर राशि (ईएमडी) (रु.)	निविदा प्रॉसेसिंग शुल्क अप्रतिदेय (रु.)	निविदा जारी की तिथि/ निविदा आईडी	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	नरेला एसटीपी दिल्ली में उसके शोधन के लिये ड्रेन नं. 6 में अपशिष्ट जल प्रवाह को रोकने के लिये वेअर का निर्माण।	10072964/-	202000/-	1000/-	13.12.2019 2019_DJB_185544_1	3.1.2020 के 3.00 बजे अप. तक

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाइट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/651

हस्ता/-
कार्यपालक अभियंता (सी) डीआर-III

शुरुआती कारोबार में रुपया 33 पैसे मजबूत

मुंबई, 13 दिसंबर (भाषा)।

घरेलू शेयर बाजारों के बढ़त में खुलने तथा अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता को लेकर सकारात्मक संकेतों से निवेशकों की धारणा को बल मिला। इसके कारण शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया 33 पैसे की मजबूती के साथ 70.50 रुपए प्रति डॉलर पर रहा।

कारोबारियों ने कहा कि अमेरिका और चीन के व्यापार सौदे के करीब पहुंच जाने की खबरों से स्थानीय मुद्रा को समर्थन मिला। बृहस्पतिवार को रुपया 70.83 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। कारोबारियों ने बताया कि घरेलू शेयर बाजारों के बढ़त में खुलने से भी रुपए को समर्थन मिला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 269.32 अंक और निफ्टी 72.95 अंक की तेजी में चल रहा था।

सूचकांक 41,000 अंक के पार पहुंचा

मुंबई, 13 दिसंबर (भाषा)।

असर अमेरिका-चीन व्यापार करार और जॉनसन की जीत से उत्साहित हुआ शेयर बाजार

अमेरिका-चीन व्यापार करार को लेकर उम्मीद और ब्रिटेन के आम चुनाव में बोरिस जॉनसन की जीत के बीच शुक्रवार को बंबई शेयर बाजार का सूचकांक 428 अंक की छलांग के साथ 41,000 अंक के पार पहुंच गया। वैश्विक बाजारों में जोरदार बढ़त से यहां भी धारणा को बल मिला।

बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सूचकांक 41,055.80 अंक के उच्चस्तर को छूने के बाद अंत में 428 अंक या 1.05 फीसद की बढ़त के साथ 41,009.71 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 114.90 अंक या 0.96 फीसद की बढ़त के साथ 12,086.70 अंक पर बंद हुआ।

साप्ताहिक आधार पर सूचकांक 564.56 अंक या 1.39 फीसद चढ़ा है। वहीं निफ्टी भी साप्ताहिक आधार पर 165.20 अंक या 1.38 फीसद के लाभ में रहा। सूचकांक की कंपनियों में एक्सिस बैंक का शेयर सबसे अधिक 4.21 फीसद चढ़ गया। वेदांता में 3.75 फीसद, एसबीआइ में 3.39 फीसद, मारुति में 3.20 फीसद, इंडसइंड बैंक में 3.07 फीसद और येस बैंक में 2.87 फीसद का लाभ रहा। वहीं दूसरी ओर भारती एअरटेल का शेयर 1.98 फीसद टूट गया। कोटक बैंक में 1.38 फीसद, बजाज आटो में 0.88 फीसद, एशियन पेंट्स में 0.31 फीसद, एचडीएफसी बैंक में 0.05 फीसद और हिंदुस्तान यूनिलीवर में 0.03 फीसद का नुकसान रहा। कारोबारियों ने कहा कि अमेरिका-चीन व्यापार करार के पहले चरण के पूरा होने की खबरों तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन की आम चुनाव में जीत से निवेशक उत्साहित हैं। ट्रंप प्रशासन और चीन एक छोटे व्यापार करार को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं जिससे रविवार से लगने वाले शुल्क स्थगित हो जाएंगे। इससे दोनों देशों के बीच 17 माह से जारी व्यापार युद्ध कुछ ठंडा पड़ेगा। समझा जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस करार को अंतिम मंजूरी दे दी है।

विदेशी मुद्रा भंडार 2.3 अरब डॉलर बढ़कर सर्वकालिक ऊंचाई पर

मुंबई, 13 दिसंबर (भाषा)।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार छह दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 2.342 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 453.422 अरब डॉलर की सर्वकालिक ऊंचाई को छू गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को जारी साप्ताहिक आंकड़ों में यह जानकारी दी है। इससे पिछले सप्ताह देश का विदेशीमुद्रा भंडार 2.484 अरब डॉलर बढ़कर 451.08 अरब डॉलर था। समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा आस्तियां 1.891 अरब डॉलर बढ़कर 421.258 अरब डॉलर हो गईं और स्वर्ण भंडार 43 करोड़ डॉलर बढ़कर 27.078 अरब डॉलर रहा। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) से विशेष आहरण अधिकार भी 50 लाख डॉलर बढ़कर 1.441 अरब डॉलर हो गया।

टीवी सोमनाथन बने व्यय सचिव

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (भाषा)।

अगले वर्ष का बजट तैयार करने में लगी सरकार ने वरिष्ठ आइएएस अधिकारी टीवी सोमनाथन को व्यय सचिव बनाया है। यह पद अक्तूबर से खाली था।

सरकार ने शुक्रवार को अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किए। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के आइएएस अधिकारी सोमनाथन को व्यय सचिव नियुक्त किया गया है। वह फिलहाल अपने कैडर राज्य तमिलनाडु में कार्यरत हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू को 25 अक्तूबर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए जाने के बाद से व्यय सचिव का पद रिक्त पड़ा था। मंत्रालए के एक अन्य आदेश के अनुसार रवि मित्तल को सूचना और प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया है। वह अमित खरे का स्थान लेंगे। बिहार कैडर के 1986 बैच के आइएएस अधिकारी मित्तल फिलहाल वित्तीय सेवा विभाग में विशेष सचिव हैं। खरे अब उच्च शिक्षा विभाग में सचिव होंगे।

मेरे दफ्तर को छोड़, हर जगह जीएसटी दरों की चर्चा : सीतारमण

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (भाषा)।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए जीएसटी दरों में वृद्धि को लेकर चर्चा मेरे दफ्तर को छोड़कर हर जगह है। माल एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी) की बैठक से पहले उन्होंने यह बात कही।

वह राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए 5, 12, 18 और 28 फीसद जीएसटी दरों में वृद्धि की चर्चा के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब दे रही थीं। कहा जा रहा है कि राजस्व में कमी के कारण नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के क्रियान्वयन से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किए जाने वाला भुगतान प्रभावित हो रहा है। सीतारमण ने कहा, मेरे दफ्तर को छोड़कर यह चर्चा हर जगह है।

दिल्ली जल बोर्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (सिविल) प्लान्ट एसडीडब्ल्यू एस/ ई
श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली- 110065
प्रैस एन.आई.टी. सं. 38 (2019-20)

क्रम सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	ईई सिविल, प्लान्ट, एसडी डब्ल्यू दक्षिण पूर्व के अंतर्गत एसटीपी घिटोरनी में बाउण्ड्री वाल के चारो ओर सीमेन्ट क्रंकीट सम्पर्क सड़क का निर्माण। 2019_DJB_185483_1	3231730/-	12.12.2019	11.1.2020 3.00 बजे अप. तक।
2.	पीजीडीएवी कॉलेज एवं विनोवापुरी साइट पर ओवर फ्लों तथा लीकेज बंद करने सहित ग्रैविटी डक्ट का मरम्मत/सुदृढ़ीकरण 2019_DJB_185483_2	3230396/-	12.12.2019	11.1.2020 3.00 बजे अप. तक।

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाइट https://delhi.govtprocurement.gov पर देखें।
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/654

हस्ता./-
कार्यपालक अभियंता (सिविल) प्लान्ट एसडीडब्ल्यू एस/ई

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाषः +91 484-2396478, 2394712, फैक्सः +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (30.09.2018 की अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि: 18.12.2019

Gaziabad Vaishali: MSL-31752, MUL-1456, 1457, 1548, 1559, 1592, 1593, 1625, 1672, 1759, 1777, MWS-35, 166, 255, 313, 318, 396 [illegible] Ghaziabad-Ambedkar Road: [illegible] Ghaziabad-G.T. Road: [illegible] Vasundhara: [illegible] Sahibabad-Shalimar Garden Ext-II: [illegible] Ghaziabad-Raj Nagar District Centre: [illegible] Sahibabad-Rajinder Nagar: [illegible] Ghaziabad-Indrapuram: [illegible] Ghaziabad-Shastri Nagar: [illegible] Ghaziabad-Vaishali C Block: [illegible] Modi Nagar-(UP): [illegible] Ghaziabad-Rakesh Marg: [illegible] Ghaziabad-Lajpat Nagar: [illegible] Ghaziabad-Sanjay Nagar: [illegible] Ghaziabad-Vijay Nagar: [illegible] Pilakhuwa-(UP): [illegible] Ghaziabad-Navyug Market: [illegible] Vasundhra-Reliable City Mall: [illegible] Ghaziabad-Kaushambi: [illegible] Khurja-(UP): [illegible] Muradnagar-(UP): [illegible] Loni-Chiplyana-(UP): [illegible]

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा देय में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।
हालांकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संशोधित नीलामी वहीं दिनांक 19.12.2019 को क्रमशः नीलामी केंद्र Second Floor, Plot No. 20, Darshan Tower, Sector-4, Vaishali, Ghaziabad में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहां इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली – 110024

नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों को गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडीः auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

कार्यालय वसूली अधिकारी-II, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, पटेल चौक, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

आर.सी. नं. 329/2015 — बिक्री उद्घोषणा — तिथिः 19.11.2019

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा
सेन्ट्रल ऑफ इंडिया बनाम मोह. करीम एवं अन्य

सेवा में,
(सीडी-1) श्री मोह. करीम, पुत्र मोह. मिनुद्दीन, IX/4305, गली नं. 9, अजीत नगर, गांधी नगर, दिल्ली-110031,
साथ हीः IX/4009, गली नं. 17, अजीत नगर, गांधी नगर, दिल्ली-110031
(सीडी-2) श्रीमती सजीफा बेगम, पत्नी श्री मोह. करीम, IX/4305, गली नं. 9, अजीत नगर, गांधी नगर, दिल्ली-110031,
साथ हीः IX/4009, गली नं. 17, अजीत नगर, गांधी नगर, दिल्ली-110031
(सीडी-3) श्री मोह. सलीम, पुत्र श्री मोह. करीम, IX/4305, गली नं. 9, अजीत नगर, गांधी नगर, दिल्ली-110031,
साथ हीः IX/4009, गली नं. 17, अजीत नगर, गांधी नगर, दिल्ली-110031
(सीडी-4) श्री योगेन्द्र शर्मा, पुत्र श्री गोपी चन्द शर्मा, 4341, गली नं. 8, अजीत नगर, गांधी नगर, दिल्ली-110031, साथ हीः एच.नं. 10/186, गीता कालोनी, दिल्ली-110031

जैसा कि आप पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली द्वारा जारी ओए नं. 323/2014/डीआरटी-III, दिल्ली में रिकवरी प्रमाणपत्र के अनुसार आपके द्वारा देय रु. 29,69,715/- (रुपये उन्नतीस लाख उन्हत्तर हजार सात सौ पन्द्रह मात्र) की राशि तथा रिकवरी प्रमाणपत्र के अनुसार देय ब्याज एवं लागत का भुगतान करने में विफल रहे हैं।
तथा जैसा कि अधोहस्तक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
तथा जैसा कि 12.5.2014 से उस पर लागतों तथा मासिक रूप से मिश्रित 14.75% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ रु. 29,69,715/- (रुपये उन्नतीस लाख उन्हत्तर हजार सात सौ पन्द्रह मात्र) की राशि सीडी नं. 1 से 4 के प्रति बकाया है।
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 25.1.2020 को 3.00 बजे अप. से 4 बजे के बीच (यदि जरूरी हो, समाप्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में बोली के मामले में स्वतः विस्तार उपबंध के साथ) ई-नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली "ऑन लाइन इलेक्ट्रानिक बोली" के माध्यम से मै. सी 1 इंडिया प्रा.लि., उद्योग विहार, फेज-2, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, गुड़गाँव, प्रथम तल, हरियाणा-122015, हेल्प लाइन न. +91-124-4302020/21/22/23/24, मो.: 09813887931, ईमेल आईडीः support@bankeauctions.co की वेबसाईट के माध्यम से आयोजित की जायेगी।
किसी भी प्रकार की पूछताछ तथा सम्पत्ति के निरीक्षण के लिये इच्छुक बोलीदाता डीआरटी-III, दिल्ली के डीआरटी सेल में सम्पर्क कर सकते हैं। यह बिक्री नीचे तालिका में नामित उपरोक्त प्रतिवादियों की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।
संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में बिक्री पर रखा जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली राशि संपत्ति के भाग की बिक्री से पूरी हो जाती है तो शेष के मामले में तुरंत बिक्री रोक दी जाएगी। यदि बिक्री संचालक अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाए; ब्याज लागत (बिक्री लागत सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो किसी भी लॉट की नीलामी से पूर्व बिक्री तत्काल रोक दी जाएगी।
ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे। यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।
संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

नियम एवं शर्तें
1. आरक्षित मूल्य जिससे कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी रु. 27,50,000/- (रुपये सत्ताईस लाख पचास हजार मात्र) है।
2. वह राशि जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जाएगी रु. 50,000/- (रुपए पचास हजार मात्र) है। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से बिक्री पर लगाया जाएगा।
3. उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को स्वीकार/ अस्वीकार कर सकते हैं।
4. रु. 275000/- (रुपये दो लाख पचहत्तर हजार मात्र) की ईएमडी का भुगतान 23.1.2020 तक रिकवरी अधिकारी-II, ऋण वसूली अधिकरण-III दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/ पे आर्डर द्वारा रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III दिल्ली के पास मुहरबंद लिफाफे में किया जायेगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई-नीलामी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
5. बोली आवेदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाईल नं. तथा यदि वे अपनी ओर से या अपने प्रधान की ओर से बोली कर रहे हों तो उद्घोषणा जमा किया जायेगा। बाद में मामले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा अन्यथा बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/ अटार्नी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/ काउंटर फाइल सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास ई-मेल या अन्य रूप से उक्त तिथि तक पहुंच जाए तथा उक्त दस्तावेजों का मूल सेट रिकवरी अधिकारी II, डीआरटी-III, दिल्ली के पास जमा की जायेगी।
6. सफल बोलीदाता को अगले बैंक कार्य दिवस के 3.00 बजे अप. तक ऊपर पैरा 4 में वर्णित विवरणों के अनुसार उक्त खाता में ईएमडी समायोजित करने के बाद अपनी अंतिम बोली राशि के 25% का भुगतान करना होगा।
7. असफल बोलीदाता को निर्देश दिया जाता है कि अपने ईएमडी के रिफंड के लिये आरसी की सुनवाई की निर्धारित तिथि या उससे पूर्व डीआरटी-III के रजिस्ट्री में पहचान के प्रमाण के साथ आवेदन दाखिल करें जो तदनुसार आरसी की सुनवाई की अनुसूचित/परवर्ती तिथि को वापस लौटाई जाएगी।
8. क्रेता को संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व तथा यदि 15वां दिन अवकाश या रविवार होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस में ऊपर पैरा 4 में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया में अंतिम बोली राशि के शेष 75% का भुगतान करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को रु. 1000/- तक 2% की दर से तथा रु. 1000/- की उक्त राशि के अधिक पर 1% की दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली के पास पाउंडेज शुल्क का भी भुगतान करना होगा।
9. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे को डेफ्रे करने के बाद यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस संपत्ति अथवा उस राशि जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे। बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।
10. संपत्ति की बिक्री **'जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है'** आधार पर की जा रही है।
11. अधोहस्ताक्षरी को किसी या सभी बोली को स्वीकार करने अथवा अनुपयुक्त पाते हैं तो अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है।

क्रम सं.	बिक्री की जाने वाली संपत्ति का विवरण जहाँ सम्पत्ति चूककर्ता तथा सह-स्वामी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति का है के नाम के साथ	आरक्षित मूल्य	ईएमडी (जमा)
1.	सम्पूर्ण निर्मित सम्पत्ति सं. IX/4009, गली नं. 17, अजीत नगर, गांधी नगर, दिल्ली-110031, माप 50 वर्ग यार्ड्स	रु. 2750000/-	रु. 2,75,000/-

सम्पत्ति या इसके किसी भाग पर मूल्यांकित राजस्वः उपलब्ध नहीं
सम्पत्ति पर अधिभार बकाया, यदि कोई हो, का विवरणः उपलब्ध नहीं
दावे, यदि कोई हो, जो सम्पत्ति के साथ जुड़े हैं और इसके प्रकार एवं मूल्य के अन्य कोई ज्ञात विवरणः उपलब्ध नहीं

आज 19 नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ जारी

(अनिल कुमार यादव)
वसूली अधिकारी-1, अतिरिक्त प्रभार

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाषः +91 484-2396478, 2394712, फैक्सः +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (30.09.2018 की अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि: 20.12.2019

Delhi-Rajouri Garden(Bali Nagar): MAL-1669, MUL-1418, 1469, 1672, 1728, 1733, 1757, 2066, 2272, MWS-56, 57, 65, 101, 118, 139 [illegible] Janakpuri: [illegible] Tilak Nagar: [illegible] Uttam Nagar: [illegible] Jail Road (Janakpuri II): [illegible] Main Najafgarh Road (Tilak Nagar): [illegible] Rajouri Garden: [illegible] Shivaji Park Janakpuri: [illegible] Kirti Nagar: [illegible] Milap Nagar: [illegible] Mahavir Nagar: [illegible] Tagore Garden: [illegible] Hari Nagar Ghantaghar: [illegible] Vishnu Garden: [illegible] Ganesh Nagar: [illegible] Mansarovar Garden: [illegible] Ramesh Nagar: [illegible] Naraina: [illegible] Moti Nagar: [illegible] Inderpuri: [illegible] Subhash Nagar: [illegible] Mukhram Garden: [illegible] Minakshi Garden: [illegible] Old Tilak Nagar: [illegible] Santgarh: [illegible] Karampura: [illegible] Khayala Road: [illegible]

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा देय में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।
हालांकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संशोधित नीलामी वहीं दिनांक 21.12.2019 को क्रमशः नीलामी केंद्र The Muthoot Finance Limited, A-33/34, 1st Floor, Ring Road, Rajouri Garden, Delhi - 110027 में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहां इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली – 110024

नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों को गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडीः auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

इलाहाबाद बैंक ALLAHABAD BANK

विश्वास की परम्परा (A Govt. of India Undertaking) A Tradition of Trust

शाखा कार्यालय : दरियागंज शाखा, नई दिल्ली, अंचल कार्यालय : दिल्ली-रा.रा.क्षे.

[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत]

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में इलाहाबाद बैंक, दरियागंज, नई दिल्ली (संस्थान का नाम) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदार मैसर्स डेल्ही मोबाइल मेट प्रा.लि. से लागत, प्रभारों, किये गये व्ययों तथा उस पर ब्याज को छोड़कर सूचना में उल्लिखित राशि रु. 3,62,92,523/- (रुपये तीन करोड़ बासठ लाख बानबे हजार पाँच सौ तेईस मात्र) का भुगतान कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहते हुए 03.10.2019 को एक मांग सूचना जारी की थी।
कर्जदार के राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण एतद्वारा कर्जदार को तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमें के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 11 दिसम्बर, 2019 को कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार राशि रु. 3,62,92,523/- (रुपये तीन करोड़ बासठ लाख बानबे हजार पाँच सौ तेईस मात्र) तथा लगत प्रभारों, उस पर व्यय एवं ब्याज के लिए इलाहाबाद बैंक, दरियागंज (संस्थान का नाम) के प्रभार का विषय होगा।
प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति सं. 1 : एसआर-3 नई दिल्ली के साथ 23.09.2013 को पंजीकृत पृष्ठ सं. 26 से 36 पर पुस्तक सं. 1, वॉल्यूम सं. 15307 में पंजीकरण सं. 7515 के माध्यम से संचित अलघ के पक्ष में सन्तोष गुप्ता द्वारा क्रियान्वित विक्रय विलेख दिनांक 20.09.2013 के माध्यम से डब्ल्यू.ई.ए., नाईवाला, करोल बाग, नई दिल्ली पर स्थित साई प्लाजा भवन, ब्लॉक-5 में प्लॉट सं. 68 पर निर्मित भूतल, सम्पत्ति म्यूनिसिपल सं. 10582(5/68) पर 54 वर्ग फीट की दुकान सं. 19.
उपर्युक्त सम्पत्ति की सीमा एवं चौहद्दी :
पूर्व : प्लॉट सं. 69, **पश्चिम** : प्लॉट सं. 67, **उत्तर** : सड़क, **दक्षिण** : एस. रोड
सम्पत्ति सं. 2 : एसआर-3 नई दिल्ली के साथ 24.07.2013 को पंजीकृत पृष्ठ सं. 20 से 30 पर पुस्तक सं. 1, वॉल्यूम सं. 15229 में पंजीकरण सं. 5692 के माध्यम से संचित अलघ के पक्ष में सुमेर गुप्ता तथा गुनीत सिंह अलघ द्वारा क्रियान्वित विक्रय विलेख दिनांक 22.07.2013 के माध्यम से डब्ल्यू.ई.ए., नाईवाला, करोल बाग, नई दिल्ली पर स्थित साई प्लाजा भवन, ब्लॉक-5 में प्लॉट सं. 68 पर निर्मित भूतल, सम्पत्ति म्यूनिसिपल सं. 10582(5/68) पर 54 वर्ग फीट की दुकान सं. 19.
उपर्युक्त सम्पत्ति की सीमा एवं चौहद्दी :
पूर्व : प्लॉट सं. 69, **पश्चिम** : प्लॉट सं. 67, **उत्तर** : सड़क, **दक्षिण** : एस. रोड
सम्पत्ति सं. 3 : एसआर-3 नई दिल्ली के साथ 24.07.2013 को पंजीकृत पृष्ठ सं. 50 से 60 पर पुस्तक सं. 1, वॉल्यूम सं. 15229 में पंजीकरण सं. 5695 के माध्यम से संचित अलघ के पक्ष में सुमेर गुप्ता तथा गुनीत सिंह अलघ द्वारा क्रियान्वित विक्रय विलेख दिनांक 22.07.2013 के माध्यम से डब्ल्यू.ई.ए., नाईवाला, करोल बाग, नई दिल्ली पर स्थित साई प्लाजा भवन, ब्लॉक-5 में प्लॉट सं. 68 पर निर्मित भूतल, सम्पत्ति म्यूनिसिपल सं. 10582(5/68) पर 54 वर्ग फीट की दुकान सं. 19.
उपर्युक्त सम्पत्ति की सीमा एवं चौहद्दी :
पूर्व : प्लॉट सं. 69, **पश्चिम** : प्लॉट सं. 67, **उत्तर** : सड़क, **दक्षिण** : एस. रोड

दिनांक : 11.12.2019 — ह./-
स्थान : नई दिल्ली — अधिकृत प्राधिकारी, इलाहाबाद बैंक

सार्वजनिक सूचना
(कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन के प्रकाशन के लिए विज्ञापन।
[illegible]
लाईकऑन ट्रेडिंग इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
[illegible]
लाईकऑन ट्रेडिंग इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
(मनीष कुमार)
निदेशक

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक!

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, पंजाब नैशनल बैंक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेटस एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सिक्योरिटी इन्टरेस्ट 2002 के साथ 60 दिनों के भीतर नोटिस में लिखित रकम की अदायगी हेतु एक डिमांड नोटिस जारी किया था। [illegible] दिनांक 11, दिसम्बर, 2019 को ले लिया है। [illegible]

क्र0 सं0	शाखा का नाम	खाते का नाम	ऋणकर्ता का नाम और पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	(13/2) मांग नोटिस की तिथि/मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सांकेतिक कब्जे की तिथि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम
1.	दिल्ली रोड, बड़ौत (7620)	श्रीमती कविता पत्नी श्री सुरेन्द्र पाल सिंह श्री विवेक कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र पाल सिंह 762000NC00000103 और 762000990000025	श्रीमती कविता पत्नी श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, श्री विवेक कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र पाल सिंह पता न्यू राम नगर, बिनौली बस स्टैंड के पास, बड़ौत, जिला- बागपत, यू.पी. 250611	[illegible]	29.08.2019 रु. 15,43,216/- दिनांक 01.07.2019 से ब्याज व अन्य खर्चे	11.12.2019	श्री दीपक कुमार शर्मा
2.	बड़ौत (0042)	श्रीमती राजेश देवी और श्री अमित कुमार 004200NC00010635 और 004200990000198	श्रीमती राजेश देवी पत्नी श्री राजवीर, श्री अमित कुमार पुत्र श्री राजवीर पता.मकान नं.11/742, गली नं 7, मौहल्ला विजयनगर, सुराना रोड, बड़ौत, यू.पी. 250611	[illegible]	17.07.2019 रु. 11,46,688.20 दिनांक 01.06.2019 से ब्याज व अन्य खर्चे	11.12.2019	श्री दीपक कुमार शर्मा
3.	बड़ौत (0042)	श्रीमती रानी पत्नी श्री मंगतराम और श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री मंगतराम 004200NC00010080 और 004200990000215	श्रीमती रानी पत्नी श्री मंगतराम, श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री मंगतराम पता. मकान नं. 11 / 747, गली नंबर 1, मौहल्ला विजयनगर, सुराना रोड, बड़ौत, यूपी	[illegible]	24.07.2018 रु. 10,62,130.50 दिनांक 01.07.2018 से ब्याज व अन्य खर्चे	11.12.2019	श्री दीपक कुमार शर्मा
4.	बड़ौत (0042)	श्री श्रवण कुमार वत्स पुत्र श्री जगबीर सिंह वत्स 004200930135337 0	श्री श्रवण कुमार वत्स पुत्र श्री जगबीर सिंह वत्स, निवासी मकान नं. 04/957, गली नंबर 14, मौहल्ला आजाद नगर, बड़ौत -250611	[illegible]	28.06.2019 रु. 4,59,656/- दिनांक 01.07.2018 से ब्याज व अन्य खर्चे	11.12.2019	श्री दीपक कुमार शर्मा

दिनांक:- 13.12.2019 — स्थान:- बड़ौत — प्राधिकृत अधिकारी

ईडी ने 'इस्लामिक बैंकिंग' पोंजी घोटाले में 10 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क कीं

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित 'इस्लामिक बैंकिंग या हलाल निवेश' पोंजी घोटाले में धन शोधन रोधक कानून के तहत बंगलुरु की एक कंपनी की 10 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की हैं।

इस मामले में आरोपी कंपनी एम्बिडेंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रवर्तक हैं। यह मामला बड़ी संख्या में निवेशकों को चूना लगाने से संबंधित है। पिछले साल कर्नाटक में यह मामला काफी चर्चा में रहा था। प्रवर्तन निदेशालय ने बयान में कहा कि आरोपी कंपनी और उसके प्रवर्तकों 'इस्लामिक बैंकिंग या हलाल निवेश' के नाम पर ग्राहकों से विभिन्न योजनाओं या हज-उमराह योजना के तहत धन जुटाया और उन्हें 15 फीसद मासिक तक के भारी रिटर्न का वादा किया। बयान में कहा गया कि कंपनी को इस तरह धन जुटाने का अधिकार नहीं है क्योंकि यह न तो रिजर्व बैंक और न ही सेबी के पास उसकी सामूहिक निवेश योजना के तहत पंजीकृत है। ईडी ने कहा कि कंपनी ने शुरुआत में नए निवेशकों से हासिल धन के जरिए मौजूदा निवेशकों से मुनाफा साझा किया। बयान में कहा गया है कि बंगलुरु के विभिन्न इलाकों में जमीन और आवासीय फ्लैट जैसी अचल संपत्तियां कुर्क की गई हैं। कुर्क अचल संपत्तियों का मूल्य 8.8 करोड़ रुपए है जबकि कुर्क की गई चल संपत्तियां 1.4 करोड़ रुपए की हैं।

1.57 लाख करोड़ रुपए का कर रिफंड जारी :आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक 1.57 लाख करोड़ रुपए का कर रिफंड जारी किया है। इससे पिछले वित्त वर्ष की पूरी अवधि में विभाग ने 1.23 लाख करोड़ रुपए का कर रिफंड जारी किया था। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने यह जानकारी दी। (**जनसत्ता ब्यूरो**)

सार्वजनिक सूचना

यह सार्वजनिक सूचना माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ द्वारा पारित आदेश तिथि 21.11.2019 के अनुपालन में जारी की जा रही है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मै. पेपर क्रिएशन्स बनाम जय लक्ष्मी लाइटिंग इंडस्ट्रीज के मामले में तथा विपुल गर्ग, परिसमापक बनाम ज्ञानिन्दर सदाना एवं अन्य के मामले में सी पी (आईबी) नं. 93/सीएचडी/एचआरवाई/2018 (स्वीकृत विषय) में सीए नं. 2019 के 810 के माध्यम से आईबीसी, 2016 की धारा 69 के साथ पठित धारा 43 एवं 66 के अनुपालन में माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ के समक्ष एक आवेदन दाखिल की गई है।

पुनः एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ के समक्ष उक्त मामले में सुनवाई की अगली तिथि 23.1.2020 है तथा नीचे वर्णित प्रतिवादियों अर्थात् प्रतिवादी नं. 9, प्रबंध निदेशक, मै. मिनशिअन एनर्जी प्रा. लि., 6/1ला तल, रुतुराज अपार्ट., महालक्ष्मी चार रास्ता के निकट, पाल्डी, अहमदाबाद, गुजरात-380007

प्रतिवादी सं. 12, प्रबंध निदेशक, मै. प्रभात इलेक्ट्रो स्टील प्रा. लि., 4/2381, गली नं. 10, बिहारी कॉलोनी, शाहदरा, दिल्ली-110032 को सलाह दी जाती है कि 23.1.2020 को माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण पीठ, चंडीगढ़ के समक्ष उक्त सुनवाई में उपस्थित रहें।

किसी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिये अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क करें।

कृते एवं के लिये,
मै. जय लक्ष्मी लाइटिंग इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
हस्ता./
विपुल गर्ग, परिसमापक
निवासी: एच नं. 779, प्रथम तल, सेक्टर 21, पंचकूला, हरियाणा
ईमेल: vipul_ca@rediffmail.com
मोबाईल: 9896046612
तिथि: 13.12.2019

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए
केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

तथा

मदरसन मोल्ड्स एंड डाईकास्टिंग लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 2रा तल, एफ-7, ब्लॉक बी-1, मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044 में है, के मामले में

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली'' से मुम्बई में ''महाराष्ट्र राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 28 नवम्बर, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ-पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पतेः बी-2 विंग, 2रा तल, पं. दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

2रा तल, एफ-7, ब्लॉक बी-1, मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044

कृते एवं के लिये
मदरसन मोल्ड्स एंड डाईकास्टिंग लिमिटेड
हस्ता./-
अशक टंडन
(निदेशक)
स्थानः दिल्ली
तिथि: 12.12.2019 DIN: 00032733

IDBI BANK — आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CIN: L65190MH2004GOI148838

बिक्री बनाम ई-नीलामी सूचना

[illegible]

टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड

7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055

माँग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 (''नियमावली'') के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13 (2) के अंतर्गत

सेवा में,
1. **विनोद कुमार गर्ग,** पुत्र श्री खुसाल चंद, एच. नं. 52, सेक्टर-9, फरीदाबाद, सेक्टर-7, बल्लभगढ़, हरियाणा-121006
2. **उमा गर्ग** पत्नी विनोद कुमार गर्ग, एच. नं. 52, सेक्टर-9, फरीदाबाद, सेक्टर-7, बल्लभगढ़, हरियाणा-121006

प्रिय महोदय/महोदय

कृपया सरफैसी अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत भेजी गई पूर्व सूचना तिथि 14 नवम्बर, 2019 देखें जिसकी प्राप्ति पर आप संबोध्य व्यक्ति ने समय पर भविष्य की किश्तों का भुगतान करने का वचन दिया था उक्त वचन तथा अंडरटैकिंग के अनुसार और आंशिक भुगतान करने के कारण आपकी उक्त ऋण खाता एक बार पुनः मानकीकृत हो गई। पुनः समय पर ईएमआई का भुगतान करने वचन देने तथा अंडरटैकिंग के बावजूद आप अपने वचन को पूरा करने में विफल रहे तथा आपने उसकी अनदेखी की तथा चालू माह के ईएमआई के भुगतान में चूक की है जिसके कारण कम्पनी ने एक बार फिर से 7 नवम्बर, 2019 को आपकी खाता को एनपीए घोषित कर दिया है।

एलएएन 7376487 में 27.05.2017 को टीसीएफएसएल की दिल्ली शाखा द्वारा आपको स्वीकृत होम इक्विटी (एलएपी) ऋण के अंतर्गत आगे के ब्याज के साथ 22 नव., 2019 को टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (यहां के बाद टीसीएफएसएल वर्णित) के लिये रु. ऋण खाता सं. 7376487 में रु. 12555389.44/- (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख पचपन हजार तीन सौ नवासी एवं पैसे चौआलिस मात्र) की राशि बकाया हो गया है। हमारी बार-बार की गई मांगों के बावजूद आपने अपनी खाता में बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है जिसे टीसीएफएसएल के बकाये के पुनर्भुगतान में आपकी चूक के कारण भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार 7 नवम्बर, 2019 को एनपीए खाता के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना तिथि 22 नवम्बर, 2019 जारी कर आपको सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर आगे के ब्याज एवं लागतों के साथ ऋण खाता सं. 7376487 में रु. 1,25,55,389.44 (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख पचपन हजार तीन सौ नवासी एवं पैसे चौआलिस मात्र) की उक्त ऋण राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जिसमें विफल होने पर टीसीएफएसएल नीचे वर्णित संपत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में आपके द्वारा निर्मित प्रतिभूति हित के प्रवर्त्तन सहित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत वर्णित किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

संपत्तियों की अनुसूची

सम्पत्ति सं. 52, क्षेत्रफल माप 500 वर्ग यार्ड्स जो बिक्री प्रलेख तिथि 21.02.2006 के अनुसार सेक्टर-09, अर्बण इस्टेट, फरीदाबाद, सेक्टर-7, बल्लभगढ़, हरियाणा-121006 में स्थित है।

चूंकि सूचना 22 नवम्बर, 2019 आपके उस पते जिसमें आप मूल रूप से निवास/ व्यवसाय/ व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करते हैं, पर भेजी गई जो सर्व नहीं हो सकी अतः हम इस सूचना को प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं। एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिनों के भीतर ऊपर वर्णित अपनी देयताओं को निष्पादित करें, अन्यथा टीसीएफएसएल उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार आप बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अंतरण नहीं करेंगे।

स्थानः नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथिः 14 दिसम्बर, 2019 **टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.**

JSL — जिन्दल स्टेनलेस (हिसार) लिमिटेड

(CIN: L27205HR2013PLC049963)
पंजीकृत कार्यालय : ओ.पी. जिन्दल मार्ग, हिसार-125005 (हरियाणा)
फोन नंबर : (01662) 222471-83 फैक्स नंबर : (01662) 220499
ई-मेल आईडी : investorcare.jshl@jindalstainless.com, वेबसाइट : www.jshlstainless.com
कार्पोरेट कार्यालय : जिन्दल सेंटर, 12 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110 066

डाक मतदान सूचना

[illegible]

ई-मेल : helpdesk.evoting@cdslindia.com

डाक मतदान का परिणाम 13 जनवरी, 2020 को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में घोषित किया जाएगा। डाक मतदान का परिणाम तथा संवीक्षक की रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.jshlstainless.com पर उपलब्ध कराई जाएगी तथा बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्रेषित की जाएगी।

कृते जिन्दल स्टेनलेस (हिसार) लिमिटेड
भारतेन्दु हारीत
कम्पनी सचिव
स्थान : हिसार
तिथि : 13 दिसम्बर, 2019

अनुसूची — प्रपत्र ए — सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

आर एम एस हौज़री प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

[illegible]

दिनांक : 13 दिसम्बर 2019
स्थान : नई दिल्ली

फार्म नंबर-INC-26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम-30 के अनुसरण में]

[illegible]

DIN : 00186175

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये
समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए विज्ञापन केंद्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, नई दिल्ली) उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

तथा

प्रासीक्योर पावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 216, दुर्गा चैम्बर, 133, डीबी गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 में है, के मामले में

.... आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से ''तेलंगाना राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 11 दिसम्बर, 2019 को आयोजित वार्षिक साधारण सभा/ असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

216, दुर्गा चैम्बर, 133, डीबी गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

आवेदक के लिए तथा उसकी ओर से
प्रोसीक्योर पावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता.
सुरेन्दर राव गुंडापनेनी
निदेशक
तिथि: 11.12.2019
स्थानः नई दिल्ली DIN: 028447197

सम्मन वास्ते करारदाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय ए.सी.जे. (जूनियर डिवीजन) कोर्ट सं. गौतमबुद्धनगर
नम्बर मुकदमा 80 सन् 2017

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स ए बॉडी कारपोरेट जिसका गठन बैंकिंग कम्पनीज (एक्यूजिशन एण्ड ट्रांसफर ऑफ अन्डरटेकिंग) एट-40 सन् 1980 जिसका प्रधान कार्यालय गुड़गांव तथा अन्य आफिसो में एक आफिस आर.आर.एस. नोएडा, शॉप नं. 12, गंगा शापिंग कॉम्पलैक्स गामा-1, ग्रेटर नोएडा द्वारा मैनेजर व अटॉर्नी होल्डर श्री शैलेन्द्र कुमार मिश्रा ...वादी

बनाम

1. श्रीमती अर्चना अत्री पुत्री श्री जगतपाल
2. जगतपाल पुत्र श्री महीपाल
3. श्रीमती सुमन देवी पत्नि श्री जगतपाल समस्त निवासीगण ग्राम व पोस्ट नीमका जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर ...प्रतिवादीगण

हरगाह वादी ने आपके नाम एक नालिश बाबत के दायर की है लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 16 माह 12 सन् 2019 बरवक्त 10 बजे दिन के असालतन या मार्फत वकील के जो मुकदमें के हालात से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और कुल उमूरात अहम मुतल्लिका मुकदमा का जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और शख्स हो कि जो जवाब ऐसे सवालात दे सके, हाजिर हो और जवाब देही दावा की करे और आपका लाजिम है कि उसी रोज अपने जुमला दस्तावेज पेश करें जिन पर आप बताईद अपनी जवाबदेही के इस्तदमाल करना चाहते हो।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मज़कूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आप मसमूअ और फैसला होगा।

बतख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 11 सन् 2019 ई. जारी किया गया।

जज

सम्मन वास्ते करारदाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय ए.सी.जे. (जूनियर डिवीजन) कोर्ट सं. गौतमबुद्धनगर
नम्बर मुकदमा 61 सन् 2017

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स ए बॉडी कारपोरेट जिसका गठन बैंकिंग कम्पनीज (एक्यूजिशन एण्ड ट्रांसफर ऑफ अन्डरटेकिंग) एट-40 सन् 1980 जिसका प्रधान कार्यालय गुड़गांव तथा अन्य आफिसो में एक आफिस आर.आर.एस. नोएडा, शॉप नं. 12, गंगा शापिंग कॉम्पलैक्स गामा-1, ग्रेटर नोएडा द्वारा मैनेजर व अटॉर्नी होल्डर श्री शैलेन्द्र कुमार मिश्रा ...वादी

बनाम

[illegible] ...प्रतिवादीगण

हरगाह वादी ने आपके नाम एक नालिश बाबत के दायर की है लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 16 माह 12 सन् 2019 बरवक्त 10 बजे दिन के असालतन या मार्फत वकील के जो मुकदमें के हालात से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और कुल उमूरात अहम मुतल्लिका मुकदमा का जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और शख्स हो कि जो जवाब ऐसे सवालात दे सके, हाजिर हो और जवाब देही दावा की करे और आपका लाजिम है कि उसी रोज अपने जुमला दस्तावेज पेश करें जिन पर आप बताईद अपनी जवाबदेही के इस्तदमाल करना चाहते हो।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मज़कूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आप मसमूअ और फैसला होगा।

बतख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 11 सन् 2019 ई. जारी किया गया।

जज

बैंक ऑफ इण्डिया Bank of India BOI

बैंक ऑफ इण्डिया विकास मार्ग शाखा (ए-45-46. लक्ष्मी नगर, निकट मधुबन चौक, विकास मार्ग, दिल्ली-110092) दूरभाष : 011-22013574, 28822192
VikasMarg.NewDelhi@bankofindia.co.in

सांकेतिक कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में बैंक ऑफ इण्डिया का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदार मैसर्स एमएसपी यात्रा प्रा.लि. इसके निदेशकों तथा जमानती श्री मानेन्द्र सिंह एवं श्रीमती मधु चौहान के माध्यम से कथित सूचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि रु. 9,49,165.66 + ब्याज (रुपये नौ लाख उनचास हजार एक सौ पैंसठ एवं छियासठ पैसे + ब्याज) का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए दिनांक 11.03.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

राशि के पुनर्भुगतान करने में कर्जदार के असफल होने के कारण एतद्वारा कर्जदार को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 09 दिसम्बर, 2019 को कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/जमानतियों तथा जनसामान्य को एतद्वारा इस सम्पत्ति से कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार रु. 6,01,687.51 तथा इस पर ब्याज के लिए बैंक ऑफ इण्डिया, विकास मार्ग शाखा (ए-45-46. लक्ष्मी नगर, निकट मधुबन चौक, विकास मार्ग, दिल्ली-110092) के अभियोग का प्रभार होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के सम्बन्ध में उपलब्ध समय-सीमा के लिए कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री मानेन्द्र सिंह के स्वामित्व में सम्पत्ति सं. 487, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, स्ट्रीट नं. 15, वेस्ट गुरु अंगद नगर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 से निर्मित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग।

सीमा : उत्तर : अन्य की सम्पत्ति **दक्षिण** : गली एवं प्रवेश
पूर्व : सम्पत्ति सं. 486 **पश्चिम** : सम्पत्ति सं. 487
स्थान : नई दिल्ली **(द्वारका प्रसाद)**
तिथि : 13.12.2019 **अधिकृत प्राधिकारी, बैंक ऑफ इण्डिया**

इंडियन ओवरसीज बैंक INDIAN OVERSEAS BANK

गुड़गाँव शाखा-0403
यादव भवन, पुराना रेलवे रोड,
गुड़गाँव, हरियाणा-122001

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिये) [नियम 8 (1) देखें]

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 3.5.2019 जारी कर ऋणधारकों/ मार्टगैजरों/ गारन्टरों मैं सिस्टम इलेक्ट्रिकल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, प्रॉप. श्री राम किशन, श्रीमती राज कुमारी पत्नी श्री राम किशन (मार्टगैजर), श्री जतिन छावड़ा, पुत्र श्री राम किशन (गारन्टर), मकान सं.: 1139, III रा तल, सेक्टर 4, गुड़गाँव 122001 (हरियाणा) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 2.5.2019 को रु. 2,79,59,553.55 (रुपये दो करोड़ उन्यासी लाख उन्सठ हजार पाँच सौ तिड़ेपन एवं पैसे पचपन मात्र) के साथ वसूली की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

1) ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 10 दिसम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।
2) विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय मांग सूचना जारी करने के बाद की गई वसूली, यदि कोई हो, को घटाकर रु. 2,79,59,553.55 (रुपये दो करोड़ उन्यासी लाख उन्सठ हजार पाँच सौ तिड़ेपन एवं पैसे पचपन मात्र) के साथ वसूली की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के चार्ज के अधीन होगा। कब्जा लेने की तिथि को बकाया राशि भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे के ब्याज, चार्जेज आदि के साथ रु. 2,95,68,081.40 (रुपये दो करोड़ पंचानवे लाख अड़सठ हजार इक्यासी तथा पैसे चालिस मात्र) है।
3) ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल संपत्ति विवरण

अधोलिखित में स्थित व्यावसायिक सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः

सुविधा का प्रकार	प्रतिभूतियों का विवरण
1. मार्टगैज	1/8, पुराना रेलवे रोड, जैकमपुरा, गुड़गाँव, पिन-122001 (हरियाणा) में स्थित व्यावसायिक सम्पत्ति जहाँ छावड़ा द्वारा ढाबा संचालित की जा रही है, विस्तारः कवर्ड एरिया 155 वर्ग यार्ड्स का इक्विटैबल मार्टगैज। स्वामी का नामः श्रीमती राज कुमारी चौहद्दीः उत्तरः गली, दक्षिणः प्लॉट नं. 2/8, पूर्वः श्री मित्तल की अन्य सम्पत्ति, पश्चिमः रोड

तिथि: 14.12.2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः गुड़गाँव इंडियन ओवरसीज बैंक

प्रपत्र 'ए' — सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

उमाणी फूड्स एंड कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	उमाणी फूड्स एंड कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	14-03-2014
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U51909DL2014PTC266446
5.	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	[illegible]
6.	कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभ तिथि	19-08-2019
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	15-02-2020
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और पंजीकरण नम्बर	सुमन सैनी IBBI/IPA-002/IP-N00747/2018-19/12324
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीकृत है	[illegible] suman62sain@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई-मेल	[illegible] suman62sain@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	27-12-2019
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई हो	शून्य
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनलों के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	संबंधित प्रपत्र उपलब्ध हैं	www.ibbi.gov.in/downloadforms.html [illegible]

[illegible]

हस्ता./-
(सुमन सैनी)
दिनांक : 13-12-2019
स्थान : नई दिल्ली

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8 व 9 के अधिनियम, 2002 के तहत ई-नीलामी विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल/अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों का तथा विशेष रूप से ऋणी(ओं)/गारन्टर(ओं) उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का **सांकेतिक/भौतिक (विवरण नीचे उल्लिखित) कब्जा** प्रतिभूति लेनदार के **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक** द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर **पंजाब नैशनल बैंक नीचे उल्लिखित ऋणी** ऋणी(ओं)/गारन्टर(ओं) की बकाया राशि की वसूली हेतु **दिनांक 30.12.2019** को बेची जायेगी। प्रत्येक संपत्ति का रिजर्व मूल्य एवं अर्नेस्ट मनी विवरण नीचे उल्लिखित है, तथा संपत्तियों का ज्ञात प्रभार का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो, के रूप में नीचे उल्लेख किया गया है। नीलामी प्रक्रिया को किसी भी स्थिति में बिना कारण बताये निरस्त/विलम्बित करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित रहेगा। उपयुक्त मामलों में बैंक खुद सम्पत्ति खरीदने हेतु बोली लगाने को स्वतंत्र है।

ऋणी(ओं) एवं गारंटर(ओं) प्रत्याभूति-दाता को सूचित किया जाता है कि सरफेसी एक्ट 2002 के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8(6) के अन्तर्गत 15 दिन का वैधानिक बिक्री नोटिस माना जाये।

क्र. सं.	ऋणी एवं शाखा का नाम	मांग नोटिस की तिथि एवं बकाया राशि का विवरण	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	कब्जे का प्रकार (भौतिक/सांकेतिक)	रिजर्व मूल्य / अर्नेस्ट मनी (EMD) / न्यूनतम बोली की वृद्धि	ईएमडी जमा के अंतिम तिथि	खाते का विवरण जिसमें ईएमडी आरटीजीएस/एनईएफटी जमा की जायेगी एवं आईएफएससी कोड	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
1.	शाखा : क्लॉक टॉवर, देहरादून ऋणी: मैसर्स वल्लभ विष्णन, प्रोपराइटर श्री नमन जैन पुत्र स्व0 श्री आशु जैन, दुकान नाम-ह्य, दुकान नं0 10/11, मेडोर प्लाजा कॉम्प्लेक्स, राजपुर रोड, देहरादून प्रोपराइटर/ऋणी: 1. श्री नमन जैन पुत्र स्व0 श्री आशु जैन, मकान नं0 4737 जैन मन्दिर रोड, निकट सुन्दर नगर पुलिस स्टेशन, सुन्दर नगर तरफ सैदान, लुधियाना पंजाब, 2. श्री नमन जैन पुत्र स्व0 श्री आशु जैन C/o श्रीमती मनिषा जैन पत्नी स्व0 श्री आशु जैन, मकान नं0 11, भगवान कॉटेज, हनुमान रोड, लुधियाना गारन्टर: 1. श्री नीरज जैन, 4736 जैन मन्दिर रोड, निकट सुन्दर नगर पुलिस स्टेशन, सुन्दर नगर तरफ सैदान, लुधियाना पंजाब 2. श्री नीरज जैन C/o श्रीमती मनिषा जैन पत्नी स्व0 श्री आशु जैन, मकान नं0 11, भगवान कॉटेज, हनुमान रोड, लुधियाना 3. श्री नीरज जैन पुत्र श्री चमन लाल जैन, बी-59, ईस्ट ज्योति नगर, निकट शाहदरा नई दिल्ली-110093	25.04.2019 रु0 2,02,19,681.68 + ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.04.2019 से	बंधक सम्पत्ति के सभी भाग आवासीय सम्पत्ति एम.सी. नं0 B-XXIV-4736/1, माप 200 वर्ग गज, निहित खसरा नं0 144, खाता नं0 874/943, जमाबंदी वर्ष 2007-08, स्थित मौजा तरफ सैदान हदबस्त नं0 172, स्थित सुन्दर नगर, तहसील व जिला लुधियाना। सीमायें:- उत्तर: श्री रंजीत की सम्पत्ति, साइड माप 60 फीट, पश्चिम: मनिषा जैन की सम्पत्ति, साइड माप 60 फीट, पूर्व: रोड, साइड माप 30 फीट, पश्चिम: मकान सह प्लॉट नं0 10 साइड माप 30 फीट	सांकेतिक	रु0 129.6 लाख / रु0 12.97 लाख / रु0 2 लाख	27.12.2019 सायं 05:00 बजे तक	पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या 3713003171160 (आईएफएससी कोड: PUNB0371300)	30.12.2019 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
2.	शाखा: नयागांव, देहरादून श्री राम पाल यादव पुत्र श्री बाबू राम यादव एवं श्रीमती कलेश देवी पत्नी श्री राम पाल यादव, निवासी: 105, मिस्सार वाला कोईवाला, देहरादून	25.04.2015 रु0 11,46,704/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.10.2010 से	बंधक सम्पत्ति संबंधित स्वामी श्री रामपाल यादव पुत्र श्री बाबू राम भूमि 241min (नया नं0 241/1) माप 0.05 एकड़ अथवा 202.50 वर्ग मीटर, स्थित मरवाम ग्रांट मावला प्रेम नगर, परगना पछवा दून जिला देहरादून। सीमायें:-पूर्व: गली एवं श्री हरि का मकान, पश्चिम: श्रीमती सुमित्रा देवी की भूमि, उत्तर: श्रीमती सुमित्रा देवी की भूमि, दक्षिण: श्री बिंदु का मकान एवं श्री राम चंद की भूमि	सांकेतिक	रु0 7.15 लाख / रु0 0.72 लाख / रु0 0.2 लाख	27.12.2019 सायं 05:00 बजे तक	पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या 1664003171160 (आईएफएससी कोड: PUNB0166400)	30.12.2019 प्रातः 10:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक
3.	शाखा:- तिलक रोड देहरादून ऋणी: मैसर्स शुभरिका कंटेनर, कार्यालय: खसरा संख्या 477 इंडस्ट्रियल एरिया डालवाला तहसील नरेन्द्रनगर जनपद टिहरी गढ़वाल। 249137, श्री अमित जैन पुत्र श्री विनोद कुमार जैन (पार्टनर/ऋणी/बंधकर्ता) श्रीमती शुभरिका जैन पत्नी श्री अमित जैन, श्रीमती निर्मल जैन पुत्री स्व0 महेश कुमार जैन (पार्टनर) सभी निवासी गण 560 सुनीम कॉलोनी संजय मार्ग नयी मंडी मुजफ्फरनगर-251001	03.12.2018 रु0 1,32,44,363.12 +ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.11.2018 से	हाइपोथिकेटेड प्लान्ट एवं मशीनरी और अचल आस्तियां। सम्पत्ति स्वामी- मैसर्स शुभरिका कंटेनर	भौतिक	रु0 18.5 लाख / रु0 1.85 लाख / रु0 0.2 लाख	27.12.2019 सायं 05:00 बजे तक	पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या 1087003171160 (आईएफएससी कोड: PUNB0108700)	30.12.2019 दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक

ई-नीलामी के लिये नियम व शर्तें : विस्तृत नियम व शर्तों की जानकारी के लिये आप वेब साईट https://etender.pnbnet.in:8443, www.pnbindia.in, www.tenders.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं या नियम व शर्तों की प्रतिलिपि हमारे कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस पर प्राप्त कर सकते हैं। ऋणियों/गारंटी दाताओं को सूचना दी जाती है कि डिमांड नोटिस के अनुसार समस्त राशि (ब्याज एवं अन्य खर्चों सहित) नीलामी की तारीख से पहले जमा कर दें। ऐसा न करने पर सम्पत्ति की नीलामी कर दी जायेगी और बची हुई राशि, यदि कोई है, ब्याज एवं खर्चों सहित वसूल की जायेगी। सभी स्टेच्युटरी बकाया/ अटेंडेंट शुल्क/ अन्य बकाया/ पंजीकृत शुल्क, स्टैम्प ड्यूटी, टैक्स आदि (जीएसटी सहित), खरीदार को वहन करना होगा।

दिनांक: 11.12.2019 स्थान – देहरादून प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार (रेल मंत्रालय) उद्यम)
रूचि की अभिव्यक्ति के लिए अनुरोध की अधिसूचना

...2. इच्छुक पार्टियों/फर्मों को सूचित किया जाता है कि ... ईओआई जमा करने के लिए ... डीएफसीसीआईएल वेबसाइट 'www.dfccil.com' पर अपलोड किया गया है।

2. पार्टियों/फर्मों से अनुरोध है कि वे ईओआई अधिसूचना को डाउनलोड करें और उसे भरकर बाद में उल्लेखित अधिसूचना में दिये गये पते पर अधिकतम 15.01.2020 अपनी ईओआई जमा करें।

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों के लिए)
तीसरी एवं चौथी मंजिल, प्लॉट सं. 55-56, उद्योग विहार फेज IV, गुरुग्राम (हरियाणा)-122015
दूरभाष : 0124-4684705, ई-मेल : secretaryjerc@gmail.com, वेबसाइट : www.jercuts.gov.in

दिनांक : 13.12.2019

निविदा सूचना

मासिक भाड़े पर पेट्रोल कार किराये पर लेने के लिए इच्छुक कम्पनियों, फर्मों तथा व्यक्तियों से मुहरबन्द कवर में निविदाएँ आमन्त्रित की जाती हैं। विवरण आयोग की वेबसाइट अर्थात www.jercuts.gov.in पर (उपशीर्ष "Tenders" के तहत) उपलब्ध है। निविदाएँ प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 30.12.2019 को 15.00 बजे तक है।

(राकेश कुमार)
सचिव

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का एक नवरत्न उपक्रम)
कॉनकॉर CONCOR
वेबसाइट : www.concorindia.com

निविदा सूचना : ग्राम/आईसी/1260/19/01 (केवल ई-टैंडरिंग माध्यम)

निविदा प्रपत्र की कीमत	₹ 1000.00 ... ई-भुगतान के माध्यम से
निविदा प्रक्रिया शुल्क	₹ 4,000.00 ... ई-भुगतान के माध्यम से
निविदा बिक्री की तिथि (ऑनलाइन)	14.12.2019 1900 बजे से 06.01.2020 (1600 बजे तक)
पूर्व-बोली बैठक की तिथि	20.12.2019 को 1130 बजे ... नई दिल्ली में
शुद्धि पत्र जारी करना (यदि कोई हो)	www.tenderwizard.com/CCIL पर
जमा करने की तिथि एवं समय	07.01.2020 को 1100 बजे
खुलने की तिथि एवं समय	08.01.2020 को 1130 बजे

सम्पूर्ण विवरण हेतु www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉगऑन करें। कार्यकारी निदेशक (क्षेत्रीय)

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank
तौरू (एसएमई) सोहना रिवाड़ी रोड तौरू, जिला-मेवात, हरियाणा
दूरभाष : 01267-282245 मोबाइल : 9416400393
ई-मेल आईडी : br.8213@syndicatebank.co.in

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति हेतु)
[नियम 8(1) देखें]

प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण (2002 की अधिनियम सं. 54) के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में अधोहस्ताक्षरी ने सिंडीकेट बैंक का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) (1) प्रदीप चौहान पुत्र कृष्ण चौहान तथा (2) सरोज पत्नी कृष्ण लाल (जमानती) को सूचना में लिखित राशि रु. 8,26,885.81 (रुपये आठ लाख छब्बीस हजार आठ सौ पचासी एवं इक्यासी पैसे मात्र) का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए 20.09.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

ऋणकर्ता द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण कर्जदार तथा जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियम के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 09 दिसम्बर, 2019 को 3.00 बजे अप. कब्जा कर लिया है।

व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन 01.07.2019 तक रु. 8,26,885.81 एवं उस पर भावी लागत, ब्याज आदि के लिए सिंडीकेट बैंक (शाखा कार्यालय : तौरू शाखा) के अभियोग का विषय होगा। प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

सम्पत्ति की अनुसूची

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती सरोज वत्नी स्व. श्री कृष्ण कुमार के स्वामित्व में राजस्व सम्पदा ग्राम तौरू, तहसील-तौरू, जिला-मेवात, हरियाणा में खेवट सं. 980, खाता सं. 1055, रेक्ट सं. 72, किला सं. 34(8-2), जिसमें विस्तार 5/162 भाग कुल क्षेत्रफल 05 मरला अर्थात 150 वर्ग गज। सीमाएँ : उत्तर : श्री ओम प्रकाश का प्लॉट, दक्षिण : रास्ता, पूर्व : रास्ता, पश्चिम : श्री ओम प्रकाश का मकान।

तिथि : 14.12.2019 — अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : तौरू — सिण्डीकेट बैंक

कार्यालय अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत भीलवाडा
क्रमांकः टीएस/एफ. 81/2019-20/डी-6574 — दिनांकः- 06.12.2019
NIB Code: PWD1920A2296
UBN No:- PWD1920WSOB11194, PWD1920WSOB11195 PWD1920WSOB11197, PWD1920WSOB11199 PWD1920WSOB11200

ई-टेण्डरिंग निविदा सूचना संख्याः 01/2019-2020

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से **ग्राम पंचायतों में विकास पथ का निर्माण कार्य एवं अनकनेक्टेड गांवों को डामर सड़कों से जोड़ने का निर्माण कार्य (चार पैकेज)** के लिए वर्ष 2019-20 में उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राजस्थान सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवम् दूर संचार विभाग/रेल्वे में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के 'एए' 'ए' एवं 'बी' श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से (उनकी सक्षमता के अनुसार) निर्धारित प्रपत्र में ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑन लाईन निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा का कार्य	ग्राम पंचायतों में विकास पथ का निर्माण कार्य एवं अनकनेक्टेड गांवों को डामर सड़कों से जोड़ने का निर्माण कार्य (पांच पैकेज)
निविदा की कुल लागत	रु. 783.93 लाख।
धरोहर राशि	अनुमानित लागत की दो प्रतिशत होगी
ऑन लाईन निविदा फॉर्म अपलोड की तारीख	निविदा दिनांक 11.12.2019 (बुधवार) प्रातः 9.30 बजे से 25.12.2019 (बुधवार) सांय 6.00 बजे तक।
ऑन लाईन निविदा फॉर्म डाउनलोड/मिलने व जमा कराने की तारीख	निविदा दिनांक 11.12.2019 (बुधवार) प्रातः 9.30 बजे से 25.12.2019 (बुधवार) सांय 6.00 बजे तक
ऑन लाईन निविदा खोलने की तारीख	निविदा दिनांक 27.12.2019 (शुक्रवार) सांय 05.00 बजे से
निविदा खोलने का स्थान	निविदाऐं कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि. वृत भीलवाड़ा द्वारा खोली जावेंगी।
निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि जमा कराने की तारीख	निविदाओं के कार्यों की धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट में कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि. संभाग अजमेर व सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड आसीन्द/भीलवाड़ा/माण्डलगढ़ के कार्यालय में दिनांक 26.12.2019 (गुरुवार) प्रातः 9.30 बजे से दिनांक 27.12.2019 (शुक्रवार) को प्रातः 11.00 बजे तक जमा कराई जा सकती हैं एवं निविदा खोलने वाले कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. वृत भीलवाड़ा के कार्यालय में दिनांक 26.12.2019 (गुरुवार) प्रातः 9.30 बजे से दिनांक 27.12.2019 (शुक्रवार) को सायः 2.00 बजे तक जमा कराई जा सकती हैं।

ई-निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण वेब साईट **http://.dipr.rajasthan.gov.in/tender.asp** व **http://eproc.rajasthan.gov.in** व **http://sppp.rajasthan.gov.in** पर देखा जा सकता है।

इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेब साईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है।

हस्ता./-
(आर.एल. खटीक)
अधीक्षण अभियंता
सा.नि.वि. वृत भीलवाडा

U.P. Rajkiya Nirman Nigam Ltd.
(ISO 9001:2008 Certified Company)
Visheshwaraiya Bhawan, Gomti Nagar, Lucknow

Notice Inviting e-TENDER

The Project Manager, Electrical Unit-3, Lucknow invites for and on behalf of General Manager (Electrical Zone-4), U.P. Rajkiya Nirman Nigam Ltd., online percentage rate bids for 03 Nos Modular OT work at SGPGI, Lucknow in two bid system for the following work:

Sr. No.	Work	Tender No.	Estimated Value	EMD	Last date of Submission
1	SITC OF MODULAR OT & MEDICAL GAS PIPE LINE WORK AT SGPGI, RAIBARAILY ROAD, LUCKNOW	85/APM(E)/EU-3/RNN/TENDER/19 Dt. 11-12-2019	564.98 Lacs	11.30 Lacs	03-01-2020 at 03:00 PM

The bid forms and other details can be obtained / downloaded from the website https://etender.up.nic.in. The NIT is also available on http://www.upmn.co.in.

SBI भारतीय स्टेट बैंक
नेटवर्किंग व संचार विभाग, स्टेट बैंक ग्लोबल आईटी सेन्टर, मेन बिल्डिंग, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400 614.

शुद्धिपत्र

भारतीय स्टेट बैंक के लिए ... सॉल्यूशन की प्राप्ति हेतु आरएफपी सं. SBI/GITC/NW&C/19-20/670 दिनांक 06.12.2019 के संदर्भ में बैंक ने दिनांक 12.12.2019 को एक शुद्धिपत्र जारी किया है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट, https://bank.sbi पर 'प्रोक्योरमेन्ट न्यूज़' देखें.

स्थानः मुंबई — हस्ता/-
दिनांकः 14.12.2019 — उप महाप्रबंधक (नेटवर्किंग व संचार विभाग)

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सानिवि संभाग प्रथम जयपुर
क्रमांकः-2019 — दिनांकः- 10.12.19

ई-निविदा संशोधन

इस कार्यालय की ऑनलाईन निविदा संख्या 07/2019-20 में क्रम संख्या 01 **पर अंकित कार्य** *Construction of Building for State Sanskrit Institute of Educational Research & Training Mahapura Jaipur* के *SPECIAL CONDITION OF CONTRACT* में बिन्दु संख्या 37 में टंकण त्रुटि से अधिशाषी अभियन्ता सानिवि नगर खण्ड तृतीय जयपुर अंकित हो गया है उसके स्थान पर अब "अधिशाषी अभियन्ता सानिवि निर्माण खण्ड जयपुर" पढ़ा जावे।

एवं साथ ही टेण्डर प्रपत्र में संलग्न *SCHEDULE-III* को इस **निविदा प्रपत्र से हटाया (*Delete*) किया जाता है।** अब इसे संवेदक द्वारा निविदा ऑनलाईन प्रस्तुत करते समय लगाया जाना आवश्यक नहीं है।

निविदा की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

हस्ता./-
(सुनील सक्सैना)
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
सानिवि संभाग प्रथम
PWD1920WLOB1012 — जयपुर

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली के समक्ष
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियम) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंकों तथा वित्तीय संस्थान के बकाया ऋण की वसूली अधिनियम-1993 की धारा 19(4) के तहत सूचना।

ओ.ए. सं. 660/2018/डीआरटी-III के मामले में
इलाहाबाद बैंक — बनाम — श्री दीपक गोयल एवं अन्य
आवेदक — प्रतिवादी
सेवा में,

डी-3	श्री विनय अग्रवाल 4ए जेडी ब्लॉक, पीतमपुरा, दिल्ली-85
डी-4	रवि गुप्ता एच-32/103, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085

जबकि उपर्युक्त नाम के आवेदक ने आपके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है और जबकि यह अधिकरण की सन्तुष्टि तक प्रदर्शित है कि आपको सामान्य ढंग से यह सूचना देनी सम्भव नहीं है, अतः विज्ञापन द्वारा आपको इस अधिकरण में 27.12.2019 **को** 10.30 **बजे** प्रातः उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

ध्यान दें कि इस अधिकरण के समक्ष उपर्युक्त तिथि पर आपके उपस्थित न होने की स्थिति में मामले की सुनवाई की जायेगी और आपकी अनुपस्थिति में फैसला लिया जायेगा।

11 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा मुहर सहित।

अधिकरण के आदेशानुसार,
सहायक रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, नई दिल्ली

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank — पंजाबी बाग शाखा
बिल्डिंग नं. 2 एवं 3, सेन्ट्रल मार्केट, पंजाबी बाग, नई दिल्ली-26
टेली. 25223774, 25224456, 25226696, ईमेलः br.9011@syndicatebank.co.in

सदर्भ सं. 9011/एनपीएएसएफ/एयूसी/2019-001 — तिथिः 9.12.2019

ड्यू एक. कार्ड के साथ पंजी. डाक

ऋणधारकोंः	गारन्टरों/स्युरिटीज
मै. देवी ओवरसीज ट्रेडिंग क. पार्टनर श्री अनुज महाजन तथा श्री अक्षय महाजन सी-14, भूतल टैगोर गार्डन एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110095 **साथ हीः** **मै. देवी ओवरसीज ट्रेडिंग क.** पार्टनर श्री अनुज महाजन तथा श्री अक्षय महाजन 42 ए/4, लक्ष्मीनारायण कम्पाउण्ड दिलशाद गार्डन इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली	1. श्री अनुज महाजन 2. श्री अक्षय महाजन 3. श्री डी.आर. महाजन सभी निवासीः मकान सं. 178, राजा गार्डन, नई दिल्ली-110015

प्रिय महोदय,

सरफैसी अधिनियम-2002 की धारा 13 (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8(5) एवं 8(6) के अंतर्गत बिक्री सूचना

अधोहस्ताक्षरी ने सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार हमारी पंजाबी बाग शाखा के लिए आपके द्वारा देय बकाया राशि के सिलसिले में 18.3.2017 को नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

प्रतिभूत क्रेडिटर को आप से 1.7.2018 से लागतों तथा ब्याज के साथ 30.6.2018 को रु. 2,88,81,003.67 की राशि की वसूली करना है।

विषय अधिनियम तथा नियमावली के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी **https://syndicatebank.auctiontiger.net** (ई नीलामी वेबसाइट का पता) के द्वारा ई-नीलामी पद्धति में 31.12.2019 को नीचे वर्णित सम्पत्ति की बिक्री करने का प्रस्ताव करते हैं।

सम्पत्ति के लिए आरक्षित मूल्य इस प्रकार निर्धारित की गई हैः-

अचल/चल सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य
महाजन के नाम में फ्रीहोल्ड खाली प्लॉट नं. एच-470ए, ब्लॉक-एच, ग्राम नांगल कलान, टीडीआई सिटी कुण्डली, हरियाणा का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः पूर्वः सम्पत्ति सं. एच-471, पश्चिमः सम्पत्ति सं. एच-470	रु. 54,26,000/-

विषय अधिनियम/नियमों के अनुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित की जा रही ई-नीलामी बिक्री सूचना की प्रति संलग्न है तथा वह इस सूचना का भाग एवं हिस्सा होगा।

एतद्द्वारा हम आपको इस सूचना की तिथि से पन्द्रह (15) दिनों के भीतर संलग्न सूचना में वर्णित सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित करने का अंतिम अवसर देते हैं जिसमें विफल रहने पर संलग्न ई-नीलामी बिक्री सूचना में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अनुसार नीचे वर्णित सम्पत्ति की बिक्री कर दी जाएगी।

तिथिः 9.12.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली — सिंडिकेट बैंक

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
बीओः परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध शाखा
मयूर विहार फेज-II, पॉकेट "ई" कामर्सियल शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110091
ईमेलः bo8075@pnb.co.in, फोन नं.: 011-22779758, 22785289

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित खाताओं के ऋणधारक/एकाकी प्रॉप्राईटर/निदेशक ने बैंक से ऋण सुविधाऐं प्राप्त की थी तथा उसके पुनर्भुगतान में चूक के कारण उनकी खाताओं को दर्शाई गई तिथियों को एनपीए घोषित कर दिया गया है। बैंक द्वारा इन ऋणधारकों/एकाकी प्रॉप्राईटर/निदेशक को "जान-बूझकर चूककर्ता" घोषित कर दिया गया है। इन ऋणधारकों/एकाकी प्रॉप्राईटर/निदेशकों को उस पर आगे के ब्याज तथा अन्य लागतों/धनों के साथ नीचे वर्णित राशि का बैंक को भुगतान करना है जिसके लिये बैंक ने उनके विरुद्ध वसूली कार्रवाई शुरू की है। जन हित में सूचित किया जाता है कि बैंक द्वारा जान-बूझकर चूककर्ता घोषित कर दिये जाने के बाद ऋणधारक किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये अधिकृत नहीं हैं।

श्री राजेश गुलाटी
खाता का नामः मै. सुप्रीम फैब्रिकैटर्स एंड इंजीनियर्स
एनपीए तिथिः 2.2.2015, बकाया राशिः रु. 52.48 लाख तथा 2.2.15 से ब्याज

तिथिः 13.12.19, स्थानः दिल्ली — ब्रान्च इन्कम्बैन्ट

सार्वजनिक सूचना
[भारतीय ऋणशोध अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 12(3) के साथ पठित विनियम 31(2)]
परिसमापनाधीन सन्तोष ओवरसीज लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

भारतीय ऋणशोध अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 31(2) के अनुसार एतद्वारा सार्वजनिक घोषणा की जाती है कि परिसमापनाधीन सन्तोष ओवरसीज लिमिटेड ("कॉर्पोरेट देनदार") के हितधारकों की सूची परिसमापक द्वारा तैयार की गयी है जिसे 11 दिसम्बर, 2019 को माननीय कम्पनी विधि अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ("माननीय एनसीएलटी") के समक्ष दाखिल किया गया है।

चूँकि कॉर्पोरेट देनदार की कोई सक्रिय वेबसाइट नहीं है अतः परिसमापक द्वारा स्वीकृत दावों की राशि का सम्पूर्ण विवरण प्रदर्शित करते हुए हितधारकों की सूची जिसकी सीमा तक दावे प्रतिभूत/अप्रतिभूत हैं, हितधारकों के विवरण तथा स्वीकृत/अस्वीकृत प्रमाण और पूर्ण रूप से अस्वीकृत किये गये प्रमाण, यदि कोई हो, उसे परिसमापक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंकः **"http://www.insolvencyandbankruptcy.in/notices"** पर देखा जा सकता है।

हितधारकों को पुनः सूचित किया जाता है कि हितधारकों की सूची की प्रविष्टि में कोई संशोधन, जैसा कि माननीय एनसीएलटी के समक्ष दाखिल है, केवल माननीय एनसीएलटी के पास आवेदन दर्ज करके ही किया जा सकता है।

ह./-
तिथि : 11 दिसम्बर, 2019 — रोहित सहगल
स्थान : नई दिल्ली — सन्तोष ओवरसीज लिमिटेड के मामले में परिसमापक
आईपी पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-001/IP-P00528/2017-2018/10953

उत्तराखंड में मुसलिम समुदाय का नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून 13 दिसंबर।

उत्तराखंड के रुड़की में बड़ी तादाद में मुसलिम समुदाय के लोगों ने नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। कानून के विरोध में मुसलिम समाज के लोगों ने हाथों पर काली पट्टी बांध विरोध जताया। इस दौरान रुड़की में तैनात संयुक्त मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया।

रुड़की के रामपुर स्थित मदरसा इरफानुलउलुम में जमीयत ए उलेमा हिन्द की ओर से आयोजित प्रदर्शन का कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद ने भी समर्थन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए मौलाना नसीम अहमद कासमी ने कहा कि यह देश के टुकड़े करने वाला बिल है। उन्होंने कहा कि हिन्दू मुसलिम समेत सभी धर्मों के लिए यह बिल नुकसानदेह है और हम चाहते है कि किसी भी देश और धर्म का कोई शरणार्थी हो उसे नागरिकता मिलनी चाहिए।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चैम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोचिन - 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाषः +91 484-2396478, 2394712, फैक्सः +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (30.09.2018 की अवधि तक NPA खाते) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेंगे।

नीलामी की तिथि: 20.12.2019
Neem Ka Thana-(RA): MGL-1146, MSL-7042, 7063, MUL-11, 348, 616, 859, 917, 975, ...
नीलामी की तिथि: 21.12.2019
Bhiwadi-(RA): MSL-2665, MUL-525, 607, 642, 700, 878, 979, 1016, 1021, 1051, 1064, ...
नीलामी की तिथि: 23.12.2019
Kotputli-(RA): MGL-544, MHL-277, 278, MLS-51, 52, MSL-4285, 4394, MUL-294, 510, ...

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट,
ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली - 110024

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा
(भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन)
रेस्टो डेनिम लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	रेस्टो डेनिम लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	08.04.1999
4.	कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	L18101PB1999PLC022452
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	08.06.2020
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पंजीकरण संख्या	IBBI/IPA-002/IP-N00816/2019-20/12564
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का ई-मेल	cmadkbhasin@gmail.com / iprainbowdenim@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	25.12.2019
14.	(क) सम्बन्धित प्रपत्र ...	वेब लिंक : https://ibbi.gov.in/home/downloads

तिथि तथा स्थान : 13.12.2019, जिरकपुर

SBI भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA — सार्वे शाखाः सहारनपुर रोड, देहरादून
(नियम 8(1) के तहत) कब्जा नोटिस (अचल सम्पत्ति हेतु)

ऋणी का नाम	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	मांग नोटिस तिथि	कब्जा लेने की तिथि	बकाया राशि
ऋणीः मैसर्स पी एस युग प्रोपराइटर श्री प्रवीन सिंह भंडारी ...	...	16.09.2019	12.12.2019	रु. 27,65,990.00 दिनांक 31.08.2019 + प्रभावी ब्याज एवं अन्य व्यय दिनांक 01.09.2019 से

दिनांकः 13.12.2019 — स्थानः उत्तरकाशी — प्राधिकृत अधिकारी

SBI भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA — सार्वे शाखाः सहारनपुर रोड, देहरादून
(नियम 8(1) के तहत) कब्जा नोटिस (अचल सम्पत्ति हेतु)

ऋणी का नाम	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	मांग नोटिस तिथि	कब्जा लेने की तिथि	बकाया राशि
ऋणीः श्री मुकेश ...	सम्पत्ति नं0 1 ... सम्पत्ति नं0 2 ...	31.07.2018	10.12.2019	रु. 81,92,702.40 + प्रभावी ब्याज एवं अन्य व्यय दिनांक 31.07.2018 से

दिनांकः 13.12.2019 — स्थानः जौनसार — प्राधिकृत अधिकारी

इंडियन बैंक Indian Bank
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै
... https://www.indianbank.in/tenders ...

झारखंड में दो नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न, एक की मौत

चतरा(झारखंड) 13 दिसंबर (भाषा)।

झारखंड में दो नाबालिग लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न और मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि घायल लड़कियों में से एक ने दम तोड़ दिया और दूसरी पीड़िता की हालत गंभीर है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है।

उन्होंने बताया कि घटना बुधवार को तब हुई जब दोनों नाबालिग लड़कियां और एक आठ साल का लड़का लकड़ियां इकट्ठी करने जंगल में गए थे। दोपहर तक जब तीनों बच्चे वापस नहीं लौटे तो गांववालों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। उसके बाद पुलिस उन की खोज में लग गई। अधिकारी ने बताया कि लड़का गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला था जिसके बाद उसे रांची स्थित राजेंद्र चिकित्सीय संस्थान(आरआइएमएस) में भर्ती कराया गया है। लड़के ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने तीनों बच्चों को मारा और दोनों लड़कियों को उठाकर घने जंगल में ले गया। पुलिस को आगे की खोज में गुरुवार को दोनों लड़कियां घायल अवस्था में मिलीं। उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया जहां उनमें से एक को मृत घोषित कर दिया गया और दूसरे को रिम्स स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्होंने कहा, 'प्रथम दृष्टया यह यौन शोषण और हत्या का मामला लगता है।' इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले में कुछ अन्य संदिग्धों से पूछताछ कर रही है।

बलात्कार पीड़िता को उन्नाव से भी भयंकर अंजाम की धमकी देने वाला गिरफ्तार

बागपत (उप्र), 13 दिसंबर (भाषा)।

जिले की एक सामूहिक बलात्कार पीड़िता के घर पर उन्नाव से भी बुरा हश्र करने की धमकी देने वाला पत्र चस्पा करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही पीड़िता की सुरक्षा के लिए उसके घर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया आरोपी इसी सामूहिक बलात्कार मामले में आरोपी है और फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर आया था। आरोप है कि युवक पीड़िता के परिजनों पर मामले में अदालत से बाहर समझौता करने का दबाव बना रहा है।

बागपत के पुलिस अधीक्षक प्रताप गोपेंद्र ने बताया कि शुक्रवार को पीड़िता (19) की दिल्ली की अदालत में गवाही है इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वे लोग पीड़िता के साथ दिल्ली जाएंगे और उसे साथ लेकर लौटेंगे। कोतवाल आरके सिंह ने पीड़ित पक्ष द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर आरोपी युवक सोहरण के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसे जेल भेज दिया गया है।

उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस को दी गई तहरीर में पीड़िता के पिता ने कहा है कि उनकी बेटी दिल्ली में कोचिंग करती थी। मार्च-2018 को उनके गांव का ही युवक उसकी बेटी को दिल्ली स्थित मुखर्जी नगर में अपने कमरे में ले गया और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया।

महिलाओं के खिलाफ अपराध मामलों की जल्द सुनवाई के लिए विधेयक पारित

अमरावती, 13 दिसंबर (भाषा)।

आंध्रप्रदेश विधानसभा ने भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में संशोधन के लिए शुक्रवार को एक विधेयक पारित कर दिया। इस संशोधन के माध्यम से प्रावधान किया गया है महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों, खास कर यौन अपराधों के मामलों की तेजी से जांच और सुनवाई होगी और दोषी को मौत की सजा दी जा सकेगी। प्रस्तावित नए कानून का नाम 'आंध्र प्रदेश दिशा अधिनियम आपराधिक कानून (आंध्र प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2019 रखा गया है।

हाल ही में पड़ोसी राज्य तेलंगाना में एक पशु चिकित्सक से बलात्कार के बाद उसकी हत्या का मामला सामने आया था।

www.readwhere.com

कंजर्वेटिव पार्टी को निर्णायक बहुमत

चुनाव जीते जॉनसन

लंदन, 13 दिसंबर (भाषा)।

चुनाव में विपक्षी लेबर पार्टी को केवल 203 सीटें मिली हैं

यह पार्टी का दशकों बाद सबसे खराब प्रदर्शन है

ब्रिटेन में हुए ऐतिहासिक चुनाव में मतदाताओं ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को शक्तिशाली जनादेश दिया है। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को शुक्रवार को संसद में निर्णायक बहुमत मिला है। अगले महीने यूरोपीय संघ (ईयू) से ब्रिटेन के अलग होने के करार (ब्रेग्जिट) को अंतिम रूप दे सके। साधारण नारे 'ब्रेग्जिट होगा' से गहन प्रचार करने वाले 55 वर्षीय जॉनसन ने 1980 में मार्गरेट थैचर के बाद कंजर्वेटिव पार्टी को बहुमत दिलाया है। जीत के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि मतदाताओं के विश्वास पर खरा उतरने के लिए 'दिन-रात' काम करेंगे।

ब्रिटिश संसद के 650 सदस्यीय निम्न सदन हाउस कॉमन में कंजर्वेटिव पार्टी को 364 सीटों पर जीत मिली है, जो बहुमत से 78 सीटें अधिक है। ब्रिटेन में दशकों बाद शीत ऋतु में हुए मतदान में 67 फीसद मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। रैली को संबोधित करते हुए जॉनसन ने इसे ब्रेग्जिट को लेकर जारी गतिरोध के लिए 'नई सुबह करार' दिया और दावा किया कि वह मतदाताओं की ओर से जताए गए 'पवित्र विश्वास' को खंडित नहीं होने देंगे।

इससे पहले जॉनसन ने लंदन के उक्सब्रिज और साउथ रुइस्लिप से जीत दर्ज की। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ने कहा कि मजबूत नया जनादेश 31 जनवरी को 28 सदस्यीय आर्थिक समूह यूरोपीय संघ (ईयू) से अलग होने के रास्ते पर बढ़ने के लिए मिला है।

माना जा रहा है कि ब्रेग्जिट के मुद्दे पर लंबे समय से जारी गतिरोध से परेशान होकर मतदाताओं ने जॉनसन को विशाल जनादेश दिया है ताकि जनवरी तक वह ब्रिटेन को ईयू से अलग कर सके और कोई अगर-मगर नहीं रहे। उन्होंने कहा, 'ऐसा लगता है कि एक राष्ट्रीय कंजर्वेटिव सरकार को ब्रेग्जिट करने के लिए मजबूत नया जनादेश दिया गया है। यह केवल ब्रेग्जिट के लिए ही नहीं बल्कि देश को एकजुट करने एवं आगे ले जाने के लिए भी है।'

अमेरिका ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का अनुरोध किया

वाशिंगटन, 13 दिसंबर (भाषा)।

अमेरिकी विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि भारत द्वारा अपने नागरिकता कानून में संशोधन किए जाने के बाद वह घटनाक्रमों पर करीब से नजर रखे हुए है। अधिकारी ने कहा कि अमेरिका ने भारत से अनुरोध किया है कि वह अपने संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को बरकरार रखते हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करे।

अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा, 'हम नागरिकता संशोधन विधेयक के संबंध में घटनाक्रमों पर करीब से नजर रखे हुए हैं। कानून के तहत समान व्यवहार और धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान हम दोनों लोकतांत्रिक देशों का मौलिक सिद्धांत है।' प्रवक्ता ने कहा, 'अमेरिका भारत से अनुरोध करता है कि वह अपने संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को बरकरार रखते हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करे।' विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में कहा कि नया कानून कुछ देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता के लिए शीघ्र विचार का प्रावधान करता है जिन्होंने प्रताड़ना का सामना किया है और जो पहले से ही भारत में हैं।

नागरिकता कानून भेदभावपूर्ण : संरा मानवाधिकार निकाय

नेवा, 13 दिसंबर (भाषा)।

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार निकाय ने भारत के नए नागरिकता कानून को लेकर शुक्रवार को चिंता जताते हुए कहा कि इसकी प्रकृति ही 'मूल रूप से भेदभावपूर्ण' है। नए नागरिकता कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है।

मानवाधिकार निकाय के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जिनेवा में कहा, 'हम भारत के नए नागरिकता (संशोधन) कानून 2019 को लेकर चिंतित हैं जिसकी प्रकृति ही मूल रूप से भेदभावपूर्ण है।' उन्होंने कहा, 'संशोधित कानून भारत के संविधान में निहित कानून के समक्ष समानता की प्रतिबद्धता को और अंतराष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार नियम तथा नस्लीय भेदभाव उन्मूलन संधि में भारत के दायित्वों को कमतर करता दिखता है।'

ब्रिटेन चुनाव में भारतीय मूल के उम्मीदवारों ने लहराया परचम

लंदन, 13 दिसंबर (भाषा)।

ब्रिटेन में कंजर्वेटिव और लेबर पार्टियों के भारतीय मूल के उम्मीदवारों ने शुक्रवार को आम चुनाव के नतीजों में शानदार जीत दर्ज की। कुछ नए चेहरों के पदार्पण के साथ ही 12 सांसदों ने अपनी-अपनी सीटें बरकरार रखीं।

प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चुनाव में जीत दर्ज करते हुए नव वर्ष में ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से अलग करने की राह आसान कर दी है। पूर्व की संसद के भारतीय मूल के सभी सांसदों ने अपनी सीटों पर सफलतापूर्वक कब्जा बरकरार रखा। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी के लिए गगन मोहिंद्रा और क्लेयर कोटिन्हो तथा लेबर पार्टी के नवेंद्रु मिश्रा पहली बार सांसद बने। गोवा मूल की कोटिन्हो ने 35,624 मतों के साथ सुर्रे ईस्ट सीट पर जीत दर्ज की। मोहिंद्रा ने हर्टफोर्डशायर साउथ वेस्ट सीट पर जीत दर्ज की।

आसान जीत के साथ हाउस ऑफ कॉमंस में लौटने वाले भारतीय मूल के सांसदों में ब्रिटेन की पूर्व गृह मंत्री प्रीति पटेल शामिल रहीं। उनके जॉनसन के नए मंत्रिमंडल में भी जगह बनाने की संभावना है। पटेल ने एसेक्स में विदहाम सीट से जीत हासिल की। वहीं, इंफोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनाक और पूर्व अंतरराष्ट्रीय विकास मंत्री आलोक शर्मा ने भी जीत हासिल की। शैलेश वारा नॉर्थ वेस्ट कैंब्रिजशायर से जीते और गोवा मूल की सुएला ब्रेवरमैन ने फेयरहैम से जीत दर्ज की।

विपक्षी लेबर पार्टी के लिए ये नतीजे बेहद निराशाजनक रहे लेकिन पिछली संसद के उसके भारतीय मूल के सभी सांसद जीत गए। लेबर पार्टी के नवेंद्रु

मिश्रा ने स्कॉटपोर्ट सीट जीत ली और वह पहली बार संसद जाएंगे।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
Cluster Office- RR&L : Resolution, Recovery & Law पीबी–107, कोजे–13, कविनगर, गाजियाबाद – 201002, फोन : 0120-4155167, 0120-4155567, ई–मेल: rrl_7624@obc.co.in

ई–नीलामी सूचना

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस, आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक 31.12.2019 को बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	शाखा/कर्जदार/गारंटर का नाम	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि	प्रस्ताव में सुधार हेतु राशि	मांग सूचना की तारीख	बकाया राशि	ई–नीलामी की तारीख/समय
1	मोरटा, गाजियाबाद श्री अनिल सिंह पुत्र बलजीत सिंह	मकान नं. 397 (पुराना–131), श्याम पार्क मेन, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, चौहद्दी : पूरब में – रोड, पश्चिम में – रोड, उत्तर में – मकान नं. 393, दक्षिण में – मकान नं. 396 (रचनात्मक कब्जा)	Rs. 44.97 Lacs	Rs. 4.50 Lacs	Rs. 0.20 Lac	03-11-2016	₹ 40,93,502.00 और दिनांक 01.11.2016 से होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार	31-12-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
2	[illegible], गाजियाबाद श्री अनिल शर्मा पुत्र श्री जे.पी शर्मा और श्रीमती सुमन शर्मा पत्नी श्री अनिल शर्मा	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. जी–1102, टॉवर नं. जी, 11वां तल, (बिना छत के अधिकार के), "कोंडीली ग्रीन्स सवाना", राज नगर एक्सटेंशन, एनएच 58, जिला गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल 1250 वर्ग फीट, सब–रजिस्ट्रार – II, गाजियाबाद में स्थित, चौहद्दी : पूरब में – साईट प्लान के अनुसार, पश्चिम में – साईट प्लान के अनुसार, दक्षिण में – साईट प्लान के अनुसार (रचनात्मक कब्जा)	Rs. 37.44 Lacs	Rs. 3.75 Lacs	Rs. 0.10 Lac	20-12-2018	₹ 29,42,313.00 और दिनांक 01.12.2018 से होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार	31-12-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
3	मोरटा, गाजियाबाद श्री सुनील कुमार पुत्र श्री बलजीत सिंह	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी सम्पत्ति ए–2 जय भारत एन्कलेव, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, चौहद्दी : पूरब में – प्लॉट नं. 3, पश्चिम में – प्लॉट नं. 1, उत्तर में – प्लॉट नं. 62, दक्षिण में – 15 फीट चौड़ी रोड (रचनात्मक कब्जा)	Rs. 18.73 Lacs	Rs. 1.88 Lacs	Rs. 0.10 Lac	03-05-2017	रु. 20,44,873.00 और दिनांक 01.06.2017 से होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार	31-12-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
4	आईएमएस, गाजियाबाद श्री अजय कुमार पुत्र श्री अतवीर सिंह	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान नं. एम–380, ब्लॉक–एम, सेक्टर–23, संजय नगर, जी.एम.पी आवासीय कॉलोनी, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल 61.88 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री अजय कुमार के नाम पर सब रजिस्ट्रार – II, जिला गाजियाबाद, यू.पी. में पंजीकृत, चौहद्दी : पूरब में – मकान नं. एम–377, पश्चिम में – मकान नं. एम–381, उत्तर में – मकान नं. एम–382, दक्षिण में – 25फीट चौड़ी रोड (रचनात्मक कब्जा)	Rs. 18.23 Lacs	Rs. 1.83 Lacs	Rs. 0.10 Lac	01-06-2018	रु. 21,42,217.00 और दिनांक 01.06.2018 से होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार	31-12-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
5	दिवाकर मॉडल स्कूल, गाजियाबाद श्री मदन कांत पुत्र श्री महिपाल सिंह	फ्लैट नं. पी, द्वितीय तल, प्लॉट नं. 846, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन– I, जिला – गाजियाबाद, यू.पी में स्थित, चौहद्दी : पूरब में – प्लॉट नं. 845, पश्चिम में – प्लॉट नं. 846, उत्तर में – सर्विस लेन, दक्षिण में – 30 फीट चौड़ी रोड, (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	रु. 13.70 लाख	रु. 1.37 लाख	रु. 0.10 लाख	07-04-2017	रु. 11,23,578.00 और दिनांक 01.08.2016 से होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार	31-12-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)

नियम एवं शर्तें
Those who are interested to bid in the Auction have to deposit 10% bid amount for participating in the auction in account of Oriental Bank of Commerce A/c No 00761181000226 in THE NAME OF "E AUCTION ACCOUNT". IFSC Code-ORBC0100076 Branch Razapur, Ghaziabad
1. ई–नीलामी "जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" आधार पर" आयोजित की जा रही है।
2. धरोहर राशि और दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 30.12.2019 को सांय 4.00 बजे तक है।
3. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं सूचना के अनुसार सम्पत्ति पर कोई भार नहीं है। इच्छुक बोलीदाता नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति पर किसी भी भार, टाइटल और सम्पत्ति पर किसी भी दावे/अधिकार/बकाए के संबंध में बिड जमा करने से पहले स्वयं जांच कर सकते हैं। सम्पत्ति बैंक को ज्ञात और अज्ञात सभी वर्तमान और भविष्य के ऋण–भार सहित बेची जा रही है। तृतीय पक्ष यदि सम्पत्ति पर किसी बकाए / अधिकार के संबंध में कोई दावा करता है, तो इसके लिए किसी भी तरह से प्राधिकृत अधिकारी/जमानती ऋणदाता जिम्मेदार नहीं होगा।
4. इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने धरोहर राशि जमा किया है और लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोडिंग करने, बोली जमा करने, ई–बिडिंग प्रक्रिया पर प्रशिक्षण इत्यादि में अपेक्षित सहायता के लिए अन्तरेस सिस्टम लि., व्यक्ति का नाम जिसे सम्पर्क किया जा सके श्री सचिन, मो. 9555926408, श्री कुशल बोस, मो. 7686913157, श्री पुष्पराज – मो. 7503347659, ईमेल : sachin@antaressystems.com, pushpraj@antaressystems.com और सम्पत्ति प्राधिकृत अधिकारी : मुख्य प्रबंधक, RR&L क्लस्टर गाजियाबाद, ई–मेल rrl_7624@obc.co.in, फोन: 0120-4155167, 0120-4155567, 8650507886 से कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।
(विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु कृपया वेबसाईट : www.obcindia.co.in/content/auctions और www.bankeauctionwizard.com, www.eprocure.gov.in/epublish देखें)

दिनांक 13.12.2019, स्थान : गाजियाबाद — हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

इलाहाबाद बैंक — विश्वास की परंपरा
(A Govt. of India Undertaking)
ALLAHABAD BANK — A tradition of trust
प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष मार्ग, कलकत्ता – 700001, अंचल कार्यालय : नई दिल्ली

"परिशिष्ट–IV–ए" [नियम 8(6) का प्रावधान देखें]
अचल सम्पत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अचल परिसम्पत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना

एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेषतः उधारकर्ताओं और गारंटरों सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित अचल सम्पत्तियां, जिन्हें प्रतिभूत ऋणदाता (इलाहाबाद बैंक) के पास बन्धक/प्रभारित/दृष्टिबंधक/गिरवी रखा गया था, उनका निम्न वर्णित रचनात्मक/वास्तविक कब्जा इलाहाबाद बैंक के प्राधिकृत अधिकारी प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा ले लिया गया है, इसलिए अब उनका 30.12.2019 को "जैसी हैं जहां हैं", जैसी हैं जो हैं" तथा "वहां जो कुछ हैं" आधार पर उधारकर्ताओं, गारंटरों और बन्धकर्ताओं द्वारा प्रतिभूत ऋणदाता को देय, निम्न वर्णितानुसार राशि की वसूली करने हेतु, विक्रय किया जाएगा। आरक्षित मूल्य का वर्णन नीचे किया गया है और क्रमशः जमा की जानेवाली धरोहर राशि का वर्णन किया गया है।

सरफॉएसि अधिनियम 2002 के अन्तर्गत 30.12.2019 को 11.00 बजे से 1.00 बजे तक

क्र. सं. (i)	उधारकर्ताओं का नाम (ii)	गारंटर/बन्धककर्ता का नाम (iii)	अचल सम्पत्तियों के विवरण (iv)	वास्तविक/रचनात्मक कब्जा (v)	27.08.2019 के अनुसार प्रतिभूत ऋण की राशि (vi)	को ज्ञात स्थानीय स्वायत्त शासन और सरकारी प्राधिकरणों इत्यादि की बकाया देयताओं भारग्रस्तताओं, यदि कोई, के विवरण (vii)	आरक्षित मूल्य (viii)	धरोहर राशि जमा (ix)	न्यूनतम वृद्धिशील राशि (ix)
1.	मै. प्रीतीश ग्रीन डेरी प्रा. लि. शाखा : एसएएम, नई दिल्ली	श्री बृज किशोर स्वैन, श्रीमती सुनंदा दास, श्रीमती श्वेता गुमान सिंह, श्रीमती स्वर्णलता बेहरा, श्रीमती सुनंदा दास (बन्धककर्ता)	खाता सं. 204, खसरा सं. 5173, ग्राम–मंजरी ग्रांट, शेरगढ़ मार्ग, तहसील–डोईवाला, ऋषिकेश, जिला–देहरादून, उत्तराखण्ड में स्थित खुली तथा निर्मित सम्पत्ति के रूप में संस्थापित सम्पत्ति के समस्त भाग तथा अंश, मापन 0.3080 हेक्टेयर।	वास्तविक कब्जा	रु. 410.19 लाख, बैंक की देयराशियों की वसूली होने तक ब्याज तथा अन्य व्यय	बैंक को ज्ञात नहीं	रु. 125.07 लाख	रु. 12.51 लाख	रु. 1.00 लाख
2.	मै. प्रीतीश ग्रीन डेरी प्रा. लि. शाखा : एसएएम, नई दिल्ली	श्री बृज किशोर स्वैन, (बन्धककर्ता) श्रीमती सुनंदा दास, श्रीमती श्वेता गुमान सिंह, श्रीमती स्वर्णलता बेहरा, श्रीमती सुनंदा दास	मकान स.–664, ब्लॉक–जी, सेक्टर गामा–।।, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.)–20131, क्षेत्र मापन 60 वर्ग मीटर	वास्तविक कब्जा	रु. 410.19 लाख, बैंक की देयराशियों की वसूली होने तक ब्याज तथा अन्य व्यय	बैंक को ज्ञात नहीं	रु. 49.85 लाख	रु. 4.99 लाख	रु. 0.50 लाख
3.	मै. एम.के. ट्रेडिंग कम्पनी (स्वामी : श्री जय किशन बसोया) शाखाः लाजपत नगर, नई दिल्ली	गारंटरः श्री विजय पाल पुत्र धर्म पाल बन्धककर्ताः श्री जय किशन पुत्र गोपी राम	त्रि नगर दिल्ली–110035 के रूप में ज्ञात आबादी, ग्राम जोर बाग में खसरा सं. 541/197, खाता सं.–99, खेवट सं. 36 में से एक भूमि पर निर्मित सम्पत्ति सं. 382–ए, भूतल, मापन 65 वर्ग गज (लगभग), क्षेत्र 65 वर्ग गज	वास्तविक कब्जा	रु. 57.36 लाख, सभी खातों में बैंक की देयराशियों की वसूली होने तक ब्याज तथा अन्य व्यय	बैंक को ज्ञात नहीं	रु. 21.60 लाख	रु. 2.16 लाख	रु. 0.10 लाख
4.	मै. एम.के. ट्रेडिंग कम्पनी (स्वामी : श्री जय किशन बसोया) शाखाः लाजपत नगर, नई दिल्ली	गारंटरः श्री विजय पाल पुत्र धर्म पाल बन्धककर्ताः श्री जय किशन पुत्र गोपी राम	त्रि नगर दिल्ली–110035 के रूप में ज्ञात आबादी, ग्राम जोर बाग में खसरा सं. 541/197, खाता सं.–99, खेवट सं. 36 में से एक भूमि पर निर्मित सम्पत्ति सं. 382–ए, भूतल, मापन 65 वर्ग गज (लगभग), क्षेत्र 65 वर्ग गज	वास्तविक कब्जा	रु. 57.36 लाख, सभी खातों में बैंक की देयराशियों की वसूली होने तक ब्याज तथा अन्य व्यय	बैंक को ज्ञात नहीं	रु. 17.20 लाख	रु. 1.72 लाख	रु. 0.10 लाख
5.	मै. एम.के. ट्रेडिंग कम्पनी (स्वामी : श्री जय किशन बसोया) शाखाः लाजपत नगर, नई दिल्ली	गारंटरः श्री विजय पाल पुत्र धर्म पाल बन्धककर्ताः श्री जय किशन पुत्र गोपी राम	त्रि नगर दिल्ली–110035 के रूप में ज्ञात आबादी, ग्राम जोर बाग में खसरा सं. 541/197, खाता सं.–99, खेवट सं. 36 में से एक भूमि पर निर्मित सम्पत्ति सं. 382–ए, द्वितीय तल, मापन 65 वर्ग गज (लगभग), क्षेत्र 65 वर्ग गज	वास्तविक कब्जा	रु. 57.36 लाख, सभी खातों में बैंक की देयराशियों की वसूली होने तक ब्याज तथा अन्य व्यय	बैंक को ज्ञात नहीं	रु. 17.20 लाख	रु. 1.72 लाख	रु. 0.10 लाख
6.	मै. एम.के. ट्रेडिंग कम्पनी (स्वामी : श्री जय किशन बसोया) शाखाः लाजपत नगर, नई दिल्ली	गारंटरः श्री विजय पाल पुत्र धर्म पाल बन्धककर्ताः श्री जय किशन पुत्र गोपी राम	त्रि नगर दिल्ली–110035 के रूप में ज्ञात आबादी, ग्राम जोर बाग में खसरा सं. 541/197, खाता सं.–99, खेवट सं. 36 में से एक भूमि पर निर्मित सम्पत्ति सं. 382–ए, तृतीय तल (छताधिकारों के साथ), मापन 65 वर्ग गज (लगभग), क्षेत्र 65 वर्ग गज	वास्तविक कब्जा	रु. 57.36 लाख, सभी खातों में बैंक की देयराशियों की वसूली होने तक ब्याज तथा अन्य व्यय	बैंक को ज्ञात नहीं	रु. 18.80 लाख	रु. 1.88 लाख	रु. 0.10 लाख
7.	श्री जलज श्रीवास्तव तथा श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव शाखाः ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	श्री जलज श्रीवास्तव श्री पंकज श्रीवास्तव	फ्लैट सं. जी. एम.–1, भूतल, भूखण्ड सं. –45, सेक्टर–5, राजिंदर नगर, साहिबाबाद, जिला–गाजियाबाद–201005; अधिमापन 700 वर्ग फुट	वास्तविक कब्जा	रु. 15.07 लाख, बैंक की देयराशियों की वसूली होने तक ब्याज तथा अन्य व्यय	बैंक को ज्ञात नहीं	रु. 18.00 लाख	रु. 1.80 लाख	रु. 0.10 लाख
8.	मै. नॉर्थ स्टार कैनवस (साझीदारगण : श्री मनोज शर्मा तथा श्री नितिन मोदवाल) शाखाः साउथ एक्स, नई दिल्ली	श्री मनोज शर्मा श्री नितिन मोदवाल मै. शशि एसोसिएट्स, स्वामी सुश्री शशि बाला रावल	आवासीय सम्पत्ति सं. 74 तथा 75, मोहल्ला मढ़ैया सुखपाल सिंह, पिलखुआ, परगना–डासना एवं तहसील–हापुड़, जिला–गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–245101; अधिमापन 233.50 वर्ग गज	रचनात्मक कब्जा	रु. 207.36 लाख, बैंक की देयराशियों की वसूली होने तक ब्याज तथा अन्य व्यय	बैंक को ज्ञात नहीं	रु. 14.22 लाख	रु. 1.43 लाख	रु. 0.10 लाख
9.	मै. राजू एडवर्टाइजिंग एजेंसी, स्वामी श्रीमती सरिता सिंसिंवार शाखा द्वारका 12 बी, नई दिल्ली	श्री बालकिशन सिंसिंवार पुत्र स्व. बिहारी लाल सिंसिंवार (गारंटर तथा बन्धककर्ता)	वार्ड सं. ग्प्, फाशिश बिल्डिंग, रोशनारा मार्ग, क्लॉक टॉवर, सब्जी मण्डी, दिल्ली–110007 में स्थित भूतल पर सम्पत्ति नगर सं. 7726/17 तथा 7726/18 छताधिकारों के बिना, भूमि मापन 70 वर्ग मीटर	वास्तविक कब्जा	रु. 59.95 लाख, बैंक की देयराशियों की वसूली होने तक ब्याज तथा अन्य व्यय	बैंक को ज्ञात नहीं	रु. 36.90 लाख	रु. 3.69 लाख	रु. 0.20 लाख
10.	श्री सौमेन रॉय चौधरी (अवसान के बाद अपने कानूनी वारिसों के माध्यम से) पुत्र स्व. धीरेन्द्र नाथ रॉय शाखा तुगलकाबाद, नई दिल्ली	श्री बिजोय कृष्ण बसक श्री सुब्रत सिन्हा श्री सौमेन रॉय चौधरी (अवसान के बाद अपने कानूनी वारिसों के माध्यम से) (बन्धककर्ता)	फ्लैट प्रा. नं. 2, प्रथम तल, सम्पत्ति सं. 177–ए, वार्ड सं. 2, खसरा सं. 1151/3, महरौली, नई दिल्ली–110030 में स्थित सम्पत्ति; अधिमापन 72 वर्ग गज अर्थात् अनुमानित 650 वर्ग फुट	वास्तविक कब्जा	रु. 7.28 लाख, बैंक की देयराशियों की वसूली होने तक ब्याज तथा अन्य व्यय	बैंक को ज्ञात नहीं	रु. 15.84 लाख	रु. 1.59 लाख	रु. 0.10 लाख

धराज राशि के साथ प्रक्रिया अनुपालन प्रारूप जमा करने की अन्तिम तिथि तथा समय	दिनांक 27.12.2019 को सायं 5.00 बजे तक
ई–नीलामी की तिथि तथा समय	दिनांक 30.12.2019 को 11.00 बजे से 1.00 बजे के बीच 10 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों सहित न्यूनतम बोली वृद्धिशील राशि ऊपर वर्णितानुसार है।

अन्य विवरणों तथा नियमों एवं शर्तों के लिए, निम्न से संपर्क करें :
क) उपरोक्त क्रमांक 1 एवं 2 में वर्णित सम्पत्ति हेतु – मुख्य प्रबन्धक, एसएएम शाखा (दूरभाष : 011–23364381)
ख) उपरोक्त क्रमांक 3 से 6 में वर्णित सम्पत्ति हेतु – मुख्य प्रबन्धक, लाजपत नगर (दूरभाष : 011–24652014)
ग) उपरोक्त क्रमांक 7 में वर्णित सम्पत्ति हेतु – मुख्य प्रबन्धक, ग्रीन पार्क (दूरभाष : 011–26102973)
घ) उपरोक्त क्रमांक 8 में वर्णित सम्पत्ति हेतु – मुख्य प्रबन्धक, साउथ एक्स. शाखा (दूरभाष : 011–24625093)
ड.) उपरोक्त क्रमांक 9 में वर्णित सम्पत्ति हेतु – वरिष्ठ प्रबन्धक, द्वारका 12बी (दूरभाष : 011–28035024)
च) उपरोक्त क्रमांक 10 में वर्णित सम्पत्ति हेतु – वरिष्ठ प्रबन्धक, तुगलकाबाद (दूरभाष : 011–29980408)
ई–मेल : zo.del_recovery@allahabadbank.in

(i) अन्य विवरणों तथा नियमों एवं शर्तों को डाउनलोड करने के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइटों को देखें :
https://www.allbankcare.in/alb1/APPS/sale/frm_notice_view.aspx
(ii) https://www.eprocure.gov.in/epublish/app
(iii) https://www.bankeauctions.com
(iv) https://ibapi.in

(प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष मार्ग, कलकत्ता – 700001)

दिनांक : 13.12.2019
स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी
इलाहाबाद बैंक

आन्ध्रा बैंक ANDHRA BANK (A Govt. of India Undertaking)
डीडीए वसंत प्लेस मार्केट, सेक्टर–6, आरके पुरम, नई दिल्ली–110022, फोन : 011–26196767/26198380/26198828 फैक्स : 26183103
ई–मेल : bm0481@andhrabank.co.in

"ई"-नीलामी की सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 का नियम 9)

जबकि नीचे दिए विवरण के अनुसार कर्जदारों ने आन्ध्रा बैंक की विभिन्न शाखाओं से क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त की हैं तथा भुगतान में चूक की है और दिनांक (नीचे वर्णित तिथियों) तक नीचे वर्णित राशि उस पर आगे ब्याज, लागत एवं खर्चों सहित बकाया है। अतः आन्ध्रा बैंक ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 54 वर्ष 2002 की धारा 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नवर्णित सम्पत्ति को यहां नीचे वर्णित वेबसाइट/पोर्टल के माध्यम से संचालित ई–नीलामी द्वारा सार्वजनिक नीलामी में बेचने का निर्णय किया है। प्रतिभूत सम्पत्तियों का सुरक्षित मूल्य नीचे तालिका में दिए गए अनुसार नियत किया गया है तथा सम्पत्ति इससे कम पर नहीं बेची जाएगी।
नीलामी में भाग लेने तथा सम्पत्ति खरीदने के इच्छुक व्यक्तियों को उपरोक्तानुसार धरोहर राशि (सुरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत) संबंधित शाखा के प्राधिकृत अधिकारी, के पक्ष में ईएफटी/आरटीजीएस/एनईएफटी अंतरण के माध्यम से जमा करनी होगी, जो कर्जदारों के नाम के समाने नीचे वर्णित खाता सं. (आईएफएससी कोड भी वर्णित है) को क्रेडिट की जाएगी। ईएमडी 30–12–2019 को अप. 4.00 बजे से पूर्व जमा की जानी है।
इच्छुक खरीदारों को ईएमडी के भुगतान के बाद अपना नाम नीचे दिए "ई"–नीलामी सेवा प्रदाता के साथ पंजीकृत कराना होगा तथा अपनी यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करना होगा। इच्छुक खरीदार लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बिड देने की विधि में सेवा प्रदाता की सहायता प्राप्त कर सकते हैं और "ई"–नीलामी पर निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
केवल ऐसे इच्छुक खरीदार, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मंजूरी दिए जाने की शर्त पर, "ई"–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र होंगे, जो वैध यूजर आईडी/पासवर्ड धारक तथा एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान की पुष्टि के धारक होंगे।
न्यूनतम बोली गुणांक नीचे प्रत्येक खाते के सामने वर्णितानुसार होगा।
सम्पत्ति एन्टेयरीज सिस्टम्स लिमिटेड की वेबसाइट पर दिनांक 31–12–2019 को नीचे सूचीबद्ध समय के बीच बिक्री के समापन/बंद होने तक 5 मिनट प्रत्येक के स्वतः विस्तारों के साथ होगी।
सम्पत्ति की बिक्री सर्वोच्च मूल्य/बोली देने वाले बोलीदाता को की जाएगी तथा बैंक द्वारा पुष्टि की शर्त के तहत होगी।
सफल बोलीदाता/खरीदार को, अचल सम्पत्ति के मामले में, बिक्री मूल्य/बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि, धरोहर राशि सहित, तत्काल अर्थात उसी दिन अथवा अधिकतम अगले कार्यदिवस तक, जैसा भी मामला है, प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करनी होगी और ऐसा करने में असफल रहने पर, सम्पत्ति तत्काल दोबारा बेची जाएगी।
खरीदार द्वारा शेष 75 प्रतिशत राशि अचल सम्पत्ति की बिक्री की पुष्टि के 15 दिन के भीतर जमा कराई जाएगी। निर्धारित समय में राशि अदा नहीं किए जाने की स्थिति में पहले जमा की जा चुकी राशि जब्त मानी जाएगी तथा बैंक सम्पत्ति की दोबारा बिक्री के लिए स्वतंत्र होगा।
बैंक को सम्पत्ति पर किसी ऋणभार की जानकारी नहीं है।
इच्छुक पार्टियां सम्पत्ति का निरीक्षण संबंधित प्राधिकृत अधिकारी के साथ समन्वय से 16–12–2019 को पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 4:00 बजे के बीच कर सकती हैं। नीलामी में भाग लेने वाली पार्टियों को सम्पत्ति की जांच नीलामी में भाग लेने से पहले सावधानीपूर्वक कर लेनी चाहिए। बैंक बाद में किसी भी आधार पर सम्पत्ति के संबंध में किसी विवाद हेतु जिम्मेदार नहीं होगा।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194–झक के अनुसार, रू. 50,00,000/– (रू. पचास लाख) तथा अधिक बिक्री मूल्य पर 1 प्रतिशत की दर पर टीडीएस लागू होगा। सफल बोलीदाता/खरीदार को बिक्री मूल्य से 1 प्रतिशत की दर पर टीडीएस काटकर आयकर विभाग में प्रपत्र सं. 16–ख में जमा करना होगा, जिसमें बैंक का नाम तथा पैन नंबर AABCA7375C बतौर विक्रेता देना होगा और टीडीएस प्रमाणपत्र की मूल रसीद बैंक में जमा करनी होगी।
खरीददार को स्थानीय करों, उत्पाद शुल्क तथा अन्य सांविधिक देयों का भुगतान करना होगा। बिक्री के संबंध में निष्पादित किए जाने वाले दस्तावेजों पर पंजीकरण शुल्क तथा स्टाम्प ड्यूटी खरीददार को वहन करनी होगी।
सम्पत्ति की बिक्री सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित नियमों तथा शर्तों पर जैसी है जहां है तथा जैसी है जो है आधार पर की जाएगी। इच्छुक बोलीदाताओं को सम्पत्ति के संबंध में बैंक के अलावा किसी अन्य प्राधिकरण के किसी दावे, प्रभार/ऋणभार की जांच सावधानी के साथ करनी चाहिए तथा सम्पत्ति के स्वामित्व, सीमा, गुणवत्ता और मात्रा के बारे में अपनी संतुष्टि कर लेनी चाहिए। ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के बाद सम्पत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। सम्पत्ति की बिक्री के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी होगा तथा इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा।
प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए बिक्री निरस्त या प्रास्थगित करने का अधिकार है।

प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम/पता/सम्पर्क नंबर	खाते का नाम	बकाया राशि	सम्पत्तियों का विवरण	नीलामी की तिथि एवं समय	आरपी/ईएमडी खाता नंबर/आईएफएस कोड	बोली वृद्धि राशि
	वाणिज्यिक सम्पत्तियां						
1.	एनआईटी फरीदाबाद शाखा, एनआईटी फरीदाबाद 5ई/7 बी.पी रेलवे रोड, एनआईटी फरीदाबाद–121001, फोन नंबर 0129–2420061	मैसर्स पिनैकल इंटरट्रेड प्रा. लि.	01–12–2018 तक रू. 2,24,70,748/–	निदेशक श्री गगा राम पुत्र श्री बाल किशन (सम्पत्ति स्वामी) के माध्यम से मैसर्स पिनैकल इंटरट्रेड प्रा. लि के नाम मौजा मीटोल, तहसील होडल जिला पलवल में स्थित खेवट/खाता नंबर 100/105, रेक्ट नंबर 51, किला नंबर 3/1/3/3 (2–0), 8/1/1/2/1 (0–9) के अंश रूप सम्पत्ति परिमाप 2 कनाल 9 मरला (1482 वर्ग गज)। चौहद्दी : पूरब : 33 फीट रोड, पश्चिम : अन्य प्लॉट, उत्तर : 33 फीट रोड, दक्षिण : अन्य प्लॉट,	31–12–2019 पूर्वा. 11.00 बजे से मध्या. 12.00 बजे तक	सुरक्षित मूल्य : रू. 83.00 लाख ईएमडी :– रू. 8.30 लाख खाता नं. :180411100004243 आईएफसीएस कोड :– ANDB0001804	रू. 50,000/–
	आवासीय सम्पत्तियां						
2.	एनआईटी फरीदाबाद शाखा, एनआईटी फरीदाबाद 5ई/7 बी.पी रेलवे रोड, एनआईटी फरीदाबाद–121001, फोन नंबर 0129–2420061	मैसर्स पिनैकल इंटरट्रेड प्रा. लि.	01–12–2018 तक रू. 2,24,70,748/–	सम्पत्ति के सभी अशं एवं खंड : पंकज गुप्ता पुत्र श्री कुंज बिहारी गुप्ता (सम्पत्ति स्वामी) के नाम ब्लॉक ई, गली नंबर 4, आदर्श नगर, मलेरना रोड, मौजा ऊंचा गांव, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद में स्थितरेक्ट नंबर 31, किला नंबर 7 के अंश रूप मकान नंबर एफसीए 60 परिमाप 120 वर्ग गज। चौहद्दी : पूरब : प्लॉट नंबर 59, पश्चिम : प्लॉट नंबर 61, उत्तर : रोड, दक्षिण : अन्य सम्पत्ति,	31–12–2019 पूर्वा. 11.00 बजे से मध्या. 12.00 बजे तक	सुरक्षित मूल्यः रू. 38.00 लाख ईएमडी :– रू. 3.80 लाख खाता नं.:180411100004243 आईएफसीएस कोड :– ANDB0001804	रू. 50,000/–
3.	राजौरी गार्डन शाखा, जीएन–9, शिवाजी एन्क्लेव, राजौरी गार्डन, दिल्ली–110027 फोन नंबर 011–25191361	पारूल एवं रवीन्दर	01–12–2018 तक रू. 20,07,409/–	आवासीय फ्लैट नंबर प्लॉट नंबर 42, तृतीय तल (फ्रंट साइड), खसरा नंबर 940 का हिस्सा, ग्राम नवादा, ब्लॉक–ए, राम नगर, ओम विहार, उत्तम नगर, दिल्ली–110059	31–12–2019 पूर्वा. 11.00 बजे से मध्या. 12.00 बजे तक	सुरक्षित मूल्यः रू. 20.00 लाख ईएमडी :– रू. 2.00 लाख खाता नं.:163811100003235 आईएफसीएस कोड :– ANDB0001638	रू. 50,000/–

उपरोक्त सम्पत्ति की ई–नीलामी का संचालन निम्नवर्णित ई–नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा किया जाएगा :
ऐन्टेयरीज सिस्टम्स लिमिटेड, 24, सुधा कॉम्प्लेक्स, थर्ड स्टेज, फोर्थ ब्लॉक, बासवेश्वरनगर, बेंगलुरू–560079
सम्पर्क व्यक्ति : श्री कुशल बोस, श्री विनोद सिंह बोरा एवं तौसीक घोष मोबाइल नंबर 7686913157 एवं 9718227288 एवं 09674758724, ई–मेल आईडी kushal.b@antaressystems.com, vinodsingh.b@antaressystems.com, tousik.g@antaressystems.com, टोल फ्री नं.18001026185, लैंडलाइन नं.080–49352000, ई–नीलामी पोर्टलःwww.tenderwizard.com/ANB के माध्यम से "ई"–नीलामी के संबंध में आगे का विवरण तथा "ई"–नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा प्रपत्र और विस्तृत नियम व शर्तें आन्ध्रा बैंक की संबंधित शाखा /प्राधिकृत अधिकारी से (उनसे उनके संबंधित मोबाइल नंबर पर अथवा फोन नंबर : 011–25713643 पर सम्पर्क करके) प्राप्त की जा सकती हैं तथा निम्नलिखित वेबसाइटों पर भी उपलब्ध हैं :
(1) www.tenderwizard.com/ANB (2) www.andhrabank.in (3) www.tenders.gov.in

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 13–12–2019
प्राधिकृत अधिकारी, आन्ध्रा बैंक
सम्पर्क नंबर : 011–25713643

www.readwhere.com

खबर कोना

भारत- वेस्ट इंडीज के बीच मुकाबले से पहले शुक्रवार को चेन्नई में प्रैक्टिस के दौरान भारतीय खिलाड़ी केदार जाधव।

आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी की दौड़ में

मेलबर्न,13 दिसंबर (एएफपी)।

आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने महिला फुटबाल विश्व कप 2023 की संयुक्त मेजबानी का दावा पेश किया है। फीफा इस विश्व कप में टीमों की संख्या 22 से बढाकर 24 करने की सोच रहा है। अधिकारियों ने कहा कि दो देशों के मेजबान होने से अतिरिक्त मैचों के आयोजन में मदद मिलेगी। फीफा के अनुसार अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया, जापान, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका भी मेजबानी की दौड़ में हैं। मेजबानी पर फैसला मई में लिए जाने की संभावना है।

अंडर-17 महिला फुटबाल : स्वीडन से 0-3 से हारी भारतीय टीम

मुंबई, 13 दिसंबर (भाषा)।

भारत की अंडर-17 महिला टीम ने तीन देशों के फुटबाल टूर्नामेंट में अपने अभियान की निराशाजनक शुरुआत की और उसे शुक्रवार को यहां अपने पहले मैच में ही स्वीडन से 0-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। स्वीडन की टीम ने भारतीयों की कमजोरी का पूरा फायदा उठाया। उसकी तरफ से मालटिडा विनबर्ग (चौथे मिनट), इडा वीनडेनबर्ग (25वें मिनट) और मोनिका जुसु बाह (90+1 मिनट) ने गोल किए। स्वीडन को चौथे मिनट में ही पेनल्टी किक मिली जिसे विनबर्ग ने गोल में बदला। स्ट्राइकर बाह को पेनल्टी बाक्स में गिराए जाने के कारण स्वीडन को यह पेनल्टी मिली थी।

पीसीबी का अशरफ, शिनवारी को एनओसी देने से इनकार

कराची, 13 दिसंबर (भाषा)।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हरफनमौला फहीम अशरफ और तेज गेंदबाज उस्मान शिनवारी को आस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग खेलने के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' देने से इनकार कर दिया। अशरफ और शिनवारी ने हाल ही में बीबीएल के साथ करार किया था। अशरफ ने मई के बाद से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है। उनके साथ मेलबर्न रेनेगेडेस ने करार किया था जबकि शिनवारी को इसी टीम ने पहले पांच मैचों के लिए अनुबंधित किया है। पीसीबी के एक सूत्र ने कहा कि अशरफ को घरेलू क्रिकेट पर फोकस करने के लिए कहा गया है जबकि शिनवारी को श्रीलंका के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के लिए राष्ट्रीय टीम में चुना गया है।

आइपीएल नीलामी का हिस्सा बनेंगे 332 खिलाड़ी

दो करोड़ की सूची में कोई भारतीय नहीं

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सत्र के लिए होने वाली नीलामी के लिए 332 खिलाड़ियों की अंतिम सूची जारी कर दी है। 19 दिसंबर को कोलकाता में होने वाली यह नीलामी की प्रक्रिया पहली बार सुबह की जगह दोपहर (3:30) में शुरू होगी। नीलामी में भाग लेने के लिए 997 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया था। इसमें आस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल और दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन ने खुद को सबसे ज्यादा दो करोड़ रुपए वर्ग में रखा है।

दो करोड़ की सूची में पांच आस्ट्रेलियाई

दो करोड़ रुपए के बेस प्राइस की सूची में सात खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। इसमें से पांच आस्ट्रेलियाई हैं। दिलचस्प यह है कि टी-20 विश्व कप की तैयारी में जुटी टीम इंडिया के किसी भी खिलाड़ी का नाम इस सूची में नहीं है। सभी खिलाड़ी विदेशी हैं। आस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल, क्रिस लिन, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और मिशेल मार्श शामिल हैं। वहीं श्रीलंका के हरफनमौला एंजोलो मैथ्यूज और दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन ने भी खुद को इस सूची में रका है।

उथप्पा पर होगी सभी की निगाहें

इस बोली में सिर्फ 73 खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी टीमों के साथ जोड़ सकते हैं जिसमें केवल 29 विदेशी शामिल होंगे। फिंच एक करोड़ रुपए के खिलाड़ियों की सूची में हैं। केकेआर से रिलीज किए गए आस्ट्रेलिया के क्रिस लिन को इस बोली में अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद होगी। उथप्पा के आलवा जिन भारतीय खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजियों की नजर होगी उसमें पीयूष चावला (केकेआर), युसूफ पठान (सनराइजर्स हैदराबाद) और जयदेव उनादकट (राजस्थान रॉयल्स) शामिल हैं। ये सभी खिलाड़ी एक करोड़ रुपए की सूची में हैं। नीलामी में 186 भारतीय खिलाड़ी जबकि 143 विदेशी और एसोसिएट देशों के तीन खिलाड़ी शामिल हैं।

1.5 करोड़ की सूची में अकेले भारतीय उथप्पा

डेढ़ करोड़ की बेस प्राइस में कुल दस खिलाड़ियों को जगह दी गई है। इसमें एकमात्र भारतीय रॉबिन उथप्पा हैं। बाकी नौ खिलाड़ी विदेशी हैं। इंग्लैंड के चार खिलाड़ियों ने इस सूची में जगह बनाई है। इसमें ईयान मोर्गन, जैसन रॉय, क्रिस वोक्स और डेविड विली शामिल हैं। आस्ट्रेलिया के एडम जंपा, शॉन मार्श और केन रिचर्डसन निलामी में भाग ले रहे हैं। दक्षिण अफ्रीकी टीम से काइली एबॉट और क्रिस मारिस इस बेस प्राइस सूची का हिस्सा हैं।

आइपीएल की आगामी सत्र के लिए शुरुआत में 997 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया था। आठ फ्रेंचाइजियों से मिले चयनित खिलाड़ियों की सूची के बाद इसे छोटा कर दिया गया।

दो करोड़ की सूची में शामिल खिलाड़ी

दो करोड़ की सूची में सात खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें सभी सात खिलाड़ी विदेशी हैं। इन खिलाड़ियों में ग्लेन मैक्सवेल, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, मिशेल मार्श, डेल स्टेन और एंजेलो मैथ्यूज।

भारतीय खिलाड़ियों की कीमत

1.5 करोड़ : रोबिन उथप्पा
1 करोड़ : पीयूष चावला, युसूफ पठान, जयदेव उनादकट
50 लाख : चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी, स्टुअर्ट बिन्नी, मोहित शर्मा
20 लाख : पवन देशपांडे, यशस्वी जायसवाल

मानसिक रूप से थक चुका था : मैक्सवेल

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (भाषा)।

आस्ट्रेलियाई हरफनमौला ग्लेन मैक्सवेल ने कहा कि पिछले चार या पांच साल से लगातार खेलते रहने के कारण वह मानसिक और शारीरिक तौर पर काफी थक चुके थे। इसी कारण उन्हें अक्तूबर में मानसिक स्वास्थ्य की वजह से आराम लेने को मजबूर होना पड़ा। मैक्सवेल श्रीलंका के खिलाफ पहले दो मैच खेलने के बाद अपने मानसिक स्वास्थ्य के कारण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से हट गए थे।

उन्होंने कहा कि जब मैंने हटने का फैसला किया तो मैं काफी थका हुआ था। मैंने आराम लेने का फैसला क्यों किया इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि मैं मानसिक और शारीरिक तौर पर बुरी तरह थक चुका था। मैं लगातार आठ महीने से व्यस्त था और पिछले चार पांच वर्षों से ऐसा हो रहा था। मैं लगातार खेल रहा था और उस समय यह थकान मुझ पर हावी हो गई थी।

उन्होंने कहा कि मैं वास्तव में क्रिकेट आस्ट्रेलिया, क्रिकेट विक्टोरिया और स्टार्स का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे खेल से बाहर रहने की अनुमति दी। मुझे सही स्थिति में लौटने के लिए समय दिया। मैक्सवेल ने कहा कि वह उनकी महिला मित्र थी जिसने सबसे पहले उनमें बदलाव महसूस किया।

उन्होंने कहा कि असल में वह मेरी महिला मित्र थी जिसने मुझे किसी से सलाह लेने के लिए कहा। सबसे पहले उन्हें मेरे अंदर बदलाव का अहसास हुआ और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। शुरुआती बातचीत के बाद ही मुझे लगा कि जैसे मेरे कंधों से भारी बोझ उतर गया।

जापान के नगानो में स्पीड स्केटिंग विश्व कप में महिला स्प्रिंट रेस के दौरान मुकाबला करतीं खिलाड़ी।

मैच के आधार पर तय होगी रैंकिंग

लुसाने, 13 दिसंबर (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने शुक्रवार को 2020 के लिए नई विश्व रैंकिंग प्रणाली का अनावरण किया। इसमें रैंकिंग का निर्धारण टूर्नामेंट के आधार पर नहीं बल्कि मैच के आधार पर होगा। नई व्यवस्था अगले साल एक जनवरी से लागू होगी। एफआइएच ने कहा कि बारह महीने के गहन शोध, विश्लेषण और परीक्षण के बाद यह व्यवस्था शुरू की जा रही है।

2003 से जारी एफआइएच विश्व रैंकिंग प्रणाली मूल रूप से टूर्नामेंटों में टीमों को पूल में बांटने के लिए शुरू की गई थी। इसके तहत टीमों को साल में दो या तीन बार रैंकिंग अंक बनाने का मौका मिलता था। इससे निचली रैंकिंग वाली टीमों के पास कम मौके रह जाते थे और उनकी क्षमता का सही आकलन नहीं हो पाता था।एफआइएच ने एक बयान में कहा कि करीब 60 फीसद अंतरराष्ट्रीय मैचों में कोई रैंकिंग अंक नहीं होते और यही देखकर हमें बदलाव करना पड़ा। नई प्रणाली के तहत एफआइएच से मान्यता प्राप्त हर मैच के लिए टीमों को रैंकिंग अंक मिलेंगे।

बिग बाउट मुक्केबाजी लीग में बंगलुरू ने पैंथर्स को हराया

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (भाषा)।

बंगलुरू ब्रॉलर्स ने शुक्रवार को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले गए बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग लीग (आइबीएल) में बड़ा उलटफेर करते हुए पंजाब पैंथर्स को 4-3 से हराया। अनामिका (51 किग्रा) और कप्तान सिमरनजीत (60 किग्रा) ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर बंगलुरू को अच्छी शुरुआत दी। इनके अलावा दिनेश डागर ने चार मैचों में आज अपना पहला मैच जीता जबकि पवन कुमार ने भी चार मैचों में पहली जीत दर्ज की।

अभी तक अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर 12 अंक जुटा चुकी पैंथर्स ने इस मैच में चार मुक्केबाजों को लीग में पदार्पण का मौका दिया। टीम ने कप्तान एमसी मैरी काम, उज्बेकिस्तान के अब्दुलमलिक खालाकोव, मनोज कुमार को आराम दिया। इस हार से पैंथर्स अंकतालिका में दूसरे स्थान पर आ गई है। पैंथर्स के चार मैचों से 15 अंक हो गए हैं वह गुजरात जाएंट्स से पीछे हैं जिसके चार मैचों में 17 अंक हैं।

सिंधू ने बिंगजियाओ को हरा अभियान का अंत किया

ग्वांग्जू, 13 दिसंबर (भाषा)।

खिताब की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी भारतीय बैडमिंटन स्टार पी वी सिंधू ने ग्रुप ए के अपने तीसरे और अंतिम मैच में चीन की ही बिंगजियाओ पर सांत्वना जीत दर्ज करके वर्ष के आखिरी टूर्नामेंट बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फाइनल में अपने अभियान का सकारात्मक अंत किया। पिछले साल की चैंपियन सिंधू अपने पहले दोनों मैच गंवाने के कारण खिताब की दौड़ से पहले ही बाहर हो गई थीं। बिंगजियाओ के खिलाफ भी पहले गेम में वह 9-18 से पीछे चल रही थी लेकिन इसके बाद उन्होंने वापसी की।

कपूर सात अंडर के शानदार कार्ड से संयुक्त पांचवें स्थान पर

जकार्ता, 13 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय गोल्फर शिव कपूर इंडोनेशिया मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट के दूसरे दिन शुक्रवार को सात अंडर 65 का शानदार कार्ड खेलकर संयुक्त पांचवें स्थान पर पहुंच गए। कपूर दूसरे दिन उन पांच गोल्फरों में शामिल रहे जिन्होंने दिन का सर्वश्रेष्ठ सात अंडर का कार्ड खेला। उन्होंने गुरुवार को पहले दौर में दो अंडर 70 का कार्ड खेला था जिससे उनका कुल स्कोर नौ अंडर का है।

शीर्ष दस में एक अन्य भारतीय खिलाड़ी अजितेश संधू भी है। पांच अंडर 67 का कार्ड खेलने वाला यह गोल्फर कुल आठ अंडर के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से आठवें पायदान पर है। राशिद खान ने भी दूसरे दौर में सात अंडर का शानदार कार्ड खेला। वह छह अंडर के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से 14वें स्थान पर है। विराज मदप्पा (तीन अंडर 69) भी इसी पायदान पर है। कट हासिल करने वाले अन्य भारतीय में ज्योति रंधावा (तीन अंडर 69) संयुक्त 30वें, एसएसपी चौरसिया (तीन अंडर 69) संयुक्त 39वें, अमन राज (एक ओवर 73) संयुक्त 50वें और अर्जुन अटवाल (एक अंडर 71) संयुक्त 60वें स्थान पर है।

तनसीम क्वार्टर फाइनल में, वरुण एशियाई जूनियर चैंपियनशिप से बाहर

सुराबाया (इंडोनेशिया), 13 दिसंबर (भाषा)।

भारत की तनसीम मीर ने एशिया बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप में शुक्रवार को लड़कियों के अंडर-15 वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया लेकिन वरुण कपूर लड़कों के अंडर-17 वर्ग से बाहर हो गए। गुजरात की तनसीम ने मलेशिया की वेन सी चान को केवल 20 मिनट में 21-6, 21-16 से हराया। उनका अगला मुकाबला जापान की माया तागुची से होगा।

लड़कों के अंडर-17 एकल में महाराष्ट्र के वरुण कपूर को इंडोनेशिया के रायनाल्डी ओक्टाविनोर रिज्की से 19-21, 21-23 से हार का सामना करना पड़ा। असम के तन्मय बिकास बरूआ ने हालांकि अंडर-15 डेनमार्क के फारेल सतरिया परडाना को 24-22, 21-15 से पराजित किया।

लड़कियों के युगल में आंद्रिया सराह कुरियन और पवित्रा नवीन की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा

बरूआ ने लक्ष्य शर्मा के साथ अंडर-15 युगल में थाईलैंड के तनाकोर्न मीचा और टाइनकुन तियानचान को 21-18, 21-17 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। लोकेश रेड्डी और अंकित मंडल की जोड़ी भी अंतिम आठ में पहुंच गई है। लड़कियों के युगल में आंद्रिया सराह कुरियन और पवित्रा नवीन की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा लेकिन अंडर-17 वर्ग में जनानी अनंतकुमार और तान्या हेमंत की जोड़ी आगे बढ़ने में सफल रही।

वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे से पहले

नेट पर गेंदबाजी करेंगे जसप्रीत बुमराह

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (भाषा)।

कमर की चोट के बाद रिहैबिलिटेशन में जुटे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले नेट पर भारतीय टीम के साथ अभ्यास करेंगे। बुमराह स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू श्रृंखला की शुरुआत से टीम से बाहर हैं। वह हालांकि अब ठीक होने की राह पर हैं। टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि अगले साल न्यूजीलैंड दौरे से पहले वह फिट हो जाएंगे।

वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा वनडे 18 दिसंबर को खेला जाएगा। बीसीसीआइ के एक सूत्र ने बताया कि बुमराह भारतीय टीम के साथ अभ्यास करेंगे। अब यह परंपरा बन गई है। टीम प्रबंधन ने भुवनेश्वर कुमार की फिटनेस भी इंदौर में बांग्लादेश के खिलाफ टैस्ट से पहले परखी थी हालांकि वह टीम का हिस्सा नहीं थे। इसी तरह बुमराह की फिटनेस को आजमाया जाएगा।

सूत्र ने कहा कि अब यही परंपरा बन गई है कि जब कोई खिलाड़ी फिट होता नजर आता है तो टीम प्रबंधन, फिजियो और ट्रेनर नेट अभ्यास में उसे परखते हैं। बुमराह और हार्दिक पंड्या आइपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं और मुंबई के बीकेसी मैदान पर उनका रिहैबिलिटेशन चल रहा है। ऐसी भी संभावना है कि बुमराह को भारत 'ए' टीम के साथ न्यूजीलैंड भेजा जाए ताकि उन्हें अभ्यास मिल सके।

कुंबले बोले, अय्यर को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करनी चाहिए

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (भाषा)।

भारत के पूर्व कप्तान और महान स्पिनर अनिल कुंबले का मानना है कि श्रेयस अय्यर को वेस्ट इंडीज के खिलाफ आगामी वनडे श्रृंखला में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करना चाहिए। उनका मानना है कि भारतीय गेंदबाजों के लिए यह श्रृंखला चुनौतीपूर्ण होगी। कुंबले ने कहा कि भारतीय गेंदबाजों को वेस्ट इंडीज के मजबूत बल्लेबाजी क्रम के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।

उन्होंने कहा कि शिखर के नहीं होने से केएल राहुल को पारी के आगाज का मौका मिला है। श्रेयस अय्यर काफी परिपक्व बल्लेबाज हैं। मैं चाहूंगा कि वह चौथे नंबर पर उतरें। दोनों टीमों के बीच पहला वनडे मैच चेन्नई में खेला जाएगा। कुंबले ने स्टार स्पोर्टर्स से कहा कि वेस्ट इंडीज के सामने गेंदबाजी चुनौतीपूर्ण होगी। उनके पास दमदार हिटर्स हैं। विकेट भी बल्लेबाजी के अनुकूल है तो गेंदबाजों को उम्दा प्रदर्शन करना होगा।

चोटिल भुवनेश्वर श्रृंखला से बाहर

चेन्नई, 13 दिसंबर (भाषा)।

भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार चोटिल होने के कारण वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह मुंबई के तेज गेंदबाज शारदुल ठाकुर को टीम में जगह मिल सकती है। भुवनेश्वर बुधवार को समाप्त हुई टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के दौरान चोटिल हो गए थे।

बीसीसीआइ के अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर बताया, 'भुवनेश्वर श्रृंखला से बाहर हो गए हैं और शारदुल टीम में उनकी जगह लेंगे।' शारदुल बांग्लादेश के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला की टीम में थे और गुरुवार तक उन्होंने बड़ौदा के खिलाफ रणजी मैच में मुंबई का प्रतिनिधित्व किया था।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 27, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com